[2021] 13 एस सी आर

घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बनाम

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा निदेशक एवं अन्य

सिविल अपील संख्या (2019/8129

13अप्रैल 2021

[आरएफ नरीमन ,बीआर गवई और हृषिकेश रॉय ,न्यायमूर्ति]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016

धारा – 31समाधान प्लान का अनुमोदन –कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया –समाधान प्लान –अनुमोदन के बाद इसकी सीमा और दायरा –**निर्णय** :एक बार जब समाधान प्लान को धारा 31 की उपधारा (1)के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है ,तो समाधान प्लान में दिए गए दावे स्थिर हो जाएंगे और कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों , सदस्यों ,लेनदारों ,जिनमें केंद्रीय सरकार ,कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक भी शामिल है ,पर बाध्यकारी होंगे। अनुमोदन की तिथि समाधान प्लान पर निर्णय देने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्णय देने के पश्चात् ,ऐसे सभी दावे ,जो समाधान प्लान का भाग नहीं हैं , समाप्त हो जाएंगे तथा कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे दावे के संबंध में कोई कार्यवाही आरंभ करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा ,जो समाधान प्लान का भाग नहीं है -आईएंडबी कोड के प्रमुख उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और इसे एक कार्यशील संस्था बनाना -इसके पीछे विधायी मंशा है ,सभी दावों को स्थिर करना ताकि समाधान आवेदक एक साफ स्लेट पर शुरू हो और किसी भी समय कोई नया आश्चर्यजनक दावे किये जाये -भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड)कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया (विनियम – 2016 ,धारा 13और 14

धारा - 31धारा 31का धारा 7अंतर्गत अधिनियम 26वर्ष 2019में संशोधन - स्पष्टीकरणात्मक/घोषणात्मक या मूल प्रकृति की -**निर्णय** ::धारा 31अंतर्गत कोड 2019में संशोधन स्पष्टीकरणात्मक एवं घोषणात्मक प्रकृति का है ,अतः यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन आईएंडबी कोड लागू हुई थी।

धारा – 31न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान प्लान का अनुमोदन –केंद्र सरकार ,राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित ऋणदाताओं को कॉर्पोरेट देनदार से किसी भी बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का अधिकार ,जो न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान

योजना का हिस्सा नहीं है -**निर्णय :**केंद्र सरकार ,किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित सभी बकाया ,यदि समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं ,तो समाप्त हो जाएंगे और न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा धारा 31के तहत अपनी मंजूरी देने की तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसे बकाया के संबंध में कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकेगी।

अपील और रिट याचिका को स्वीकार करते हुए ,न्यायालय ने निर्धारित किया कि .1 : जब दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 ,की धारा 31की उप-धारा (1)के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक बार समाधान प्लान विधिवत रूप से स्वीकृत हो जाती है ,समाधान योजना में दिए गए दावे स्थिर रहेंगे और कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों ,सदस्यों और लेनदारों ,जिनमें केंद्र सरकार ,कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण ,गारंटर और अन्य हितधारक शामिल हैं ,पर बाध्यकारी होंगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान प्लान के अनुमोदन की तिथि पर ,ऐसे सभी दावे ,जो समाधान प्लान का हिस्सा नहीं हैं ,समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा ,जो समाधान प्लान का हिस्सा नहीं है;

धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड 2019का संशोधन स्पष्टीकरणात्मक और घोषणात्मक प्रकृति का है और इसलिए यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन आईएंडबी कोड लागू हुई है ;और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ,किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित सभी बकाया ,यदि समाधान प्लान का हिस्सा नहीं हैं ,तो समाप्त हो जाएंगे और उस तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसे बकाया के संबंध में कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है जिस दिन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 31के तहत अपनी मंजूरी देता है।]पैरा -805] [95 डीएच-806 ;ए[

2.1 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016उद्देश्य में से एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने और इसे एक चालू व्यवसाय बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन के आधार पर समाधान प्लान तैयार करनी होगी। सूचना ज्ञापन ,जिसे तैयार करना आवश्यक है , सूचना ज्ञापन ,जिसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड)कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया (विनियम 2016 ,के विनियमन 36के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 29के अनुसार तैयार किया जाना अपेक्षित है ,में विभिन्न विवरण शामिल होने अपेक्षित हैं ,जो सांविधिक रूप से अनिवार्य सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में विभिन्न दावों की प्राप्ति के पश्चात समाधान वृत्तिक द्वारा एकत्रित किए गए हैं। समाधान प्लान में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के भुगतान ,समाधान प्लान के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबंधन ;समाधान प्लान के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए प्रावधान होना आवश्यक है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही ,वित्तीय ऋणदाताओं के अपेक्षित मतदान शेयर के साथ सीओसी द्वारा अनुमोदित प्लान ,नीचे उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करती है। उपधारा (2)अंतर्गत धारा 30की में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ,इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इसके बाद ही उक्त प्लान कॉरपोरेट देनदार के साथ-साथ उसके कर्मचारियों ,सदस्यों ,लेनदारों ,गारंटरों और समाधान प्लान में शामिल अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी होती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित मोरेटोरियम आदेश एक बार जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान प्लान को मंजूरी दे देता है ,तो धारा 14लागू नहीं होगी। इसलिए ,आईएंडबी कोड की प्लान ,तत्कालीन प्रबंधन से उसकी शक्तियों को छीनकर उसे एक पेशेवर एजेंसी में निहित करके ,समाधान प्लान तैयार होने तक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने का प्रयास करना है। एक बार समाधान प्लान स्वीकृत हो जाने के बाद ,प्लान के तहत प्रबंधन को सफल आवेदक को सौंप दिया जाता है ताकि कॉर्पोरेट देनदार अपने ऋणों का भुगतान करने और अपने पैरों पर वापस खड़े होने में सक्षम हो सके।]पैरा -771][54जीएच-772 ;एई[

2.2 यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने सीओसी और के वाणिज्यिक ज्ञान को सर्वोच्च महत्व दिया हैऔर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न्यायिक समीक्षा का दायरा धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है और अपीलीय प्राधिकरण का दायरा उपधारा (3) अंतर्गत धारा 61आईएंडबी कोड के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है ,अब एकीकृत नहीं है।]पैरा -781][57एफजी[

2.3 धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार समाधान प्लान को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई ,जब वह संतुष्ट हो जाए कि सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान प्लान उपधारा (2)अंतर्गत धारा 30में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है ,तो यह कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों ,सदस्यों ,लेनदारों ,गारंटरों और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी। ऐसा प्रावधान आवश्यक है क्योंकि आईएंडबी कोड का एक प्रमुख उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार करना और उसे एक चालू व्यवसाय बनाना है।]पैरा -781][58जीएच-782 ;ए[

2.4 सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान प्लान में विभिन्न प्रावधान शामिल होने चाहिए , जैसे दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के भुगतान के लिए प्रावधान ,परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान ,जो कि धारा 53के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगा ;या वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई होती ,यदि समाधान प्लान के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53की उपधारा (1)में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित की गई होती ,जो भी अधिक हो। समाधान प्लान में वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान का प्रावधान भी होना चाहिए ,जो समाधान प्लान के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं ,जो कि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53की

उपधारा (1)के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी। आईएंडबी कोड की उपधारा (2)अंतर्गत धारा 30के खंड)बी (के स्पष्टीकरण 1में संदेह को दूर करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि उक्त खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा। समाधान प्लान के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबंधन तथा समाधान प्लान के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए भी समाधान प्लान में प्रावधान होना आवश्यक है। आईएंडबी कोड की उपधारा (2)अंतर्गत धारा 30के खंड)ई (में भी समाधान वृत्तिक पर यह दायित्व डाला गया है कि वह जांच करे कि समाधान प्लान वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।]पैरा -782][59बीई[

2.5 धारा 29आईएंडबी कोड के साथ विनियमन 36के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें समाधान वृत्तिक को कॉर्पोरेट देनदार के विभिन्न विवरणों से युक्त एक सूचना ज्ञापन तैयार करने की आवश्यकता है ताकि प्लान प्रस्तुत करने वाले समाधान आवेदक को कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में पता हो ,जिसमें लेनदारों और उनके द्वारा दावा की गई राशियों के बारे में विवरण शामिल हैं। इसमें अन्य व्यक्तियों द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के ऋणों के संबंध में दी गई गारंटियों का विवरण भी शामिल होना आवश्यक है। सभी महत्वपूर्ण मुकदमों और सरकार और वैधानिक अधिकारियों द्वारा शुरू की गई किसी चल रही जांच या कार्यवाही के संबंध में विवरण भी सूचना ज्ञापन में शामिल होना आवश्यक है। इसी प्रकार श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कॉर्पोरेट देनदार की देनदारियों के बारे में विवरण भी सूचना ज्ञापन में शामिल होना आवश्यक है।]पैरा -782] [60एफ-एच[

2.6 इन सभी विवरणों को सूचना ज्ञापन में शामिल किया जाना आवश्यक है ताकि समाधान आवेदक को पता रहे कि उसे किन देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है और एक प्लान प्रदान की जा सके ,जो ऐसी देनदारियों के एक हिस्से को पूरा करने के अलावा यह भी सुनिश्चित करेगी कि कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित किया जाता है और उसे स्थापना चालू को हालत में लाया जाता है । समाधान प्लान को सभी हितधारकों पर बाध्यकारी बनाने का विधायी आशय यह है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन की मुहर मिलने के बाद ,जब यह संतुष्ट हो जाए कि सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान प्लान उपधारा (2)अंतर्गत धारा 30में निर्दिष्ट अपेक्षा को पूरा करती है ,तो समाधान प्लान के अनुमोदन के बाद ,सफल समाधान आवेदक पर कोई आश्चर्यजनक दावा नहीं किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह स्वीकृत समाधान प्लान के आधार पर नए सिरे से शुरुआत करें।]पैरा -783][61एसी[

2.7 इस प्रकार 16.8.2019 ,के बाद होने वाली कार्यवाही के संबंध में कोई कठिनाई नहीं होगी। संशोधन के बाद ,किसी भी कानून के तहत देय राशि के भुगतान के संबंध में कोई भी ऋण ,जिसमें

केंद्र सरकार ,किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय राशि शामिल है ,जो स्वीकृत समाधान प्लान का हिस्सा नहीं है ,समाप्त हो जाएगा।]पैरा -784][67ईएफ[

2.8 यदि यह माना जाता है कि संशोधन प्रकृति में घोषणात्मक या स्पष्टीकरणात्मक है ,तो यह माना जाना चाहिए कि ऐसा संशोधन प्रकृति में पूर्वव्यापी है और शुरू से ही क़ानून की किताब में मौजूद है। हालाँकि ,यदि उत्तर अन्यथा है ,तो संशोधन को वैधानिक माना जाना चाहिए। यह संशोधन भावी प्रकृति का होगा तथा उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को कानून में संशोधन किया गया है।]पैरा -784][69जीएच-785 ;ए[

2.9 दिवाला और शोधन अक्षमता)संशोधन (विधेयक -2019 ,एसओआर के "उद्देश्यों और कारणों के कथन "के अवलोकन से पता चलता है कि आईएंडबी कोड का एक प्रमुख उद्देश्य सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करना था। तथापि ,यह देखा गया कि कुछ मामलों में व्यापक मुकदमेबाजी के कारण अनावश्यक देरी हुई ,जिसके परिणामस्वरूप मूल्य अधिकतमीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक पाया गया कि सभी लेनदारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। इसलिए ,विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए और कॉर्पोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए ,आईएंडबी कोड के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक था। दिवाला और शोधन अक्षमता)संशोधन (विधेयक 2019 ,के एसओआर के पैरा 3 के खंड)एफ (से यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड की उपधारा (1)में संशोधन करने का विधायी इरादा यह स्पष्ट करना था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान प्लान यह केन्द्रीय सरकार ,किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण पर भी बाध्यकारी होगा ,जिस पर किसी कानून के तहत देय राशि के भुगतान के संबंध में ऋण बकाया है , जैसे कि वे प्राधिकरण ,जिन पर वैधानिक बकाया है ,जिनमें कर प्राधिकरण भी शामिल हैं।]पैरा -786][71डीजी[

2.10 यह देखा जा सकता है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 238में प्रावधान है कि दो कानूनों के बीच असंगति के मामले में आईएंडबी कोड लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सफल समाधान आवेदक के लिए क्षतिपूर्ति का प्रश्न था और संशोधन स्पष्ट रूप से इसे सरकार के लिए बाध्यकारी बनाता है। उन्होंने कहा कि समाधान प्लान स्वीकृत होने के बाद सरकार कोई और दावा नहीं करेगी। इसलिए ,यह उन लोगों के लिए एक बड़ी आश्वस्ति की बात होगी जो समाधान प्लान का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह चाहती हैं कि सभी माननीय सदस्य इस संदेश को पहचानें तथा आगे बताएं कि आईएंडबी कोड सभी नए बोलीदाताओं को यह सुविधा प्रदान करती है। उन्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि पूर्व प्रमोटरों की गलतियों के कारण कर अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एक बार

समाधान प्लान स्वीकार हो जाने के बाद ,पहले के प्रमोटरों को उनकी आपराधिकता के लिए व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाएगा ,लेकिन नए बोलीदाता को नहीं ,जो कंपनी को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है किइस धारा के अंतर्गत संशोधन को स्पष्ट करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण का संदर्भ लिया जा सकता है ,ताकि यह पता लगाया जा सके कि विधेयक को प्रस्तुत करने का क्या कारण था। इस भाषण का उपयोग यह जानने के लिए किया जा सकता है कि :वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें संशोधन किया गया ;वह कौन सी शरारत थी जिसके लिए असंशोधित धारा में प्रावधान नहीं किया गया ;तथा संशोधित अधिनियम द्वारा क्या सुधार करने का प्रयास किया गया।]पैरा -787][76 ,73ईएच-789 ;ई.पू[.

2.11 यह स्पष्ट है कि धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड में संशोधन से पहले जो गड़बड़ी देखी गई थी ,वह यह थी कि यद्यपि विधायी मंशा यह थी कि एनसीएलटी द्वारा समाधान प्लान को मंजूरी दिए जाने के बाद केन्द्र सरकार ,किसी राज्य सरकार या कर अधिकारियों सहित किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी ऋणों को समाप्त कर दिया जाए ;परन्तु कुछ अस्पष्टता के कारण राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने उनके ऊपर बकाया ऋणों के संबंध में कार्यवाही जारी रखी। उक्त कुव्यवस्था को दूर करने के लिए विधानमंडल ने स्थिति स्पष्ट करना उचित समझा ,कि एक बार ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाने पर तथा प्लान को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर ,राज्य/केंद्र सरकार या कर अधिकारियों सहित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को देय ऐसे सभी दावे/बकाया ,जो समाधान प्लान का हिस्सा नहीं थे ,समाप्त हो जाएंगे।]पैरा -789][77डीई[

2.12 प्रावधान में दोषपूर्ण प्रारूपण को उचित माना जा सकता है। व्याख्या यह है कि ,किसी नगरपालिका के सदस्य के पद पर आसीन होने के संदर्भ में किसी व्यक्ति पर तीसरे बच्चे को जन्म देने तथा संतान उत्पन्न करने पर लगाया गया विधायी प्रतिबन्ध केवल एक वर्ष की अवधि तक ही लागू रहा तथा उसके बाद इसे हटा लिया गया। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि जिस तिथि को धारा -13ए को कानून की पुस्तक में शामिल किया गया अर्थात दिनांक 5.4.1994को ,यदि कोई व्यक्ति अयोग्य भी हो गया हो ,तो भीअयोग्यता समाप्त हो गई और वह 1994-4-5से एक वर्ष की समाप्ति पर चुनाव लड़ने और नगरपालिका के सदस्य का पद संभालने के लिए एक बार फिर योग्य हो गए। गलती का एहसास होने के बाद ,धारा -13ए में संशोधन किया गया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण है ,वह विधायी मंशा का पता लगाना है। यदि विधायिका किसी संशोधन द्वारा किसी पूर्व क़ानून में स्पष्ट चूक की पूर्ति करती है या किसी पूर्व क़ानून की व्याख्या करती है ,तो बाद के क़ानून का उस समय से संबंध होता है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था।]पैरा -793][82 ,80ईएफ-798 ;डी[

2.13 आईएंडबी कोड का एक मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार के लिए प्रावधान करना और इसे एक चालू व्यवसाय बनाना है। आईएंडबी कोड अपने आप में एक पूर्ण कोड है। धारा 7के तहत

याचिका स्वीकार किए जाने पर ,समाधान वृत्तिक और सीओसी को कई महत्वपूर्ण कर्तव्य और कार्य सौंपे जाते हैं। समाधान वृत्तिक को सभी हितधारकों से दावे आमंत्रित करने हेतु एक प्रकाशन जारी करना आवश्यक है। उनसे अपेक्षित है कि वे उक्त जानकारी एकत्रित करें तथा सूचना ज्ञापन में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें। समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन में दिए गए विवरण के आधार पर अपनी प्लान एँ प्रस्तुत करते हैं। समाधान प्लान की समाधान वृत्तिक के साथ-साथ सीओसी द्वारा गहन जांच की जाती है। सीओसी और समाधान आवेदक के बीच होने वाली बातचीत में विभिन्न संशोधन किए जा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय लेनदारों के साथ-साथ परिचालन लेनदारों और अन्य हितधारकों की बकाया राशि का कुछ हिस्सा चुकाते समय ,कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित किया जा सके और उसे एक चालू व्यवसाय बनाया जा सके। सीओसी द्वारा प्लान को मंजूरी दिए जाने के बाद ,न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचना आवश्यक है ,कि प्लान आईएंडबी कोड की धारा 30की उप-धारा (2)में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुरूप है। उसके बाद ही न्यायनिर्णायक प्राधिकारी प्लान को अपनी मंजूरी दे सकता है। यह इस स्तर पर है कि प्लान कॉर्पोरेट देनदार ,उसके कर्मचारियों ,सदस्यों ,लेनदारों , गारंटरों और समाधान प्लान में शामिल अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है। इसके पीछे विधायी मंशा सभी दावों को स्थगित करना है ,ताकि समाधान आवेदक को एक साफ-सुथरी शुरुआत मिले और उसे किसी भी अप्रत्याशित दावे का सामना न करना पड़े। यदि इसकी अनुमति दी गई तो समाधान आवेदक द्वारा अपनी प्लान प्रस्तुत करने के आधार पर की गई गणनाएं गड़बड़ा जाएंगी और प्लान अव्यावहारिक हो जाएगी।]पैरा -802][86एफएच-803 ;एसी[

2.14 शब्द "अन्य हितधारक "में केन्द्र सरकार ,कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण शामिल होंगे। विधानमंडल ने यह देखते हुए कि स्पष्ट चूक के कारण कुछ कर अधिकारी आईएंडबी कोड के अधिदेश का पालन नहीं कर रहे थे और कार्यवाही जारी रख रहे थे ,उक्त गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2019संशोधन लाया गया है। इस प्रकार 2019 ,का संशोधन प्रकृति में घोषणात्मक और स्पष्टीकरणात्मक है और इसलिए संचालन में पूर्वव्यापी है। इसलिए "लेनदार "को 'कोई भी व्यक्ति जिस पर ऋण बकाया है और इसमें वित्तीय लेनदार ,परिचालन लेनदार ,सुरक्षित लेनदार ,असुरक्षित लेनदार और डिक्री-धारक शामिल हैं 'के रूप में परिभाषित किया गया है। "परिचालन लेनदार "को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर परिचालन ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा या हस्तांतरित किया गया है। परिचालन ऋण को रोजगार सहित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा या किसी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार ,किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय है।]पैरा -803] [90 ,87सी-डी ; -804ए-सी[

2.15 यह विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी भी कानून को समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आईएंडबी कोड की धारा 3की उपधारा (10)को धारा 5की उपधारा (20)और (21)को सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन में पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा कि किसी भी समय लागू कानून के तहत उत्पन्न होने वाले और केंद्र सरकार ,किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय बकाया के संबंध में दावा भी 'परिचालन ऋण 'के दायरे में आएगा। केंद्र सरकार ,कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण ,जिस पर परिचालन ऋण बकाया है ,आईएंडबी कोड की धारा 5की उपधारा (20)के तहत परिभाषित 'परिचालन ऋणदाता 'के दायरे में आएगा। परिणामस्वरूप ,वह व्यक्ति जिस पर ऋण बकाया है ,वह आईएंडबी कोड की धारा 3की उपधारा (10)के तहत परिभाषित 'लेनदार 'की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार 2019 ,के संशोधन के बिना भी ,केंद्र सरकार , कोई भी राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण ,जिसके पास वैधानिक बकाया सहित कोई ऋण बकाया है ,उसे 'लेनदार 'शब्द से कवर किया जाएगा और किसी भी मामले में' ,अन्य हितधारकों 'शब्द से ,जैसा कि । & Bकोड की धारा 31की उप-धारा (1)में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 2019का संशोधन घोषणात्मक एवं स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है। भले ही 2019का संशोधन लागू न हुआ हो ,फिर भी हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में ,केंद्र सरकार ,कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण एक बार समाधान प्लान से बाध्य होगा। इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी)अर्थात एनसीएलटी (द्वारा अनुमोदित किया जाता है।]पैरा 91और -804][94सी.एफ-805 ;.ई.पू[.

3.1 कि सीए नंबर 2019/8129के संबंध में ,दिनांक 23.4.2019के विवादित निर्णय और आदेश के अनुसार ,एनसीएलएटी ने पाया कि चूंकि धारा (3) 61आईएंडबी कोड के संदर्भ में कोई आधार नहीं बनाया गया था ,इसलिए कोई भी आरोप सही नहीं है। अपील में राहत दी जा सकती है। एनसीएलएटी की टिप्पणियां उपधारा (3)अंतर्गत धारा 61आईएंडबी कोड के तहत एनसीएलएटी के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे से बाहर हैं।]पैरा 109और -810][110सीडी-811 ;सीडी[

3.2 एनसीएलएटी ने स्पष्ट रूप से पाया कि उप-धारा (3)अंतर्गत धारा (3) 61आईएंडबी कोड के तहत उपलब्ध कोई आधार नहीं बनाया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से पाया गया है कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान प्लान ईएआरसी सहित अन्य दो समाधान आवेदकों की तुलना में बेहतर प्रस्ताव थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने जीएमएसपीएल की समाधान प्लान को सही ढंग से मंजूरी दी है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ,एनसीएलएटी के पास अपीलों को खारिज करना ही एकमात्र विकल्प था। यदि इन टिप्पणियों को यथावत रहने दिया गया तो इससे कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार तथा उसे एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में पुनर्जीवित करने के आईएंडबी कोड के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर दिया जाएगा। सफल समाधान आवेदक पर ऐसे अप्रत्याशित दावे नहीं थोपे

जा सकते जो समाधान प्लान का हिस्सा नहीं हैं। इस प्रकार ,यह स्पष्ट है कि ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान प्लान के अनुसार ,यदि वह एक सफल आवेदक होता ,तो उस स्थिति में ,उसके द्वारा किए गए दावों को अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर दिया जाता और प्रभावी तिथि से स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता तथा पूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाता। यदि ईएआरसी की समाधान प्लान को मंजूरी दे दी गई होती ,तो ऐसे सभी ऋण बिना किसी अन्य कार्रवाई या विलेख के समाप्त हो गए होते और एनसीएलटी द्वारा उक्त प्लान को मंजूरी देना ही ऐसे मामले के लिए किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली पर्याप्त सूचना होती। निर्विवाद रूप से ,ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान प्लान समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत सूचना ज्ञापन के आधार पर थी ,जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि ईएआरसी के दावों को समाधान वृत्तिक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईएआरसी एक ही समय में विरोधाभासी है। इसके अनुसार ,यदि इसकी समाधान प्लान को सीओसी और एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया होता ,तो दावे ,जिन पर अब ईएआरसी द्वारा जोर दिया जा रहा है ,समाप्त हो जाते। हालांकि ,सफल समाधान आवेदक बनने में विफल रहने और अन्य आवेदक को सफल समाधान आवेदक के रूप में अनुमोदित करने पर ,इसका दावा कायम रहेगा। किसी पक्ष को दो अलग-अलग मानदंड लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।]पैरा 111और -811][114डीएफ-813 ;डीजी[

3.3 वर्तमान मामले में ,ईएआरसी का दावा दिनांक 22.1.2018को अस्वीकार कर दिया गया था । उक्त अस्वीकृति को चुनौती देने के बजाय ,ईएआरसी ने कार्यवाही में भाग लिया और समाधान आवेदकों में से एक था। इतना ही नहीं ,पहले दौर में यह सफल बोलीदाता था और इसे H1बोलीदाता का दर्जा दिया गया था। हालाँकि ,चूंकि वार्ता में यह सीओसी को संतुष्ट करने में विफल रहा ,इसलिए समाधान आवेदकों से नई बोलियां आमंत्रित की गईं ,जिन्होंने अपनी ईओआई प्रस्तुत कर दी थी। दिनांक 25.4.2018को आयोजित सीओसी की 12वीं बैठक में ,जीएमएसपीएल की समाधान योजना को %89.23मतदान शेयरों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद ही ,ईएआरसी ने दो आवेदन दायर किए ;एक सीओसी द्वारा जीएमएसपीएल की समाधान योजना के अनुमोदन को चुनौती देने वाला और दूसरा आरपी/सीओसी द्वारा उसके दावों को अस्वीकार करने को चुनौती देने वाला। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ईएआरसी जोखिम उठा रहा था। अपने दावे की अस्वीकृति के बाद ,उसने धारा (5)60के तहत एक आवेदन द्वारा इसे चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना ,बल्कि सीओसी के निर्णय तक प्रतीक्षा की। इस अवधि के दौरान ,यह वास्तव में अपनी समाधान योजना का अनुसरण कर रहा था। जब इसकी समाधान योजना को मंजूरी नहीं मिली और जीएमएसपीएल की समाधान योजना को मंजूरी मिली ,तभी इसने उपरोक्त दो आवेदन दायर किए। इसके अलावा ,जैसा कि ईएआरसी की समाधान योजना में पहले ही देखा जा चुका है ,इसने समाधान योजना का हिस्सा नहीं बनने वाले सभी दावों को समाप्त करने का प्रावधान किया है।] पैरा -120 -815][121बी-ई[

3.4 अन्यथा भी ,यदि तर्क के लिए यह माना जाता है कि ईएआरसी को 'वित्तीय ऋणदाता 'माना जाना चाहिए तथा वह सीओसी में भागीदारी के लिए पात्र है ,तब भी इसकी हिस्सेदारी लगभग %9 थी और इस प्रकार ,जीएमएसपीएल की समाधान प्लान %80बहुमत से पारित हो गई होगी ,जो वैधानिक आवश्यकता से बहुत अधिक है। इसलिए ,एनसीएलएटी द्वारा की गई टिप्पणी ,जिसमें ईएआरसी को अपने दावे उठाने के लिए कानून में उपलब्ध कार्यवाही का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी गई है ,पूरी तरह से अस्थिर है।]पैरा -815][123 ,122एफजी[

3.5 जहां तक झारखंड सरकार के दावे के संबंध में की गई टिप्पणी का संबंध है ,यह ध्यान देने योग्य है कि झारखंड राज्य ने एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील भी नहीं की है। जहां तक श्रम एवं कामगारों के दावों का सवाल है ,समाधान वृत्तिक ने एनसीएलएटी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि कामगारों से जो भी दावे प्राप्त हुए थे ,उन पर समाधान प्लान में विधिवत विचार किया गया था। उस के बावजूदयह टिप्पणी करना कि कामगारों को सिविल न्यायालय या श्रम न्यायालय के समक्ष अपने दावे उठाने की स्वतंत्रता उपलब्ध है ,आईएंडबी कोड के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है। यही बात डी.एस .की अपील में की गई टिप्पणी पर भी समान रूप से लागू होगी ,जिसने 'परिचालन ऋणदाता 'होने का दावा किया है। इसलिए ,एनसीएलएटी के दिनांक 23.4.2019के बी निर्णय से पैराग्राफ संख्या 51 ,43 ,42 ,28और 52को हटाकर अपील स्वीकार की जाती है। एनसीएलटी द्वारा दिनांक 22.6.2018को पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है। पैरा 124और -815][125जीएच-816 ;एसी [

3.6 धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड 2019में संशोधन स्पष्टीकरणात्मक एवं घोषणात्मक प्रकृति का है ,इसलिए इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इस प्रकार ,जब समाधान प्लान को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है ,तो दावे ,जो समाधान प्लान का हिस्सा नहीं हैं ,समाप्त हो जाएंगे और उनसे संबंधित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। चूंकियाचिका का विषय कार्यवाही है ,जो प्लान के अनुमोदन से पहले प्रतिवादियों के दावों से संबंधित है ,उसे जारी नहीं रखा जा सकता। इसी तरह वे दावे भी समाप्त हो जाएंगे जो समाधान प्लान का हिस्सा नहीं हैं।]पैरा -818][130सीडी[

.4 एसएलपी 2020/11232से उत्पन्न सी.ए .में ,अपीलकर्ता को वैकल्पिक उपाय पर भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किसी पक्ष को कार्यवाही और दावों के संबंध में एक मंच से दूसरे मंच तक दौड़ने दिया जा सकता है ,जो कानून में स्वीकार्य नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी किसी भी दावे की वसूली करने या हस्तांतरण तिथि से पहले कॉर्पोरेट देनदार से उन पर बकाया किसी भी ऋण का दावा करने के हकदार नहीं हैं।]पैरा [EF-818][132 ,131

.5 सामान्य तौर पर में ,संविधान के अनुच्छेद 32के तहत WP (C) 117/2020की ऐसी याचिका पर सीधे विचार नहीं किया जाना था । हालाँकि ,इस सभी याचिकाओ में विचार के लिए उठने वाले विधि के प्रश्न पर इस मामले में विचार किया गया है। इस मामले के दृष्टिकोण से ,तत्काल याचिकाकर्ता को नॉन-सूट करना न्याय के हित में नहीं होगा ,जब कि विधि के प्रश्न पर विशेष रूप से निर्णय लिया गया है ,जो वर्तमान मामले को भी नियंत्रित करेगा। प्रतिवादी किसी भी दावे को वसूलने या हस्तांतरण तिथि से पहले कॉर्पोरेट देनदार से उनके द्वारा बकाया किसी भी ऋण का दावा करने के हकदार नहीं हैं।]पैरा -820] [140 ,139ए-सी[

6.1 एसएलपी)सी 2020/50-7147 (से उत्पन्न सीए के संबंध में,यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देय बकाया राशि 'परिचालन ऋण ' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी ,कानून की दृष्टि से गलत है। इसलिए यह निष्कर्ष भी मान्य नहीं हो सकता कि चूंकि एनसीएलटी का आदेश धारा 31अंतर्गत आईएंडबी कोड (1)में संशोधन की तारीख से पहले का है ,इसलिए धारा 31के प्रावधान लागू नहीं होंगे।]पैरा -821][144एबी[

6.2 उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अपीलकर्ता कंपनी के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है ,क्योंकि प्रबंधन को वी कंपनी द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। समाधान प्लान कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में है और सफल समाधान आवेदक केवल समाधान प्लान के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन अपने हाथ में लेता है। समाधान आवेदक कॉर्पोरेट देनदार की जगह ले रहा है। इस प्रकार ,इस संबंध में निष्कर्ष भी कानून में टिकने लायक नहीं होगा।]पैरा -821][145बीडी[

6.3 यह प्रस्तुत किया गया कि समाधान वृत्तिक /सीओसी ने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से कार्य किया था ; और यद्यपि दावा आमंत्रित करने वाला नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना आवश्यक था जहां कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय स्थित था ,जबकि नोटिस कोलकाता संस्करण के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। विनियमन)(2)6बी (अंतर्गत विनियमन 2016 के अनुसार ,उक्त नोटिस को कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय के स्थान पर व्यापक प्रसार वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि यह नोटिस बिजनेस स्टैंडर्ड और आनंद बाजार पत्रिका के कोलकाता संस्करण में प्रकाशित हुआ था ,जिनका रांची में व्यापक प्रसार है। कॉर्पोरेट देनदार का कॉर्पोरेट कार्यालय कोलकाता में है जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय रांची में है। किसी भी मामले में ,यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार के वन विभाग ने एनसीएलटी के साथ-साथ एनसीएलएटी के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था। जब राज्य सरकार के एक अंग ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया है ,तो यह विश्वास करना कठिन है कि राज्य के अन्य अंग को उक्त कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी।]पैरा -821][146डीजी[

6.4 यह दलील कि धारा 13के गैर-अनुपालन के संबंध में निष्कर्ष को ईएस कंपनी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है ,भी गलत है ,क्योंकि ईएस कंपनी ने अपील ज्ञापन में इस आशय के लिए आधार 'यू 'से 'एए 'तक विशिष्ट आधार उठाया है।]पैरा -821][147जीएच[

6.5 उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी किसी भी दावे की वसूली करने या हस्तांतरण तिथि से पहले कॉर्पोरेट देनदार से उन पर बकाया किसी भी ऋण का दावा करने के हकदार नहीं हैं।]पैरा -822][149 -148एबी[

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य **8 (2020)एससीसी 16 [2019] :531एससीआर** ;275के .शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक व अन्य **12 (2019)एससीसी 3 [2019] : 150एससीआर** ;845महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश व अन्य **11 (2020)एससीसी** ;467कराड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम स्वप्निल भिंगरदेवय व अन्य **9 (2020)एससीसी** ;729कल्पराज धर्मशी व अन्य बनाम कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड व अन्य **2021एससीसी ऑनलाइन एससी** ;204बनारसी व अन्य बनाम रामफल **9 (2003)एससीसी 2 [2003] : 606एससीआर** ;22स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम वी .रामकृष्णन व अन्य **17 (2018)एससीसी 10 [2018] : 394 एससीआर** ;974बीके एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स **11 (2019)एससीसी 12 [2018] : 633एससीआर** ;794इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक व अन्य **1 (2018)एससीसी एफ 8 [2017] : 407एससीआर** ; 33प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड **(18) 2018एससीसी** ;786केपी वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी ,एर्नाकुलम व अन्य **4 (1981)एससीसी 1 [1982] : 173एससीआर** ;629 भारत संघ व अन्य बनाम मार्टिन लॉटरी एजेंसियां लिमिटेड **12 (2009)एससीसी 7 [2009] : 209 एससीआर** ;946जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य **8 (2004)एससीसी 5 [2004] : 1 अनुपूरक एससीआर** ;272आयकर आयुक्त ,अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड **9 (2008)एससीसी 12 [2008] : 622एससीआर** ;179स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम वी . रामकृष्णन और अन्य **17 (2018)एससीसी 10 [2018] :394एससीआर** ;974अक्षय झुनझुनवाला और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य **2018एससीसी ऑनलाइन कोलकाता** ;142एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जेईकेपीएल प्राइवेट लिमिटेड **कंपनी अपील)एटी) (दिवाला (संख्या** ;2017/304बाबू राम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरिम जिला परिषद मुजफ्फर नगर **1 [1969]एससीआर** ,518व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स ,मुंबई और अन्य **8 (1998)एससीसी 2 [1998] :1अनुपूरक एससीआर** ;359 निवेदिता शर्मा बनाम सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य **14 (2011)एससीसी**

;**337**एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **13 (2020) एससीसी** - **308**संदर्भित किया गया ।

न्यायमूर्ति जी.पी .सिंह के" वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत "पर निबंध14 ,वां संस्करण –संदर्भित किया गया ।

केस लॉ संदर्भ

16 [2019]एससीआर 275	संदर्भित	पैरा 25
3 [2019]एससीआर 845	संदर्भित	पैरा 31
11 (2020)एससीसी 467	संदर्भित	पैरा 31
9 (2020)एससीसी 729	संदर्भित	पैरा 31
2 [2003]एससीआर 22	संदर्भित	पैरा 33
10 [2018]एससीआर 974	संदर्भित	पैरा 35
12 [2018]एससीआर 794	संदर्भित	पैरा 35
8 [2017]एससीआर 33	संदर्भित	पैरा 49
(18) 2018एससीसी 786	संदर्भित	पैरा 64
1 [1982]एससीआर 629	संदर्भित	पैरा 74
7 [2009]एससीआर 946	संदर्भित	पैरा 75
5 [2004]अनुपूरक एससीआर 272	संदर्भित	पैरा 79
12 [2008]एससीआर 179	संदर्भित	पैरा 83
10 [2018]एससीआर 974	संदर्भित	पैरा 84
1 [1969]एससीआर 518	संदर्भित	पैरा 129
2 [1998]अनुपूरक एससीआर	संदर्भित	पैरा 129

359		
14 (2011)एससीसी 337	संदर्भित	पैरा 129
13 (2020)एससीसी 308	संदर्भित	पैरा 129

सिविल अपीलीय/मूल क्षेत्रीय अधिकारिता :सिविल अपील संख्या 2019/8129

कंपनी अपील)एटी) (दिवाला (संख्या 2018/437में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ,नई दिल्ली के दिनांक 23.04.2019के निर्णय एवं आदेश से।

साथ में

सिविल अपील संख्या ,2021/1554रिट याचिका)सिविल (संख्या 2020/1177और सिविल अपील संख्या 2021/1553-1550।

डॉ .अभिषेक मनु सिंघवी ,नीरज किशन कौल ,गोपाल जैन ,जयदीप गुप्ता ,सीनियर एडवर्सस ,महेश अग्रवाल ,हिमांशु सतीजा ,अर्शित आनंद ,दिव्यांग चंदीरामनी ,रोहन तलवार ,अंकुर सहगल ,अमित भंडारी ,योजीत मेहरा ,दीपक जोशी ,ईसी अग्रवाल ,सुश्री श्रुति जोस ,सुश्री ऐनी मैथ्यू ,अमित कुमार मिश्रा ,सिद्धार्थ शर्मा ,शशांक अपीलकर्ता के लिए गौतम ,शशांक मनीष ,अरविंद थपलियाल ,माणिक अहलूवालिया ,सुश्री निधि सहाय ,यश कुमार अधिवक्ता अपीलकर्ता की तरफ से ।

वी .शेखर ,एस .गुरु कृष्ण कुमार ,सीनियर एडबनाम ,भक्ति वर्धन सिंह ,सुश्री शीतल राजपूत ,राजीव शंकर द्विवेदी ,कुमार अनुराग सिंह ,सौरभ जैन ,ज़ैन खान ,श्वेतांक सिंह ,सुश्री आस्था श्रेष्ठ ,सुश्री तूलिका मुखर्जी ,प्रशांत भूषण ,संजय भट्ट ,सुमित नागपाल ,प्रणव प्रशांत ,सुश्री आकांशा श्रीवास्तव , राबिन मजूमदार ,मोहम्मद अखिल ,एफ रूपेश कुमार ,सुश्री सीमा बेंगानी ,बी .कृष्णा प्रसाद ,बीवी बलराम दास ,एमके मारोरिया ,संदीप बजाज ,सोयब कुरेशी ,सुश्री अदिति पुंढीर ,सुश्री संज्ञा गुप्ता ,राज कुमार मेहता ,सुश्री हिमांशी एंडली ,सीके राय ,बडी ए रंगानाधन ,एवी रंगम ,अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स की तरफ से न।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

बी.आर .गवई ,न्यायमूर्ति

.1स्पेशल लीव पेटिशन)सिविल (संख्या 2020/11232और 2020/7150-7147को स्वीकार किया जाता है ।

.2इस विषय में विचार हेतु उठने वाले संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं-:

(i) ''इस बारे में कि क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित कोई लेनदार समाधान योजना के लिए बाध्य है, एक बार जब इसे उप-धारा के तहत किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।'' (1) दिवाला की धारा 31 और दिवालियापन कोड, 2016 (इसके बाद आई एंड बी कोड के रूप में संदर्भित)?

(ii) के बारे में कि क्या धारा में संषोधन 31 2019 के अधिनियम 26 की धारा 7 द्वारा स्पष्टीकरण/घोषणात्मक या मूल है प्रकृति?

(iii) इस बारे में कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित कोई लेनदार इसके लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का हकदार है। कॉर्पोरेट डेब्टर से किसी भी बकाया की वसूली, जो द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं न्यायनिर्णायक प्राधिकरण?

3. हम सबसे पहले इनमें से प्रत्येक मामले में तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

''2019 की सिविल अपील सं0-8129 घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्राईवेट लिमिटेड बनाम् एडवेल्वाइसएसेट रिकंस्ट्रक्षन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य)

4. उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स लिमिटेड (इसके बाद ''कॉर्पोरेट डेब्टर'' या ''ओएमएमएल'' के रूप में संदर्भित) लौह अयस्क ग्रेफाइट, मैंगनीज अयस्क के खनन के व्यवसाय में लगा हुआ था। उड़ीसा और झाररवण्ड राज्य में अपनी सुविधाओं के माध्यम से छर्रों में लोहे के बारीक कणों को छर्रों के रूप में एकीकृत करता था। भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद ''एसबीआई'' के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट डेब्टर के संबंध में प्रोयेप इन्साल्वेंसी जीवाष्य राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के कोलकाता बंेच, कोलकाता (इसके बाद ''एनसीएलटी'' के रूप में संदर्भित) समक्ष दायर।

5. दिनांक- 03.08.2017 के आदेश के माध्यम से 371/के.बी./2017 एस.बी.आई. द्वारा दारिवल की गई। श्री सुमित बिनानी को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (इसके बाद ''आईआरपी'' के रूप में संदर्भित) के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी की उक्त याचिका को स्वीकार करने पर, सीआईआरपी दिनांक 3.8.2017 से शुरू किया गया। आईआरपी की नियुक्ति की पुष्टि कमिटी ऑफ क्रेडिटर (इसके बाद ''सीओसी'' के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक- 4.9.2017 को आयोजित अपनी बैठक में की गई थी। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (इसके बाद ''आरपी'' के रूप में संदर्भित) ने आई एंड बी कोड के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार रूचि की अभिव्यक्ति (इसके बाद ''ईओआई'' के रूप में संदर्भित) और समाधान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करके समाधान प्रक्रिया जारी ररवी। 180 दिनों की सीआईआरपी की प्रारंभिक अवधि 29.1.2018 को समाप्त हो गई।

सीओसी के अनुरोध पर, आरपी ने सीआईआरपी अवधि के विस्तार के लिए एक आवेदन भेजा, जो हुआ 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया है यानि 29.4.2018 तक

6. निमंत्रण के प्रत्युतर में से प्रत्येक से आरपी द्वारा तीन समाधान योजनाएं एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्षन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद ईएआरसी के रूप में संदर्भित ईएआरसी), प्रतिवादी नंबर 1, उड़ीसा माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड (इसके बाद ''ओएमपीएल'' के रूप में संदर्भित) और घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राईवेट लिमिटेड (इसके बाद ''जीएमएसपीएल'' के रूप में संदर्भित) जो इस मामले में अपीलकर्ता हैं। दिनांक 14.3.2018 को आयोजि सीओसी की आठवीं बैठक, ईएआरसी को एच 1 बिडकर्ता घोषित किया गया था। लेकिन, ईएआरसी परामर्श के दौरान सीओसी को संतुष्ट करने में विफल रहा और इस तरह, ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को सीओसी की दिनांक 31.3.2018 को आयोजित नौंवी बैठक में अस्वीकार कर दिया गया।

7. इसके बाद सीओसी एच2 बिडकर्ता जीएमएसपीएल के साथ बातचीत प्रारंभ की। लेकिन जीएमएसपीएल की समाधान योजना भी सीओसी के लिए अस्वीकार्य पाई गई और इसलिए, दिनांक 3.4.2018 को आयोजित दसवीं बैठक में, इसने मौजूदा प्रक्रिया को रद्द करने और केवल उन आवेदकों से समाधान योजना के निमंत्रण के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया, जिन्होंने पहले अपना ईओआई जमा किया था। तदनुसार, आवेदकों को एक पत्र भेजा गया था, जिन्होंने अपना ईओआई जमा कर दिया था। उक्त निमंत्रण के जवाब में, जीएमएसपीएल, ईएआरसी और श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद एसआईएफएल के रूप में संदर्भित) से तीन समाधान योजनाएं प्राप्त हुई। इन समाधान योजनाओं पर सीओसी द्वारा 13.4.2018 को आयोजित अपनी ग्यारहवीं बैठक में विचार किया गया। समाधान योजनाओं के मूल्यांकन के बाद, सीओसी ने जीएमएसपीएल को एच 1 बिडकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया।

8. आगे की बातचीत सीओसी एवं जीएमएसपीएल के मध्य इस संबंध में विचार विमर्श हुआ। कई दौर की बातचीत के बाद, सीओसी द्वारा मंजूरी के लिए जीएमएसपीएल की समाधान योजना पर विचार किया गया। दिनांक 21.4.2018 को सम्पन्न सीओसी की बारहवीं बैठक में सर्वसम्मति से जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना पर मतदान करने के लिए दिनांक 25.4.2018 को शाम 6 बजे सीओसी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना आई एंड बी कोड की धारा 30 की उप-धारा (2) के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसे मतदान के लिए सीओसी के सदस्यों के सामने ररवा गया और समाधान योजना को कॉर्पोरेट डेब्टर के वित्तीय लेनदार मतदान हिस्से के 89.23 से अधिक द्वारा अनुमोदित किया गया।

9. तदनुसार, एक कंपनी आवेदन सी. ए. (आईबी) नंबर 402/केबी/2018 जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आरपी द्वारा दारिवल किया गया। 398/केबी/2018

ईएआरसी प्रतिवादी सं0-1 द्वारा आवेदन सी. ए. है (आईबी) नंबर दायर किया गया जिसमें जीएमएसपीएल की समाधान योजना की मंजूरी को चुनौती दी गई। यहां प्रतिवादी संरव्या- 1 एक और आवेदन ईएआरसी द्वारा दायर किया गया था सीए (आईबी) नंबर 470/केबी/2018 के रूप में जिसमें अपने दावे को स्वीकार न करने के आरपी के फैसले को चुनौती दी गई। उक्त आवेदन इस आषय के साथ दायर किया गया था कि इसका दावा आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (इसके बाद एपीएनआरएल के रूप में संदर्भित) जो कॉर्पोरेट देनदार की सहयोगी संस्था थी, द्वारा कॉर्पोरेट डेब्टर द्वारा प्रदान की गई थी, को प्रदत्त टेकआउट सुविधा के खिलाफ कॉर्पोरेट गारंटी के बल पर खड़ा है। यह तर्क दिया गया था कि कॉर्पोरेट गारंटी के बल पर दावे को स्वीकार न करते हुए, आरपी ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 (इसके बाद ''विनियम'' के रूप में संदर्भित) के विनियम 13 और 14 का उल्लंघन किया। सफल समाधान आवेदक यानी जीएमएसपीएल को निर्देश देने के लिए आवेदन में अनुरोध किया गया था कि उक्त कॉर्पोरेट गारंटी के तहत देय और देय पूरी राशि का भुगातन करें, ए.पी.एन.आर.एल. के ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देष जारी करें। एक और आवेदन सी.ए. (आईबी) संरव्या- 509/KB/2018 जिला रवनन अधिकारी, रवनन और भूविज्ञान विभाग, झाररवण्ड द्वारा दायर किया गया था, जिसमें इसके रू0 93,51,91,724/- और रू0 760.51 करोड़ दावे को स्वीकार न करने को चुनौती दी गई थी।

10. एनसीएलटी ने दिनांक 22.6.2018 के एक विस्तृत आदेश द्वारा जीएमएसपीएल की समाधान योजना को मंजूरी दी, जिसे सीओसी द्वारा 89.23 से अधिक के मतदान हिस्से द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। ईएआरसी प्रतिवादी सं0-1 द्वारा दायर दो आवेदनों सहित बाकी आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

11. एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, ईएआरसी ने कंपनी अपील (एटी) को दायरडी (दिवाला) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय संरव्या-437/2018 एवं 444/2018 न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद ''एनसीएलएटी'' के रूप में संदर्भित) के समक्ष कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) नंबर 437/2018, कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संरव्या-444/2018 में शिकायत की गई है आरपी और सीओसी ने गलती से माना था कि जीएमएसपीएल की योजना ईएआरसी की तुलना में बेहतर थी। कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) नंबर 437/2018 वित्तीय लेनदार के रूप मं ईएआरपी के दावे को स्वीकार नहीं किए जाये, इस तरह सीओसी में इसे शामिल न करने के खिलाफ था। एक और कंपनी अपील कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) नंबर 500/2018कॉर्पोरेट डेब्टर के श्रमिकों की ओर से सुंदरगढ़ माइंस एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन (इसके बाद ''एसएमटीडब्ल्यूयू'' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर किया गया था। एक अन्य कंपनी अपील कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) नंबर 438/2018 दीपक सिंह द्वारा दायर किया गया था, एक एपीएनआरएल का कर्मचारी जिसमें वेतन के बकाये का दावा किया गया था।

12. दिनांक 23.4.2019 के संदर्भित निर्णय और आदेश के अनुसार, एनसीएलएटी ने यह मानते हुए कि ईएआरसी के दावे को स्वीकार न करने में आरपी को उचित ठहराया था और एनसीएलटी ने ईएआरसी द्वारा दायर आवेदन को सही ढंग से रवारिज कर दिया था, यह पाया कि दावों को इकट्ठा करने और इसे रिजॉल्यूशन प्लान का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से इस दावे को अस्वीकार करने से कॉर्पोरेट डेब्टर के रिवलाफ बैंक गारंटी लागू करने के ईएआरसी के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यदि मूल उधारकर्ता ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, चूंकि अधिस्थगन अवधि समाप्त हो गई थी। ईएआरसी और जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की तुलना पर एनसीएलएटी ने पाया कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना अन्य आवेदकों की योजनाओं से बेहतर था और जीएसएचपीएल की समाधान योजना स्वीकार करना गैर कानूनी नहीं था।

13. कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संरव्या-500/2018 में षिकायत यह थी कि हालांकि लगभग 1,476 श्रमिक कार्यरत थे, लेकिन आरपी ने उनके उचित वेतन, वैधानिक बकाया और अन्य लाभों को नजरअंदाज कर दिया। एनसीएलएटी ने, उक्त आदेश में, कहा कि स्थगन की अवधि के बाद ऐसे व्यक्तियों के लिए सिविल अदालत के समक्ष जाने या कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इसलिए एनसीएलएटी ने पाया कि उसमें अपीलकर्ता दीवानी अदालत या सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष जा सकता है और संबंधित श्रमिकों के पक्ष में या कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ उचित राहत के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, यदि उन्होंने वास्तव में काम किया है और समाधान योजना में इसका ध्यान नहीं ररवा गया है।

14. कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संरव्या-438/2018 में अपीलार्थी दीपक सिंह का दावा था कि वह कॉर्पोरेट डेब्टर की होल्डिंग कंपनी एपीएनआरएल में प्रेसिडेंट ग्रुप हेड एचआर के रूप में 2.6.2014 से 9.3.2015 की अवधि में शामिल हुए थे। उनका दावा था कि एपीएनआरएल से रू0 17,03,000/-. की राशि उन्हें प्राप्त होनी थी और इस तरह, वह एक आपरेशनल क्रेडिटर की श्रेणी में आते थे। उनका कहना था, कि हालांकि उक्त अपीलार्थी का दावा वैध था, लेकिन इसे आरपी द्वारा अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। एनसीएलएटी ने कहा कि जहां तक उक्त अपील का संबंध है, आर एंड बी कोड की धारा 61 की उप-धारा (3) के तहत इस दावे का कोई आधार नहीं है और इस तरह, अपील में राहत नहीं दी जा सकती है। हालांकि, यह पाया गया कि अपील में पारित उक्त आदेश उचित राहत के लिए उपयुक्त न्यायालय का सहारा लेने में अपीलकर्ता के लिए बाधक नहीं होगा।

15. जीएमएसपीएल, इस प्रकार, एनसीएलएटी द्वारा की गई टिप्पणियों से व्यथित हो के कि पार्टियों के दावे, जो समाधान योजना में शामिल नहीं हैं, अन्य न्यायालयों के सामने उनके द्वारा उठाए जा सकते हैं, वर्तमान अपील दायर की है।

<u>''विशेष अनुमति याचिका(सिविल) 2020 का संरव्या-11232'' से उत्पन्न सिविल अपील ''अल्ट्राटेक नथद्वारा सीमेंट लिमिटेड'' बनाम ''उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य''</u>

16. अपीलकर्ता अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और सीमेंट एंव अन्य उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के व्यवसाय में लगी है।

17. 19.12.2015 को अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद ने मेसर्स बिनानी सीमेंट लिमिटेड द्वारा की गई अपील में एक आदेश पारित किया। इस आदेश में बिनानी सीमेंट द्वारा दायर अपील को अनुमति प्रदान करते हुए रू0 24,71,885/-. के जुर्माना के आदेश को रदद् कर दिया गया। बिनानी सीमेंट द्वारा दायर अपील में दिनांक 22.12.2015 को पारित एक अन्य आदेश के माध्यम से रू0 59,61,445/-. का जुर्माना लगाने का आदेश भी रद्द कर दिया गया। दिनांक 2.8.2017 के आदेश के माध्यम से, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, डिवीजन 10, गाजियाबाद ने पाया कि बिनानी सीमेंट मूल्यांकन वष 2003-04 के लिए रू0 40,47,344/-. के प्रवेष कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। दिनांक 2.8.2017 के एक अन्य आदेश द्वारा, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, डिवीजन 10, गाजियाबाद ने आगे कहा कि बिनानी सीमेंट प्रविष्टि का मूल्यांकन वर्ष 2004-05 के लिए रू0 43,06,715/-. का प्रवेश कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

18. चूंकि उक्त बिनानी सीमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा को ऋण का भुगतान करने में असमर्थ था, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीए (आईबी) 359/केबी/2017 के रूप में एक आवेदन आई एंड बी कोड की धारा 7 के तहत एनसीएलटी कोलकाता पीठ के समक्ष दायर किया। दिनांक 25.7.2017 के आदेश के माध्यम से, एनसीएलटी ने सीआईआरपी प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका स्वीकार की। उक्त आदेश के माध्यम से, एनसीएलटी ने आई एंड बी कोड की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन अवधि की भी घोषणा की।

19. सीआईआरपी की शुरूआत के बारे में अधिकारियों को दिनांक 10.11.2017 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। हालांकि, अधिकारी ने अपीलार्थी के आवेदन का समर्थन करते हुए कहा कि कर निर्धारण प्रक्रिया पर एनसीएलटी द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी। यह पाया गया कि अगर एनसीएलटी द्वारा कोई स्पष्ट आदेश पारित किया गया था तो उसे पेश किया जाना चाहिए या बिनानी सीमेंट को अगली तारीरव यानी 27.11.2017 को कर निर्धारण प्रक्रिया की सुनवाई के लिए उपस्थित होना चाहिए।

20. दिनांक 28.07.2017 को आरपी ने एक सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से कॉर्पोरेट डेब्टर के सभी लेनदारों से दावे आमंत्रित किए, जैसा कि आई एंड बी कोड की धारा 15 के तहत अपेक्षित है। दावे जमा करने की आरिवरी तारीरव 8.8.2017 थी। दावे प्राप्त हाने पर आरपी ने उनके द्वारा दावा की गई राशि और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ लेनदारों की एक सूची तैयार की। आरपी ने ईओआई भी

आमंत्रित किया है। जवाब में, वर्तमान अपीलार्थी सहित विभिन्न संस्थाओं ने अपने ईओआई के साथ-साथ समाधान योजनाओं को प्रस्तुत किया। सीओसी ने दिनांक 28.05.2018 की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से वर्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी। सीओसी द्वारा अनुमोदन के बाद एनसीएलएटी ने दिनांक 14.11.2018 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की समाधान योजना को मंजूरी दी। उक्त आदेश को सिविल अपील संरव्या- 10998/2018 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। जिसे इस अदालत द्वारा दिनांक- 19.11.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

21. दिनांक 13.12.2018 को कॉर्पोरेट डेब्टर का नाम बिनानी सीमेंट लिमिटेड से बदलकर अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट लिमिटेड कर दिया गया था और कॉर्पोरेट डेब्टर का प्रबंधन अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने 2015 से अपने हाथ में ले लिया था। 20.11.2018, तत्पश्चात, अपीलकर्ता ने कर अधिकारियों को, जो इस वाद में प्रतिवादी हैं, विभिन्न पत्रों के माध्यम से बताया कि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना अनुमोदित किए जाने के बाद, कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ स्थानांतरण तिथि से पहले शुरू और लंबित सभी कार्यवाही, रोक दी गई है। यह भी सूचित किया गया था कि परिचालन लेनदारों के प्रति सभी देनदारियों को कॉर्पोरेट डेब्टर द्वारा समाधान राशि के भुगतान द्वारा निपटाया गया माना जाएगा। हालांकि, टैक्स अधिकारियों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि चूंकि किसी न्यायालय द्वारा मामले में रोक नहीं थी, इसलिए कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता था, अपीलार्थी द्वारा संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (कॉर्पोरेट सर्कल), गाजियाबाद को दिनांक 26.4.2019 को संबोधित विभिन्न पत्रों के बाद, प्राधिकरण द्वारा 29.4.2019 पर निम्नलिरिवत समर्थन अंकित किया गया।

''आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के बाद, यह पाया जाता है कि, माननीय एनसीएलटी/ एनसीएलएटी द्वारा हस्तांतरण के बाद, न तो कर निर्धारण पर रोक लगाई जाती है और न ही इसकी मांग किए जाने पर। तो की गई मांग आपके द्वारा देय है। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो उच्च प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं, इसकी प्रति हमें प्रस्तुत करें। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निपटान किया जाता है।''

22. राजस्थान राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सिविल अपील संख्या - 5889/2019 के माध्यम से समाधान योजना को चुनौती दी गई। हालांकि, उक्त अपील को इस अदालत के आदेश दिनांक 26.7.2019 के माध्यम से रवारिज कर दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद, वस्तु एवं सेवा कर, जोधपुर के आयुक्त द्वारा भी अपील सिविल अपील संरव्या- 630634/2020 द्वारा समाधान योजना को चुनौती दी गई। इसे भी इस अदालत द्वारा दिनांक-24.1.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

23. अपीलार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड 2 (अपील) के दिनांकित 30.1.2020 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय सिविल विविध रिट याचिका संरव्या-354/2020 दायर की। अपीलकर्ता का कहना था कि उत्तरप्रदेश राज्य में कार्यवाही एनसीएलटी द्वारा अपीलार्थी की समाधान योजना की मंजूरी के बावजूद अप्रभावित रहनी चाहिए। अपीलार्थी ने इस आशय की घोषणा के लिए भी प्रार्थना की, कि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के संदर्भ में विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। अपीलार्थी द्वारा विरोध स्वरूप जमा किए गए रू0 248.92 लाख रूपये के रिफंड और बैंक गारंटी वापस किए जाने कि लिए भी प्रार्थना की गई थी।

24. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 6.7.2020 के आदेश के माध्यम से कहा कि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के संबंध में अपीलार्थी के विरोध को प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी निपटाया गया है और इसलिए उचित होगा कि अपीलार्थी को वैट अधिनियम के तहत उपलब्ध दूसरी अपील दायर करने के वैकल्पिक उपाय का सहारा लेना चाहिए। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

<u>''रिट याचिका (सिविल) संरव्या- 2020 का 1177 मेसर्स मोनेट उत्पाद एंड एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य बनाम् एस ओडिशा एवं अन्य राज्य''</u>

25. याचिकाकर्ता कंपनी एक कॉर्पोरेट डेब्टर है जिसके संबंध में सीआईआरपी की कार्यवाही जुलाई 2017 में शुरू हुई और जुलाई 2018में समाप्त हुई, जब एनसीएलटी ने एयन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (संक्षेप में ''एयन जेएसडब्ल्यू'') के एक कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी। एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन से पहले, सीओसी ने 98.97% के मतदान बहुमत से उक्त समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। यह याचिकाकर्ता का तर्क है, कि आई एंड बी कोड के प्रावधानों के अनुसार, आरपी ने एक सार्वजनिक घोषणा की थी, जिसके माध्यम से लेनदारों से दावे आमंत्रित किए गए थे। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा खरीदे गए लौह अयस्क की रॉयल्टी के लिए सेवा कर की वसूली के लिए प्रतिवादियों, जिला रवनिज फाउंडेषन (संक्षेप में ''डीएमएफ'') और राष्ट्रीय रवनिज अन्वेषण ट्रस्ट (संक्षेप में ''एनएमईटी'') द्वारा जारी मांग नोटिस इस न्यायालय द्वारा **एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के**

माध्यम से बनाम् सतीष कुमार गुप्ता एवं अन्य[1] (2020) 8 एससीसी 531 के मामले में लिए गए निर्णय के विपरीत है, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

<u>''विषेष लीव याचिका (सिविल) 2020 का 7147-50 से ''याचिका (नागरिक) उत्पन्न सिविल अपील, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, बोकरो, झाररवण्ड बनाम् झाररवण्ड राज्य एवं अन्य''।</u>

26. अपीलकर्ता एक कॉर्पोरेट डेब्टर है जिसके संबंध में धारा 7 के तहत कार्यवाही एसबीआई द्वारा शुरू की गई थी। एनसीएलटी के दिनांक- 21.7.2017 के आदेश के माध्यम से, एसबीआई द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और श्री धैवत अंजारिया अंतरिम पेशेवरसमाधानकर्ता (आईआरपी) के रूप में नियुक्त किए गए थे। दिनांक-21.8.2017 को सम्पन्न अपनी बैठक में, सीओसी ने आरपी के रूप में आईआरपी की नियुक्ति को मंजूरी दी। समाधान योजना के आमंत्रण के संदर्भ में चार आवेदकों ने अपने समाधान योजना प्रस्तुत किए थे। सीओसी ने वेदांता लिमिटेड की समाधान योजना को 100% वोटिंग शेयर से मंजूरी दी थी। एनसीएलटी ने दिनांक- 17.4.2018 के आदेश के माध्यम से वेदांता लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी दी। रेनेसां स्टील इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संरव्या- 175/2018 एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाले अपील एनसीएलएटी द्वारा दिनांक 10.8.2018 के आदेश के माध्यम से रवारिज कर दिया गया। 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए झाररवण्ड वैट अधिनियम के तहत देय टैक्स जुर्माने के कारण प्रतिवादी राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी नोटिसों और रू0 37,41,41,602/-. की राशि का भुगतान करने के लिए कहने वाले एसबीआई के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने झाररवण्ड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । अपीलार्थी ने राज्य कर अधिकारी, बोकारो द्वारा जारी रू0 75,57,000/-. की राशि जमा करने के लिए दिनांक 22.11.2019 के पत्र को भी चुनौती दी थी। अन्य मामलों की तरह, अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है, कि आई एंड बी कोड की धारा 31 ध्यान में ररवते हुए, चूंकि प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा समाधान योजना का हिस्सा नहीं था, इसलिए एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना अनुमोदित किए जाने पर यह दावा समाप्त हो जाएगा। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं था और समाधान योजना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि उसने सीआईआरपी की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था।

<u>2019 के सिविल अपील संरव्या-8129में प्रस्ताव घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राईवेट लिमिटेड बनाम् एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्षन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य</u>,

27. डॉ. ए.एम. सिंघवी, जीएमएसपीएल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि जैसा कि इस अदालत ने कई फैसलों में माना है, समाधान योजना को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में सीओसी का व्यावसायिक ज्ञान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप की आवयश्कता कानून के

अंतर्गत उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के सीमित मापदंडों के भीतर होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि एक बार जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देता है, यह कॉर्पोरेट डेब्टर और इसके कर्मचारियों सहित सभी के लिए बाध्यकारी होगा। यह सदस्यों, केंद्र सरकार सहित लेनदार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, जिस पर उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण देय है के साथ-साथ, गारंटर और अन्य हितधारक, जो समाधान योजना में शामिल हैं, पर भी लागू है। उन्होंने कहा कि एक बार समाधान योजना स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात, यदि समाधान योजना पर कोई अतिरिक्त दायित्व लगाया जाता है, पूरा प्लान बेकार हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के उद्देश्य यानी कॉर्पोरेट डेब्टर का पुनरूद्धार का उद्देश्य ही पर्याप्त हो जाएगा।

28. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना विषेष रूप से इसके रवण्ड 2.1.3 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि उक्त योजना में प्रावधान है उन सभी ऋण और सभी बकाया, जो समाधान योजना में शामिल हैं, के अतिरिक्त अन्य ऋण और बकाया से माफ कर दिए जायेंगे और स्थायी रूप से उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और प्रभावी तारीख से पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है।

29. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना रू0 231.19 करोड़ की राशि के लिए है। यदि समाधान आवेदक पर रू0 648.89 करोड़ रूपये की अतिरिक्त देनदारी जोड़ दी जाती है, समग्र समाधान योजना क्रियान्वित नहीं हो पाएगी।

30. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि एनसीएलटी ने ईएआरसी का आचरण सही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि एनसीएलटी ने स्पष्ट रूप से पाया है कि ईएआरसी द्वारा दायर आवेदन अपने अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुमोदन के खिलाफ आपत्ति करने का एक जानबूझ कर किया गया प्रयास था। उन्होंने कहा कि वास्तव में, एनसीएलटी ने इसके आचरण को ध्यान में ररवते हुए ईएआरसी पर 1 लारव रू. की लागत लगाई है।

31. डॉ. सिंघवी ने इस न्यायालय के के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक एवं अन्य[2] (2019) 12 एससीसी 150 मामले के निर्णय को उद्धृत किया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से **एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम् सतीष कुमार गुप्ता और अन्य (ऊपर) महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम् पद्मनाभम वेंकटेष और अन्य3 (2020) 11 एससीसी 467, कराड अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम् स्वपनिल भींगरदेव और अन्य[4] (2020) 9 एससीसी 729 और कल्पराज धर्मषी एवं अन्य बनाम् कोटक निवेष सलाहकार लिमिटेड एवं अन्य[5] (2021) एससीसी आनलाईन एससी 204**

32. ईएआरसी प्रतिवादी संरव्या-1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि संदर्भित आदेश द्वारा एनसीएलएटी अपने पक्ष में कॉर्पोरेट गारंटी का आह्वाह्न करने का ईएआरसी का अधिकार सुरक्षित ररवा है। उन्होंने कहा कि आरपी और सीओसी द्वारा कार्यवाही के गलत संचालन के कारण, ईएआरसी एक अनिश्चित स्थिति में आ गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर आरपी ने ईएआरसी को वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिसके फलस्वरूप यह सीओसी में इसके नामांकन और कार्यवाही को अंतिम रूप देने में भागीदारी से वंचित है। दूसरी ओर, ईएआरसी को अपनी बैंक गारंटी को भुनाने से इंकार करने से ईएआरसी इससे वंचित है। एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश को बनाए ररवने की स्थिति में, ईएआरसी का एक बड़ा दावा व्यर्थ हो जाएगा। उनका कहना था कि अपील में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

33. अपीलार्थी की दलीलों के जवाब में कि ईएआरसी ने एनसीएलएटी के आदेश के रिवलाफ अपील नहीं की है, हालांकि इसकी अपील का निपटारा किया गया था, विद्वान वकील में इस अदालत के **बनारसी एवं अन्य बनाम् रामफल**[6] (2003) 9 एससीसी 606 मामले फैसले को उद्धृत करते हुए कहा कि चूंकि एनसीएलएटी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उसके पक्ष में हैं, इसलिए इसके लिए अपील करने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में यह संदर्भित आदेश में निष्कर्षों के आधार पर मामला विचारार्थ उठाया जो अंतिम फैसेल उनके पक्ष में होने के साथ ईएआरसी के लिए प्रतिकूल था।

34. श्री नीरज किशन कौल, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह स्वीकार किए बिना कि ईएआरसी को वित्तीय लेनदार माना जा सकता है, इसके पास केवल 9प्रतिशत की सीमा तक मतदान का अधिकार हो सकता था और ऐसी स्थिति आने पर जीएमएसपीएल की योजना को सीओसी द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक के बहुमत के साथ मंजूरी दी जा सकती थी।

''विशेष अनुमति याचिका (सिविल) (नागरिक) 2020 का संरव्या- 11232 से उत्पन्न सिविल अपील की दलील (अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेष राज्य और अन्य)''

35. अपीलकर्ता अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट लिमिटेड की ओर से पेश डॉ. सिंघवी, वरिष्ठ वकील, ने कहा कि धारा 3 की उप धारा (10) और धारा 5 की उप धारा (20) और (21) के संयुक्त अध्ययन से पता चलेगा कि भले ही 2019 के संशोधन द्वारा आई एंड बी कोड की धारा 31 में कोई संशोधन नही किया गया था, फिर भी केंद्र सरकार और कोई भी राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी के लिए बाध्यकारी है। कॉर्पोरेट डेब्टर द्वारा देय वैधानिक बकाया जो समाधान योजना में शामिल नहीं थे, समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 का संशोधन, जो धारा 31 में संशोधन करता हे, स्पष्टीकरण के स्वरूप का है। यह केवल कानून की स्थिति की घोषणा और स्पष्टीकरण करता है, जो पहले से ही अस्तित्व में है, यानि केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी पर सीआईआरपी बाध्यकारी हैं। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में **भारतीय स्टेट बैंक बनाम् वी. रामकृष्णन एवं अन्य**[7]

(2018) 17 एससीसी 394 और बी.के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड बनाम् पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स[8] (2019) 11 एससीसी 633 मामलों में आई एंड बी कोड के कुछ प्रावधानों में किए गए संशोधन को स्पष्टीकरण स्वरूप माना है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि आई एंड बी कोड के प्रावधानों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद कॉर्पोरेट डेब्टर से संबंध, सभी लंबित कार्यवाही, जो समाधान योजना में शामिल नहीं हैं, पर स्वतः रोक लग जायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं के बकाया से संबंधित चार्ट का अवलोकन को देरवने से स्पष्ट होता है कि आई एंड बी कोड की धारा 7 के तहत दायर कंपनी याचिका स्वीकार किए जाने के पहले हैं और इसलिए, प्रतिवादी इसके संबंध में कार्यवाही जारी ररवने के हकदार नहीं हैं क्योंकि यह अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

36. उन्होंने कहा कि एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेशों को राजस्थान राज्य के राजस्व प्राधिकरणों के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (जीएसटी), जोधपुर द्वारा इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस अदालत ने एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उल्लेरवनीय है कि इस पृष्ठभूमि में अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का जारी ररवना अनुचित है, जो निर्विवाद रूप से आई एंड बी कोड की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने के पहले से संबंधित हैं। पहले बकाया के संबंध में निर्विवाद रूप से हैं, केवल इस आधार पर एनसीएलटी द्वारा कोर्ट स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

37. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर अपीलार्थी की रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करने में चूक हुई है, कि दूसरी अपील के माध्यम से एक वैकल्पिक उपाय अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि निर्णयों के क्रम में न्यायालय ने जो पाया कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना आत्मसंयम का एक नियम है और इस न्यायालय द्वारा निर्मित प्रावधानों के अनुरूप है। विकल्प की उपलब्धता के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार करने के अनुरोध को अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही आई एंड बी कोड के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है, उक्त सिद्धांत को मानते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इंकार करने की चूक की।

38. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि वर्तमान अपील के लंबित होने के बावजूद, संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद ने दिनांक 2.2.2021 को मूल्यांकन आदेश, धारा 7 के अंकित याचिका का स्वीकार करने से पहले की अवधि के लिए, पारित किया है। अतः अपीलार्थी ने उक्त मूल्यांकन को चुनौती देते हुए आई. ए. संरव्या-26255/2021 दायर किया है।

39. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि हालांकि प्रतिवादी अधिकारियों को समाधान कार्यवाही के बारे में पता था, लेकिन वे आरपी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिसों के छोड़ने के संदर्भ में अपना कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सके।

40. श्री वी. शेखर, राज्य प्राधिकरणों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने संदर्भित आदेश को उचित ठहराया और अपील को रवारिज करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश उन न्यायिक कार्यवाही के रास्ते में नहीं आएगा जो संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों द्वारा जारी ररवे गए थे। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार पारित किए गए मूल्यांकन आदेशों को उच्च प्राधिकारी द्वारा अपील में विधिवत अनुमोदित किया गया था और इसलिए, दूसरी अपील दायर करने की वैकल्पिक उपलब्ध को देरवते हुए उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार नहीं किया जाना उचित था।

41. विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि संबंधित कानूनों के तहत कार्य करने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारी सीओसी का हिस्सा नहीं होने के कारण सीओसी के निर्णय से बाध्य नहीं हैं, जिसे एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केवल न्यायनिर्णायक कार्यवाही को जारी ररवना दंडात्मक कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता।

42. श्री वी. शेखर ने कहा कि 2019 संशोधन को मात्र स्पष्टीकरण के स्वरूप का नहीं माना जा सकता है। अतः कार्यवाही जो धारा 31 में संशोधन की तारीरव से पहले लंबित थी, धारा 31 में 2019 के संशोधन से प्रभावित नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपील को रवारिज करने के लिए प्रार्थना की।

रिट याचिका सिविल संरव्या- 2020 का 1777 की दलील (मेसर्स मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड एंड अन्य बनाम् ओडिशा राज्य एवं अन्य)

43. श्री कौल, रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट कानूनी स्थिति के आवजूद कहा गया है, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्राधिकरण एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से पहले मौजूद वैधानिक बकाया के संबंध में कार्यवाही जारी ररवे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, पाया है कि धारा 7 आवेदन के स्वीकार किए जाने की तारीख से पहले वैधानिक बकाया और जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और इसके संबंध में कार्यवाही जारी नहीं रहेगी। तथापि कुछ राज्यों में, राज्य के अधिकारी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि इस न्यायालय द्वारा एक आधिकारिक घोषणा हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी अधिकारियों ने आरपी द्वारा जारी वैधानिक सार्वजनिक नोटिस के जवाब में अपना दावा नहीं दायर किया था। अधिकारियों द्वारा उठाई

गई पहली मांग सीओसी द्वारा 9.4.2018 को समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद की है। उन्होंने राज्यसभा में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 29.7.2019 को दिए गए भाषण को भी उद्धृत किया, ताकि उनकी दलीलों को पुष्ट किया जा सके कि आई एंड बी कोड की धारा 31 का 2019 का संशोधन स्पष्टीकरण स्वरूप है।

''विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 2020 का संरव्या-7147-7150'' से उत्पन्न होने वाले आवेदनों में प्रस्ताव(इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, बोकारो, झाररवण्ड बनाम् झाररवण्ड राज्य और अन्य)

44. डॉ. सिंघवी ने कहा कि वर्तमान मामले में हालांकि एनसीएलटी ने दिनांक 17.4.2018 को समाधान योजना को मंजूरी दी थी और एनसीएलएटी ने दिनांक 10.8.2018 को अपील खारिज कर दिया था, इसके बाद ही 17.8.2018 को 2012-13 की अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के बारे में पता चलने के तुरंत बाद, इसे एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर याचिका खारिज कर दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन आधारों पर याचिका खारिज की गई है, वह यह है कि पीड़ित पक्ष वेदांता लिमिटेड एक समाधान आवेदक था वर्तमान अपीलार्थी जो एक कॉर्पोरेट डेब्टर, की तरफ से दायर याचिका स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि दूसरा आधार जिस पर रिट याचिका खारिज की गई है, वह यह है कि राज्य प्राधिकरणों ने सीआईआरपी में भाग नहीं लिया था और एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश केवल उन पक्षों के लिए बाध्यकारी था, जिन्होंने समाधान प्रक्रिया में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि दोनों आधार गलत हैं क्योंकि वेदांता लिमिटेड एक सफल समाधान आवेदक है। समाधान प्रक्रिया वर्तमान अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता के संबंध में है, जो कॉर्पोरेट डेब्टर है और इस तरह, वर्तमान अपीलार्थी की तरफ से दायर याचिका कानून में स्वीकार्य थी। जहां तक उच्च न्यायालय के दूसरे आधार का संबंध है, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा विचार स्वीकार किया जाता है तो यह आई एंड बी कोड के पूरे उद्देश्य को निरस्त कर देगा और डेब्टर कंपनियों का पुर्नद्धार असंभव होगा, अगर सफल समाधान आवेदक अनजान ऋणियों को प्रस्तुत करें जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं।

45. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरूकृष्ण कुमार ने बताया कि आरपी और सीओसी द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि धारा 29 और विशेष रूप से, विनियमन 36 का खंड एच के अनुसार आरपी को सूचना ज्ञापन में मुकदमेबाजी संबंधी विवरण और सरकार और सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा चल रही जांच या कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करना आवष्यक था। रिजॉल्यूशन आवेदक ने धोखाधड़ी से महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाकर आई एंड बी कोड का इस्तेमाल किया था और इस प्रकार सरकारी खजाने के वैध बकाया से इंकार कर दिया था।

46. डॉ. सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि यह प्रतिवादी ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने आरपी, सीओसी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और यहां तक कि इस अदालत द्वारा की गई कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जब अन्य विभागों/ मंत्रालयों ने कार्यवाही में भाग लिया था और अपने दावे प्रस्तुत किए थे। प्रतिवादी का कहना है कि उन्हें सीआईआरपी के बारे में जानकारी नहीं थी, सच नहीं है।

47. उक्त अपील में, टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड की ओर से एक हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किया गया है। इस हस्तक्षेप आवेदन में तर्क दिया गया है कि हालांकि अधिकारी एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से पहले बकाया राशि के संबंध में कार्यवाही जारी रखे हुए थे। यह मध्यस्थ/ आवेदक का निवेदन है कि इस तरह, इस न्यायाल द्वारा कानूनी स्थिति का निपटारा करने की आवयश्कता है और इसलिए मध्यस्थ/ आवेदक ने वर्तमान हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। उक्त मध्यस्थ आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने इसी तरह की दलीलें दी हैं जैसा कि अन्य मामलों में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी और श्री कौल द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

विचार किया गया

48. हमने सभी पक्ष के विद्वान वकीलो को सभी मामलों में ध्यान से सुना है और दर्ज लिरिवत बयान और सामग्री को पढ़ा है।

49. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में आई एंड बी कोड के प्रावधानों की जांच की गई है। हम वर्तमान निर्णय में कानून के उन प्रावधानों में जिन्हें पहले के निर्णयों में विधिवत प्रस्तुत कर उन पर विचार किया गया है पुनः उद्धृत करना उचित नहीं समझते।

50. **इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम् आईसीआईसीआई बैंक एवं अन्य**[9] (2018) 1 एससीसी 407 के मामले में आई एंड बी कोड के पैराग्राफ 12 में उद्देश्यों और कारणों के कथन को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> ''13. **संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देष्य दिवालिया प्रक्रिया में तेजी लोन के उद्देश्य से भारत में दिवाला कानून को एक एकीकृत प्रक्रिया के तहत लाना है।** 2016 में विष्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में दिवालिया समाधान में औसतन

4.3 वर्ष लगे, जो यूनाईटेड किंगडम (1 वर्ष), यूएसए (1.5 वर्ष) और दक्षिण अफ्रीका (2 वर्ष) की तुलना में बहुत अधिक था। विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स 2015 में भारत को विभिन्न संकेतकों के आधार पर दिवाला को हल करने में आसानी पर 190 देशों में 135 वें नम्बर पर रखा गया है''।

(जोर दिया गया)

51. इसके बाद इस न्यायालय ने पैराग्राफ 16 में बैंककरप्सी लॉ रिफार्म समिति की रिपोर्ट 2015 में निहित प्रासंगिक पैराग्राफ को पुनः प्रस्तुत किया। इसके बाद, इस न्यायालय ने आई एंड बी कोड के सभी प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः पैरा 18 से 26 में प्रस्तुत किया।

52. इस न्यायालय ने **इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड** (ऊपर) के मामले में पेराग्राफ 27 से 32 आई एंड बी कोड के विभिन्न प्रावधानों की योजना पर विस्तार से चर्चा की जो इस प्रकार हैः

''27.'' संहिता की योजना यह सुनिश्चित करने के है कि जब कोई चूक होती है, इस अर्थ मे कि कोई ऋण देय हो जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धारा 3(12) में डिफ़ाल्ट को बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक बार देय और भुगतान योग्य हो जाने के बाद ऋण का भुगतान न करना, जिसमें इसके एक हिस्से या किस्त राशि का भी भुगतान न करना शामिल है। डेब्ट के अर्थ के लिए, हमें धारा 3(11) पर ध्यान

देना होगा, जो हमें बताता है कि डेब्ट का अर्थ ''क्लेम'' के संबंध में देयता का दायित्व है और ''क्लेम'' के अर्थ के लिए, हमें धारा 3(6) पर वपस ध्यान देना होगा जो ''क्लेम'' को परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य भुगतान के अधिकार से है भले ही यह विवादित हो। डिफ़ाल्ट एक लारव रूपये या उससे अधिक होते ही कोड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। (धारा 4)। कॉर्पोरेट इंसोलवेंसी रिजोल्युशन प्रक्रिया रवुद कॉर्पोरेट देनदार या किसी वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार द्वारा शुरू की जा सकती है। कोड द्वारा वित्तीय लेनदारों और आपरेशनल लेनदारों को देय ऋणों के बीच अंतर निर्धारित है। एक वित्तीय लेनदार को धारा 5(7) के तहत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए एक वित्तीय ऋण बकाया है और एक वित्तीय ऋण को धारा 5(8) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ ऐसे ऋण से है जो धन के समय मूल्य पर विचार कर वितरित किया जाता है। इसके विपरीत परिचालन लेनदार का अर्थ है एक व्यक्ति से है जिसके लिए एक परिचालन ऋण देय है और धारा 5(21) के तहत परिचालन ऋण का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा।

28. जब प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले वित्तीय लेनदार की बात आती है, जो धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण के तहत, डिफॉल्ट का तात्पर्य जो कार्पोरेट देनदार के किसी वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय बकाया में हुई चूक से है। यह आवेदक वित्तीय लेनदार को देय ऋण होगा ही आवश्यक नहीं है। धारा 7 (2) के तहत उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन ऐसे रूप और तरीके से किया जाना है जैसा कि पहले से इन्सॉल्वेंसी एवं बैंककरप्सी (न्याय निर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम 2016 के अंतर्गत निर्धारित है। नियम 4 के अंतर्गत वित्तीय लेनदार द्वारा फार्म 1 में आवेदन किया जाता है, साथ में अपेक्षित दस्तावेज और रिकार्ड संलग्न किए जाते हैं। फॉर्म 1 वास्तव में 5 भागों में एक विस्तृत प्रारूप है, जिसके भाग I में आवेदक को विवरण अपेक्षित है, भाग II में कोरपोरेट देनदार का विवरण, भाग III में प्रस्तावित अंतरिम पेशेवर समाधानकर्ता का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण, भाग V में डिफॉल्ट के दस्तावेजों का रिकॉर्ड और सबूत। नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा विज्ञापन न्यायिक प्राधिकरण के पास दायर आवेदन की एक प्रति कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय में भेजनी

होगी। वह गति, जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचना उपयोगिता के रिकार्ड से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर डिफॉल्ट के अस्तित्व को निश्चित करता है, महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर करना होगा। धारा 7(5) के प्रावधान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना है कि चूक हुई है और कॉर्पोरेट देनदार को यह इंगित कर सकता है कि ऋण के अर्थ में कोई चूक नहीं हुई है, ऋण जिसमें विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। एक ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। **न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस बात की पुष्टि की जाती है कि एक चूक हुई है, आवेदन अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए बशर्ते कि यह अधूरा न हो, इस स्थिति में यह आवेदक को न्यानिर्णायक प्राधिकरण से सूचना । की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए नोटिस दे सकता है**। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तब वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार को पारित किए गए या अस्वीकृत किए गए आवेदन के बारे में 7 दिनों के भीतर सूचित करेगा, जैसा भी मामला हो।

29. धारा 7 की योजना धारा 8 के तहत योजना के विपरीत है जहां एक परिचालन लेनदार डिफॉल्ट होन पर संहिता की धारा 8(1) के अनुसार पहले परिचालन देनदार को अवैतनिक ऋण की मांग सूचना देता है। धारा 8(2) के तहत, कॉर्पोरेट देनदार, मांग सूचना या उप-धारा (1) में उल्लिरिवत चालान की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों की अवधि के भीतर परिचालन लेनदार के ध्यान में किसी विवाद या मुकदमें या मध्यस्थता की कार्यवाही के लंबित होने के रिकार्ड जो पहले से मौजूद है- यानी कॉर्पोरेट देनदार द्वारा इस तरह की सूचना या चालान प्राप्त होने से पहले ला सकता है। इस प्रकार के विवाद की स्थिति में परिचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर निकल जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक कॉर्पोरेट देनदार के मामले में जो एक वित्तीय ऋण की अदायगी में चूक करता है, न्यायनिर्णायक अधिकारी को केवल सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य सबूतों को देरवना होता है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि एक डिफ़ाल्ट हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब तक ऋण ''देय'' है तब तक विवादित है यानि तब तक देय जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित नहीं किया जाता है या अभी तक

इस अर्थ में देय नहीं हो गया है कि यह भविष्य की किसी तारीरव को देय है। यह तभी साबित होता है जब यह न्याय निर्णायक प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप हो कि न्यायनिर्णायक, प्राधिकरण किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है न कि अन्यथा।

31. दिवाला समाधान की बाकी प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी प्रकिया धारा 12 के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी है और केवल 90 दिनों से अधिक की एक और अवधि के लिए 180 दिनों से आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि लेनदारों की समिति 75 प्रतिशत मतदान शेयरों के मतदान द्वारा ऐसा निर्णय लेती है। स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में समय महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट निकाय को अपने पैरों पर रवड़ा किया जाए और बंद होने से बचाया जा सके।

32. जैसे ही आवेदन स्वीकार किया जाता है, कोड की धारा 14 के संदर्भ में एक अधिस्थगन की घोषणा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जाती है और जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ दावा करने की अंतिम तिथि और अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण जिसपर कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन का दायित्व होगा और जो दावा प्राप्त करने के

लिए जिम्मेदार होगा। धारा 17 के तहत, कॉर्पोरेट देनदार का पूर्व प्रबंधन एक निवेश में निहित है। धारा 17 के तहत कॉर्पोरेट देनदार का पूर्व प्रबंधन अंतरिम पेशेवर समाधानकर्ता जो कोड के अध्याय 4 के तहत पंजीकृत एक प्रशिक्षित व्यक्ति है, में निहित है। इस अंतरिम पेशेवर समाधानकर्ता को अब अधिनियम की धारा 21 के तहत नियुक्त लेनदारों की समिति के निर्देशों के तहत एक चलन्त इकाई के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के कार्यों का प्रबंधन करना है। इस समिति द्वारा निर्णय वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत के वोट से लिए जाने हैं। धारा 28 के तहत, समाधान पेशेवर समाधानकर्ता जो कोई और नहीं बल्कि एक अंतरिम समाधान पेशेवर है जिसे समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, को वित्त जुटाने सुरक्षा हित के लिए व्यापक शक्तियां दी जाती हैं, लेनदारों की समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन।

(जोर दिया गया)

53. आई एंड की कोड के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

33. धारा 30 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो कॉर्पोरेट निकाय के पुर्नधार में रूचि ररवता है, वह पेशेवर समाधानकर्ता को एक समाधान योजना प्रस्तुत कर

सकता है,जो एक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किया जाता

है। इस प्लान में इनसाल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया लागतों के भुगतान, प्लान की मंजूरी के बाद कारर्पोरेट डेब्टर के मामलों के प्रबंधन और योजना क्रियान्वयन और सुपरवीजन का प्रावधान होना चाहिए। यह तभी होता है जब इस तरह की योजना को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75प्रतिशत के वोट से मंजूरी दी जाती है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात बात से संतुष्ट होता है कि स्वीकृत योजना धारा 30 में उल्लिरिवत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह अंततः ऐसी योजना को मंजूरी देता है, जो कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ इसके कर्मचारियों, सदस्य, लेनदार, गारंटर और अन्य हितधारक के लिए बाध्यकारी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो इस विषय पर पिछले कानून से अलग है, जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देता है, धारा 14 के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का प्रभाव बंद हो जाएगा। अतः संहिता की योजना, प्रयास करती है कि अपनी शक्तियों के पूर्ववर्ती प्रबंधन को विघटित करके और इसे एक पेशेवर एजेंसी में निहित करके, जब तक कोई सामधान योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कॉर्पोरेट निकाय की व्यस्तता को जारी

रखने की है। ऐसी स्थिति में योजना के तहत प्रबंधन पेशेवर एजेंसी को सौंप दिया जाता है ताकि कॉर्पोरेट निकाय अपने ऋणों का भुगतान करने और अपने रख-रखाव स्वयं करने में सक्षम हो सके। यह सब 6 महीने की अवधि के भीतर, 90 दिनों के अधिकतम विस्तार के साथ, किया जाना है अन्यथा सारी प्रक्रिया रूक जाएगी और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। (जोर दिया गया)

54. इस प्रकार स्पष्ट है कि आई एंड बी कोड का एक प्रमुरव उद्देश्य यह है कि कॉर्पोरेट डेब्टर को पुनर्जीवित करने और इसे चलन्त इकाई बनाने का प्रयास किया जाना है। इसके लिए, एक समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन के आधार पर एक समाधान योजना तैयार करनी होगी। सूचना ज्ञापन, जिसे विनियमों के विनियमन 36 के साथ आई एंड बी कोड की धारा 29 के अनुसार तैयार किया जाना आवश्यक है, में विभिन्न विवरण शामिल करने की आवश्यकता है, जो सांविधिक रूप से अनिवार्य सार्वजनिक सूचना के जवाब में विभिन्न दावों की प्राप्ति के बाद आरपी द्वारा एकत्र किए गए हैं। समाधान योजना को दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान, समाधान योजना के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट डेब्टर के मामलों के प्रबंधन का एवं समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का ध्यान ररवना है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट करने के बाद ही कि वित्तीय लेनदारों के आवश्यक मतदान हिस्से के साथ सीओसी द्वारा अनुमोदित योजना, धारा 30 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकता को पूरा करती है, इसे अपनी मंजूरी देती है। इसके बाद ही, कि उक्त योजना कॉर्पोरेट डेब्टर के साथ-साथ इसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी है। एक बार जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी दे देता है धारा 14 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का संचालन बंद हो जाएगा। इसलिए, आई एंड बी कोड की योजना, अपनी शक्तियों के पूर्ववर्ती प्रबंधन का विनिवेश करके और इसे एक पेशेवर एजेंसी में निहित करके, जब तक कि एक समाधान योजना तैयार नहीं की जाती है, तब तक कॉर्पोरेट डेब्टर के व्यवसाय को एक चलन्त इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। एक बार जब समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है, तो प्रबंधन को योजना के अंतर्गत सफल आवेदक को सौंप दिया जाता है ताकि कॉर्पोरेट डेब्टर अपने ऋणों का भुगतान कर सके और अपना रख-रखाव स्वयं कर सके।

55. इस अदालत ने हाल ही में **कल्पराज धर्मषी एवं अन्य बनाम् कोटक निवेष सलाहकार लिमिटेड एवं अन्य** (ऊपर) मामले में आई एंड बी कोड, दिवालियापन कानून सुधार समिति (बीएलआरसी) 2015 की रिपोर्ट की धारा 30 और 31 के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया है और इस न्यायालय इन मामलों - **के. शषिधर (ऊपर), अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम् सतीष कुमार गुप्ता और अन्य (ऊपर) और महाराष्ट्र सीमलेस सीमित बनाम् पùनाभन वैंकटेश एवं अन्य** (ऊपर) के निर्णय पर विचार कर पाया कि

> ‘‘139. इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि समिति का विचार था, कि दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुरव आर्थिक प्रश्न का निर्णय लेने के लिए ऐसी संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय के लिए एकमात्र सही मंच, लेनदार समिति थी जिसमें सभी वित्तीय लेनदारों के पास उनके पास मौजूद ऋण की मात्रा के अनुपात में वोट होते हैं। बीएलआरसी ने देखा है कि अतीत में भारत के कानून ने सरकार सभी घटक (विधायिका, कार्यकारी या न्यायपलिका) को दिवालियापन प्रक्रिया के संदर्भ में शामिल किया है। समिति ने ऐसी स्थिति से अलग हटकर प्रावधान किया है कि किसी चूक करने वाली फर्म के उचित निपटान के संबंध में निर्णय, जो कि एक व्यावसायिक निर्णय है, केवल लेनदारों द्वारा ही लिया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि इकाई को एक चलन्त इकाई के रूप में रखने के प्रस्तावों का मूल्यांकन, जिसमें व्यवसाय या इकाइयों की बिक्री, ऋण के पुनर्गठन आदि के बारे में निर्णय शामिल हैं,

वित्तीय लेनदारों की समिति द्वारा लिया जाना आवश्यक है। इस बात की व्यवस्था की गई है कि इकाई को एक चलन्त इकाई के रूप में ररवने के लिए समाधान के विकल्प पर सीओसी द्वारा मतदान किया जाएगा और पेशेवर समाधानकर्ता द्वारा सीओसी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर कोई रोक टोक नहीं है। पेशेवर समाधानकर्ता द्वारा न्यायनिर्णायक को इन तथ्यों को संपुष्टि कराना अपेक्षित हैः

(i) कि समाधान में स्पष्ट रूप से किसी भी अंतरिम वित्त के पुनर्भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए और दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत का भुगतान अन्य भुगतानों की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा

(ii) कि प्लान में स्पष्ट रूप से उन सभी लेनदारों को समाधान लागू होने के बाद एक उचित अवधि के भीतर भुगतान शामिल होना चाहिए जो लेनदारों की समिति में नहीं है, और अंत में

(iii) योजना को समाधानों को लागू करते समय संस्था के कार्यों को नियंत्रित करने वाले तत्संबंधी मौजूदा कानूनों का पालन करना चाहिए।

140. समिति ने यह राय भी व्यक्त की कि समग्र बाजार को इकाई को एक चलन्त इकाई के रूप में

रखने पर समाधान प्रस्तावित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने राय दी कि दिवाला को कैसे हल किया जाना है या इकाई को कैसे पुनर्जीवित किया जाना है, या ऋण का पुनर्गठन किया जाना है, तत्संबंधी विवरण आई एंड बी कोड में नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा निर्णय बाजार द्वारा प्रस्तावित समाधानों के जवाब में सीओसी के विचार-विमर्श से आएगा।

141. के. शशिधर के मामले में इस न्यायालय ने पायाः

''32.'' पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के पश्चात विवादास्पद प्रश्न है कॉर्पोरेट देनदार केएस एंड पीआईपीएल और आईआईएल की समाधान योजना की मंजूरी वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के पचहत्तर प्रतिशत से भी कम वोट के आधार पर सीओसी द्वारा किया जाना और एनसीएलएटी द्वारा लिए गए विचार की यथार्थता के बारे में कि आई एंड बी कोड की धारा 30

(4) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का प्रतिशत अनिवार्य है। **आगे, क्या यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/ अपीलीय प्राधिकरण के लिए विकल्प है कि वह आई एंड बी कोड की धारा 30 (2) या 61 (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य कारक पर विचार करना प्रासंगिक होगा जैसा कि मामला हो सकता**

है, जो समाधान आवेदक और जो समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारकों के अनुसार है?

(जोर दिया गया)

142. आर्सेलरमिटल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड बनाम् सतीष कुमार गुप्ता 46 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और आई एंड बी कोड के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में विचार करने के बाद इस अदालत ने के. शशिधर (ऊपर)मामले में पाया कि

''52. जैसा कि ऊपर कहा गया है, ''अस्वीकृत'' समाधान योजना की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसी एलटी) से कुछ और करने की अपेक्षा नहीं है लेकिन इसके द्वारा आई एंड बी कोड की धारा 33 (1) के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू किया जाना अनिवार्य है। विधायिका ने निर्णय लेने का अधिकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) को नहीं दिया है। सीओसी के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने के अधिकार क्षेत्र या अधिकार के साथ असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के न्याय की जांच करना बहुत कम है। जिस विधायी इतिहास और पृष्ठभूमि में आई एंड बी कोड संहिता लागू की गई है, उससे पता चलता है कि चूक करने वाली कंपनियों से देय ऋण की

वसूली में तेजी लाने के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। नए दृष्टिकोण में, एक शांत अवधि है जिसके बाद 270 दिनों (बाहरी सीमा) के भीतर एक त्वरित समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी है जिसमें विफल रहने पर, परिसमापन प्रक्रिया की शुरूआत को अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया है। पहले की व्यवस्था में, कॉर्पोरेट देनदार अनिश्चित काल के लिए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत या ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत दी गई सुरक्षा का आनंद ले सकता है, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। **इसके अलावा आई एंड बी कोड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सीओसी की बुद्धिमत्ता को सर्वोपरि दर्जा वाणिज्यिक दिया गया है। एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार की क्षमता और प्रस्तावित योजना की व्यवहार्यता के बारे में पूरी जानकारी होती है। वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और विशेषज्ञों की अपनी टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर वे कार्य करते हैं। मतदान शेयरों के अनुसार, मतदान के माध्यम से सीओसी बैठकों में उचित विचार-**

विमर्श के बाद उनके द्वारा विषय पर व्यक्त किए गए राय एक सामूहिक व्यावसायिक निर्णय होता है। विधायिका ने, जानबूझ कर किसी वित्तीय लेनदारों के ''वाणिज्यिक ज्ञान'' या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उनके समूहिक निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है''। इसे गैर-न्यायसंगत बनाया गया है।

(जोर दिया गया)

143. इस न्यायालय ने पाया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 30 (2) या 61 (3) में निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य कारक पर विचार करने की अनुमति नहीं है। यह भी माना गया है कि आई एंड बी कोड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सीओसी के वाणिज्यिक ज्ञान को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार की क्षमता और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है। वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और

विशेषज्ञों की अपनी टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर वे कार्य करते हैं। मतदान शेयरों के अनुसार, मतदान के माध्यम से सीओसी बैठकों में उचित विचार-विमर्ष के बाद उनके द्वारा विषय पर व्यक्त किए गए राय एक सामूहिक व्यावसायिक निर्ण होता है। विधायिका ने, जानबूझ कर किसी वित्तीय लेनदारों के ''वाणिज्यिक ज्ञान'' या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उनके समूहिक निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है''। इसे गैर-न्यायसंगत बनाया गया है।

और यह कि सीओसी के ''वाणिज्यिक ज्ञान'' के निर्णय को गैर-न्यायसंगत बनाया गया है

144. इस न्यायालय ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के के. शशिधर (ऊपर) निर्णय का उल्लेरव करने के बाद पाया कि ''64.'' इसप्रकार लेनदारों की समिति के बहुमत के निर्णय द्वारा चर्चा के लिए रह जाती है समाधान योजना की व्यवहार्यता और संभाव्यता, जो स्पष्ट रूप से योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में ररवता है, जिसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच धन के वितरण का तरीका शामिल है। उदाहरण के तौर पर, एक समाधान योजना जिसमें बिजली के बकाया के भुगतान का प्रावधान नहीं

है। यह निश्चित रूप से लेनदारों की समिति संभावित समाधान आवेदक को इस आशय के संशोधन का सुझाव दे सकती है कि इस तरह के बकाया का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय इस तरह के व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे बुनियादी और आवश्यक तत्व अर्थात बिजली की कमी के कारण बंद न हो जाए। यह हो सकता है, बदले में, धन के वितरण के रूप में परिणामी संशोधन के साथ समाधान आवेदन द्वारा स्वीकार किया जाएगा, एक निश्चित प्रकार के परिचालन लेनदार को भुगतान प्रदान किया जा रहा है, अर्थात्, बिजली वितरण कंपनी, प्रस्तावित समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित अग्रिम भुगतान से बाहर, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय और परिचालन लेनदारों को देय राशि में भी कमी आ सकती है। **महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकांश लेनदारों का व्यावसायिक ज्ञान है जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से यह निर्धारित करना है कि कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरह से होनी है।**''

(जोर दिया गया)

145. इस अदालत ने कहा, कि सीओसी के बहुमत के निर्णय हेतु शेष समाधान योजना की क्षमता और

व्यवहार्यता है, जिसमें योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में ररवना आवश्यक है। इसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच निधि के वितरण का तरीका शामिल है। यह भी माना गया है कि सीओसी संभावित समाधान आवेदक को संशोधन का सुझाव देने का हकदार है, ताकि कॉर्पोरेट डेब्टर का व्यवसाय जारी ररवना असंभव न हो। समाधान आवेदक द्वारा इन सुझावों को स्वीकार किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप निधि के वितरण आदि में संशोधन हो सकता है। महत्वपूर्ण यह पाया गया कि अधिकांश लेनदारों का व्यावसायिक ज्ञान संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के माध्यम से निर्धारित करेगा कि कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरह से होनी है।

146. के. शशिधर (ऊपर) और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति (ऊपर) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायधीशों की पीठ द्वारा महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड मामले में (ऊपर) दोहराया गया है।

147. इस न्यायालय के सभी उपरोक्त तीन निर्णयों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) और

अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) के अधिकार क्षेत्र के दायरे पर भी विस्तार से विचार किया गया है। के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले मे निर्णय के पैराग्राफ 55 को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैः

''55.'' न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) का विवेकाधिकार धारा 31 द्वारा सीमित है, जो वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के आवश्यक प्रतिशत द्वारा ''अनुमोदित'' समाधान योजना की जांच तक सीमित है। उस जांच में भी, जिन आधारों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है, वह धारा 30 (2) में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में है, जब समाधान योजना बनाई गई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। धारा 30 (2) पर वापस आते हुए, की जाने वाली पूछताछ इस संबंध में है कि क्या समाधान योजना प्रदान करती हैः (i) दिवालिया समाधान प्रक्रिया का भुगातन कॉर्पोरेट देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान की तुलना प्राथमिकता के आधार पर निर्दिष्ट तरीके से होता है, (ii) निर्धारित तरीके से परिचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान, (iii) कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन, (iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन

और पर्यवेक्षण, (v) वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, (vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। संदर्भित बोर्ड की स्थापना आई एंड बी कोड की धारा 188 के तहत की गई है। बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को आई एंड बी कोड की धारा 196 में दर्शाया गया है। बोर्ड के निर्दिष्ट कार्यों में यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शामिल नहीं है आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान के दौरान वित्तीय लेनदारों को अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करने के तरीके को विनियमित करने से संबंधित। मतदान के समय वित्तीय लेनदारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है। प्रस्तावित समाधान योजना की क्षमता और व्यवहार्यता और समाधान आवेदक की प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप दिए जाने सामान्य क्षमता के बारे में उनकी धारणाओं को शामिल करना जैसे तथ्य विचारणीय हैं। समाधान आवेदक ने भले ही मानक डेटा द्वारा समर्थित अनुमान दिए हों, लेकिन फिर भी असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों की राय में, यह अटकलों से मुक्त नहीं होगा। ये पहलू पूरी तरह से वित्तीय लेनदारों के

अधिकार क्षेत्र में हैं, जिन्हें आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान करने के लिए कहा जाता है।

148. यह पाया गया है कि धारा 31 के तहत जांच में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस बात की सीमित जांच की अनुमति है कि क्या समाधान योजना में इस बात का प्रावधान हैः

(i) दिवालिया समाधान प्रक्रिया का भुगतान कॉर्पोरेट देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर एक निर्दिष्ट तरीके से होता है

(ii) निर्धारित तरीके से परिचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान

(iii) कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन,

(iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण,

(v) यह योजना अभी लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है

(vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

149. के. शशिधर (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की निम्नलिरिवत टिप्पणियों को संदर्भित करना आगे प्रासंगिक होगाः

57. निःसंदेह, अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की सीमा और अपील के आधार सहित अपील का उपाय, कानून का एक हिस्सा है। एनसीएलटी या एनसीएलएटी में निवेश अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण के प्रावधान, जैसा कि पहले देरवा गया है, ने समाधान योजना को मंजूरी न देने या उसे अस्वीकार करने के सीओसी द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय को न्यायसंगत नहीं बनाया है। इस स्थिति को एक अपील स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट सीमित आधारों से मजबूत किया जाता है, वह भी धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश के खिलाफ । पहला, कि अनुमोदित समाधान योजना किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है जो अभी लागू है। दूसरा, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान अवधि के दौरान पेशेवर समाधानकर्ता द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है। तीसरा, परिचालन लेनदारों को देय ऋण की निर्धारित तरीके से समाधान योजना में व्यवस्था नहीं की गई है। चौथा, दिवाला समाधान योजना की लागत की प्राथमिकता अन्य सभी ऋणों की पुनर्भुगतान के संदर्भ में नहीं की गई है। पाचवां, समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य मापदंड के अनुरूप नहीं है। महत्वपूर्ण रूप

से, मामले या आधार-चाहे वह धारा 30 (2) के तहत हो या आई एंड बी कोड की धारा 61 (3) के तहत-सीओसी द्वारा ''अनुमोदित'' समाधान योजना की वैधता के परीक्षण के संबंध में हैं और उस समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए नहीं जिसे अस्वीकार कर दिया गया है या सीओसी द्वारा अपने व्यावसायिक निर्णय के प्रयोग में अस्वीकार कर दिया गया है।

(जोर दिया गया)

150. इसलिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में पाया कि अपील कानून का एक अंश है और कानून ने समाधान योजना को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने के सीओसी द्वारा किए गए वाणिज्यिक निर्णय की समीक्षा करने के संबंध में एनसीएलटी या एनसीएलएटी के अधिकार क्षेत्र और अधिकार का निर्धारण नहीं किया है

151. के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 59 में निम्नलिरिवत टिप्पणियों द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है जो इस प्रकार हैः

''59.'' हमारे विचार में, न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) न ही अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) को असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के

वाणिज्यिक ज्ञान को उलटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है और वह भी इस विशिष्ट आधार पर कि यह केवल अल्पसंरव्यक वित्तीय लेनदारों की राय है।

152. इस न्यायालय में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति (ऊपर) के मामले में के. शशिधर मामले (ऊपर) के कुछ पैराग्राफ को उद्धृत करते हुए पायाः

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, जो किसी भी परिस्थिति में लेनदारों की समिति के बहुमत के व्यावसायिक निर्णय पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जहां तक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का संबंध है, इसे संहिता की धारा 30 (2) के चार कोनों के भीतर होना चाहिए और जहां तक अपीलीय न्यायधिकरण का संबंध है इसे धारा 32 को संहिता की धारा 61 (3) के साथ पढ़ा जाता है। इस तरह की समीक्षा के मापदंड स्पष्ट रूप से के. शशिधर मामले में निर्धारित किए गए हैं।

153. इस प्रकार यह देरवा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सीमित न्यायिक समीक्षा, जो उपलब्ध है, किसी भी परिस्थिति में सीओसी के बहुमत द्वारा किए गए व्यावसायिक निर्णय पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

154. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में एनसीएलटी ने यूनाइटेड सीमलेस ट्युबुलार (पी) लिमिटेड के सीआईआरपी के संबंध में अपीलकर्ता की योजना को मंजूरी दी थी। अपील में, एनसीएलएटी ने निर्देष दिया कि उसमें अपीलकर्ता को ''वित्तीय लेनदारों'', ''परिचालन लेनदारों'' और अन्य लेनदारों को रू. 120.54 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अग्रिम भुगतान बढ़ाकर रू0 597.54 करोड़ करना चाहिए। एनसीएलटी ने आगे निर्देश दिया कि यदि ''समाधान आवेदक'' 477 करोड़ रू0 के अलावा 120.54 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि क भुगतान करने में विफल रहा और उक्त राशि को एस्को खाते में 30 दिनों के भीतर जमा करने की स्वीकृति नहीं देता है तो समाधान योजना के अनुमोदन के आदेश को निरस्त माना जाएगा। अपील की अनुमति देते हुए और एनसीएलएटी के निर्देशों को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

''30.'' अपीलीय प्राधिकरण ने हमारी राय में, वाणिज्यिक ज्ञान के बजाय न्यायसंगत धारणा पर निर्णय लिया है। स्पष्टतः मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्राप्त परिसमापन मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर परिसंपत्तियों को छोड़ना असहज लगता है। यहां, हमें लगता है कि अदालत को मात्रात्मक विश्लेषण के

आधार पर समाधान योजना का आकलन करने के बजाय लेनदारों के व्यावसायिक ज्ञान को महत्व देना चाहिए। संहिता की योजना के अनुसार संहिता की धारा 31 (1) स्पष्ट शब्दों में बताती है कि समाधान योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि संहिता की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवयश्कता का अनुपालन किया गया है। संहिता की धारा 31 (1) के प्रावधान में एक अन्य बिंदु निर्धारित किया गया है जिस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट किया जाना है। वह कारक है कि समाधान योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं। सीमित न्यायिक समीक्षा में न्याय-निर्णायक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप का दायरा एस्सार स्टील [एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड, क्रेडिटर्स की समिति बनाम् सतीष कुमार गुप्ता, (2020) 8 एससीसी 531], मामले में निर्धारित किया गया है। प्रासंगिक परिच्छेद (पैरा 54) जिसे हमने इस निर्णय के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया है। एमएसएल के मामला में

अपील यह है कि वे कंपनी चलाना चाहते हैं और अधिक धन निवेश करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि अपीलीय प्राधिकरण का सफल समाधान आवेदक को अपने फंड प्रवाह को अग्रिम रूप

में बढ़ाने का निर्देश देने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था।

155. इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर समाधान योजना का आकलन करने के बजाय लेनदारों के व्यावसायिक ज्ञान को बल देना चाहिए। इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलीय प्राधिकरण को सफल समाधान आवेदक को अपने फंड प्रवाह को अग्रिम रूप में बढ़ाने का निर्देश देकर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

156. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि विधायी योजना, जिसकी इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्यारव्या की गई है, स्पष्ट है। आई एंड बी कोड की धारा 30 और 31 के तहत प्रदान किए गए सीमित दायरे को छोड़कर, सीओसी के वाणिज्यिक ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

56. **कराड अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम स्वप्निल भिंगरदेव और अन्य** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीषों की पीठ ने समान दृष्टिकोण लेते हुए पाया हैः

> ''14.'' उपरोक्त वर्णित निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत, एक बात बहुत स्पष्ट करती है। यदि उन सभी कारकों को जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में ररवा जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट देनदार को एक चलन्त इकाई के रूप में चलाया जा सकता है या नहीं,

को लेनदारों की समिति के समक्ष ररवा गया है

और सीओसी ने समाधान योजना को मंजूरी देने

के लिए निर्णय लिया है, वैसी स्थिति में न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

यह कॉर्पोरेट देनदार या इसके प्रमोटर/ निदेषक या किसी

और का मामला नहीं है कि क्षमता और व्यवहार्यता के

संबंध में निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक है

सीओसी या पेशेवर समाधानकर्ता के समक्ष नहीं ररवा

गया था।

57. इस प्रकार स्पष्ट है कि विधायिका ने सीओसी के वाणिज्यिक समझ को सर्वोच्च महत्व दिया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक समीक्षा का दायरा आई एंड बी कोड की धारा 31 के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है और अपीलीयय प्राधिकरण की सीमा आई एंड बी कोड की धारा 61 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है। इस प्रकार अब यह अछूता मामला नहीं रह गया।

58. आई एंड बी कोड की धारा 31 मात्र को पढ़ने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपनी संतुष्टि के बाद इस आशय के साथ अनुमोदित कर दिया जाता है, कि सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो यह कॉर्पोरेट डेब्टर और इसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटर और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता है क्योंकि आई एंड बी कोड संहिता के प्रमुरव उद्देष्यों में से एक है कॉर्पोरेट का पुर्नुद्धार और इसे एक चलन्त इकाई बनाया जाना।

59. सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना में विभिन्न प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है, मसलन दिवालिया समाधान प्रक्रिय लागतों के भुगतान के लिए प्रावधान, परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान, जो धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट डेब्टर के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी; या वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई होगी, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उपधारा (1) में प्राथमिकता के आधार पर वितरित की गई थी, इनमें से जो

भी अधिक हो। समाधान योजना वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान का प्रावधान करने के लिए भी आवश्यक है, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं जो कॉर्पोरेट डेब्टर के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी। आई एंड बी कोड की धारा 30 की उप-धारा (2) खंड (बी) का स्पष्टीकरण इन संदेहों को दूर करती है कि उक्त रवंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा। समाधान योजना के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट डेब्टर के मामलों के प्रबंधन और समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए भी समाधान योजना में व्यवस्था की जानी है। आई एंड बी कोड की धारा 30 की उप-धारा (2) रवंड (ई) के अनुसार आरपी पर यह जांचने का कर्तव्य है कि समाधान योजना उस समय के लिए लगे कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

60. आई एंड बी कोड विनियमों के विनियमन 36 के साथ पठित धारा 29 के अवलोकन से पता चलेगा, कि आरपी को कॉर्पोरेट डेब्टर के विभिन्न विवरणों वाला एक सूचना ज्ञापन तैयार करने की आवश्यकता होती है ताकि प्लान योजना प्रस्तुत करने वाल रिजॉल्यूशन आवेदक को कॉर्पोरेट डेब्टर की संपत्ति और देनदारियां के बारे में जानकारी हो, जिसमे लेनदारों के बारे में जानकारी और उनके द्वारा दावा की गई राशि शामिल है। अन्य व्यक्तियों द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के ऋण के संबंध में दी गई गारंटी का विवरण भी शामिल करना आवश्यक है। सभी मुकदमेबाजी और सरकार और वैधानिक अधिकारियों द्वारा शुरू की गई चल रही जांच या कार्यवाही के संबंध में विवरण भी सूचना ज्ञापन में शामिल होना आवष्यक है। श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कॉर्पोरेट डेब्टर की देनदारियों के बारे में विवरण भी सूचना ज्ञापन में शामिल करना आवश्यक है।

61. इन सभी विवरणों को सूचना ज्ञापन में शामिल करना आवश्यक है ताकि समाधान आवेदक को यह जानकारी हो कि देनदारियां क्या हैं, जिसका उसे सामना करना पड़ सकता है और योजना में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो ऐसी देनदारियों के एक हिस्से को संतुष्ट करने के अलावा यह भी सुनिश्चित करेगा कि कॉर्पोरेट डेब्टर को पुनर्जीवित किया जाए और इसे एक चलन्त इकाई बनाया जा सके। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की संतुष्टि कि सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकता को पूरा करती है, के पश्चात इस पर अपनी सहमति के उपरान्त समाधान योजना सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाने के पीछे विधायिका का मंतव्य यह है कि समाधान योजना के अनुमोदन के बाद, सफल समाधान आवेदक पर कोई अप्रत्याषित दावे नहीं किए जाने चाहिए। प्रमुरव उद्देश्य यह है कि उसे अनुमोदित समाधान योजना को पूरे संकल्प के साथ क्रियान्वित करना चाहिए।

62. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस पहलू को उचित रूप से समझाया गया है।

''107.'' इसी कारण से, एनसीएलएटी के संदर्भित निर्णय ख्स्टैंडर्ड चारटेरेड बैंक बनाम सतीष कुमार गुप्ता, 2019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 388, में यह मानते हुए कि पेशेवर समाधानकर्ता और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए दावों के अलावा अन्य दावे मौजूद हो सकते हैं, अब संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में सक्षम पदाधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है के यह कोड की धारा 31 की अवधारणा के विरूद्ध है। एक सफल समाधान आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अचानक अनसुलझे दावों का सामना नहीं करना पड़ सकता है चूंकि यह पूरी प्रक्रिया में एक ऐसी आकस्मिक घटना के रूप में होगा, जो संभावित समाधान आवेदक द्वारा राशि को अनियमित्ता की स्थिति में ला देगा, जो देनदार के व्यवसाय को पूरी तरह से संभालने का इच्छुक होगा। सभी दावों को पेशेवर समाधानकर्ता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि संभावित समाधान आवेदक को पता चल सके कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह सफल समाधान आवेदक एक नए संकल्प के साथ कर सकता है, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर बताया गया है। इन कारणों से एनसीएलएटी के निर्णय भी रद्द किए जाने चाहिए।

63. इस कानूनी स्थिति को देरवते हुए, हम यहां बहुत अच्छी तरह से रूक कर यह मान सकते थे कि, ईएआरसी द्वारा दायर अपील में एनसीएलएटी द्वारा किया गया अवलोकन, कि ईएआरसी कानून में इसके लिए उपलब्ध ऐसे उपायों का सहारा लेने का हकदार था, ऐसा कानून में अस्वीकार्य है।

64. **इनकम टैक्स कमिश्नर बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड''**[10] एसएलपी (सी) संख्या.6483/2018 (आर्डर दिनांक 10.8.2018), मामले में इस द्वारा जैसा कि पाया गया कि आई एंड बी कोड की धारा 238 के प्रावधानों को देरवते हुए, इसके प्रावधानों का ओवरराइडिंग प्रभाव होगा, अगर इसका इस समय लागू कानून या इसके प्रभाव से अन्य अवयव के साथ विसंगति हो। इस तरह, एनसीएलएटी द्वारा उपरोक्त अवलोकन को यदि अनुमति दी जाती है, तो वह उसी उद्देश्य को निराश करेगा जिसके लिए आई एंड बी कोड अधिनियमित किया गया है।

65. हालांकि, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 2020 की सं.1177 और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 2020 का 71477150 से उत्पन्न सिविल अपील में एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से पहले की अवधि के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वैधानिक दावों के संबंध में मुद्दों पर विचार करना होगा।

66. 2019 के अधिनियम 26 की धारा 7 के अनुसार (दिनांक 16.08.2019 से प्रभावी एस.ओ. 2953 (ई) दिनांकित 16.08.2019 के अनुसार) आई एंड बी कोड की धारा 31 में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए हैं-

''केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसके लिए उस समय लागू कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के संबंध में कोई ऋण है, जैसे कि अधिकारी जिनके लिए वैधानिक बकाया देय है''

67. इस तरह, जो 16.8.2019 के बाद उत्पन्न कार्यवाही के संबंध में कोई कठिनाई नहीं होगी। संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण को उस समय लागू कानून के तहत उत्पन्न होने वाले देय बकाया के भुगतान के संबंध में कोई भी ऋण, जो अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, समाप्त समझा जाएगा।

68. एक अनुतरित प्रश्न यह है कि ऐसे बकाया यदि वे उस अवधि से संबंधित हैं जिसमें धारा 7 के अंतर्गत याचिकाओं को 16.8.2019 से पहले स्वीकार किया गया है, का क्या होगा

69. उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उक्त संशोधन स्पष्टीकरणात्मक/ घोषणात्मक स्वरूप का है या मूल प्रश्न है। यदि यह माना जाता हैकि यह प्रकृति में घोषणात्मक या स्पष्टीकरणात्मक है, तो यह माना जाना चाहिए कि ऐसा संशोधन पूर्वव्यापी स्वरूप का है और शुरू से ही कानून पुस्तक में मौजूद है। हालांकि, अगर जवाब अन्यथा है, तो संशोधन को संभावित स्वरूप का माना जाएगा, जिस तारीरव से कानून में संशोधन लागू किया गया है।

70. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संषोधन) विधेयक, 2019 के ''उद्देश्यों और कारणों के कथन'' (इसके बाद ''एसओआर'' के रूप में संदर्भित) को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैः

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) को कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्म और व्यक्ति के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था, ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, क्रेडिट की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना जिसमें सरकारी बकाया के भुगतान के आदेश या प्राथमिकता में बदलाव और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना शामिल है।

2. संहिता की प्रस्तावना में संहिता के उद्देश्य निहित है। सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक समयबद्ध तरीके से ''दिवाला समाधान'' को शामिल करना। चिंता व्यक्त की गई है कि कुछ मामलों में व्यापक मुकदमेबाजी अनुचित देरी का कारण बन रही है, जो मूल्य अधिकतमकरण में बाधा डाल सकती है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी लेनदारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर अनुचित बोझ डाले बिना, जिसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि समाधान योजना संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करती है। विभिन्न हितधारकों ने सुझाव दिया है

कि यदि लेनदारों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, जबकि दिवालियापन से पूर्व की स्थिति में उनकी पात्रता अलग-अलग होती है, तो यह क्रेडिट की लागत और उपलब्धता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। इसके अलावा, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वित्तीय लेनदारों के मतदान पैटर्न पर स्पष्टता लाने के लिए विचार भी प्राप्त किए गए हैं।

3. उपरोक्त कठिनाईयों को देरवते हुए और कॉर्पोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को भरने के लिए, दिवाला और दिवालियापन संहिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रावधान करता हैः-

(क) ..... ;

(रव) ..... ;

(ग) ..... ;

(घ) ..... ;

(ङ) ..... ;

(च) संहिता की धारा 31 उप-धारा (1) में संशोधन को स्पष्ट करने के लिए कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण जिसके लिए किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण है, जैसे कि वे अधिकारी जिनके प्रति वैधानिक बकाया है, कर प्राधिकरणों सहित के लिए बाध्यकारी होगी;

(छ) .....

(जोर दिया गया)

71. एसओआर के अवलोकन से पता चलेगा कि आई एंड बी कोड का मुरव्य उद्देश्य मुख्य रूप से सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य की अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू करना था। हालांकि, यह देखा गया कि कुछ मामलों में व्यापक मुकदमेबाजी हुई जिसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी हुई जिसके फलस्वरूप मूल्य अधिकतमकरण में बाधा आई। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक पाया गया कि सभी लेनदारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। इसलिए यह विभिन्न कठिनाइयों को देरवते हुए और कॉर्पोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण अनियमितताओं को दूर करने के लिए आई एंड बी कोड के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक था। दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) बिल, 2019 के

एसओआर के पैरा 3 क्लॉज़ (एफ) इसे स्पष्ट कर देगा कि आई एंड बी कोड की धारा 31 की उप-धारा (1) में संशोधन करने का विधायी इरादा यह स्पष्ट करना था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना केंद्र सरकार भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण जिसे किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के संबंध में कोई ऋण देय है, जैसे कि वे अधिकारी जिनके प्रति वैधानिक बकाया है, कर अधिकारियों सहित, के लिए बाध्यकारी होगा।

72. राज्यसभा की बहसों में, 29.7.2019 को, जब आई एंड बी कोड में संशोधन के लिए विधेयक पर चर्चा हुई, तो कुछ सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए थे। कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रकार कहाः

''आईबीसी का वास्तव में एक ओवरराइडिंग प्रभाव है। उदाहरण के लिए, आपने पूछा कि क्या आईबीसी सेबी को ओवरराइड करेगा। धारा 238 में यह प्रावधान है कि दो कानूनों के बीच असंगति के मामले में आईबीसी प्रबल होगा। वास्तव में, भारतीय अदालतों को विषिष्ट मामलों में, उनके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर निर्णय लेना होगा, लेकिन काफी हद तक, हां, यह आईबीसी है। [.....]

सफल समाधान आवेदक के लिए क्षतिपूर्ति के बारे में भी यह सवाल है। संशोधन अब स्पष्ट रूप से इसे सरकार के लिए बाध्यकारी बना रहा है। यह उन तरीकों में से एक है जिसमें हम इसे प्रदान कर रहे हैं। सरकार आगे कोई दावा नहीं करेगी। समाधान योजना स्वीकृत होने के बाद सरकार आगे कोई दावा नहीं करेगी। तो, यह उन लोगों के लिए आश्वासन का महत्वपूर्ण स्रोत होने जा रही है जो समाधान योजना का उपयोग कर रहे हैं। केवल आपराधिक मामलों के व्यक्तियों के खिलाफ मामला चलेगा, न कि कंपनी के खिलाफ । सफल समाधान आवेदक के रिवलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। पिछले प्रमोटरों द्वारा धोरवाधड़ी के लिए सफल समाधान आवेदक के रिवलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। तो, मुझे उम्मीद है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को इस संदेश को समझने और प्रसारित करने का अनुरोध करती है। यह सभी बिडकर्ता के लिए लाभप्रद है। <u>तो अब, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है कि पिछले प्रोमोटर्स की गलतियों के लिए कर संबंधी अधिकारी उनका पीछा करेंगे</u>। एक बार समाधान योजना स्वीकार हो जाने के बाद, पहले के प्रमोटरों के साथ उनकी आपराधिकता के लिए व्यक्तियों के रूप में व्यवहार किया जाएगा, नए बिडकर्ता जो कंपनी को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, के विरूद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगा तो, यह स्पष्ट है .....

(जोर दिया गया)

73. इस प्रकार यह देरवा जा सकता है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 238में यह प्रावधान है कि दो कानूनों के बीच असंगति के मामले में आई एंड बी कोड प्रबल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सफल समाधान आवेदक के लिए क्षतिपूर्ति के बारे में

सवाल था और यह संशोधन स्पष्ट रूप से इसे सरकार के लिए बाध्यकारी बना रहा था। उन्होंने कहा, कि समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद सरकार आगे कोई दावा नहीं करेगी। तो, यह उन लोगों को आष्वस्त करेगा जो समाधान योजना का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी माननीय सदस्य से इस संदेश को समझने और इसे प्रसारित करने का अनुरोध किया कि आई एंड बी कोड सभी नए बिडकर्ता के लिए लाभप्रद है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है कि कर अधिकारी पहले के प्रमोटरों की गलतियों के लिए उनके पीछे पड़ जाएगा। वह आगे कहती है, कि एक बार समाधान योजना स्वीकार हो जाने के बाद, पहले के प्रमोटरों के साथ उनकी आपराधिकता के लिए व्यक्तियों के रूप में व्यवहार किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई उन नए बिडकर्ता के विरूद्ध नहीं की जाएगी जो कंपनी की पुर्नस्थापना का प्रयास कर रहा है।

74. इस न्यायालय को **केपी वर्गीज वी. बनाम् इनकम टैक्स ऑफिसर, एर्नाकुलम एवं अन्य**[11]ख्(1981) 4 एससीसी 173, के मामले में इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या माननीय वित्त मंत्री द्वारा विधेयक को पेश करने का कारण बताते हुए दिया गया भाषण, कानून द्वारा सुधार की जाने वाली अनियमितताओं का पता लगाने के उद्देश्य से संदर्भित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

यह सच है कि विधायिका के सदस्यों द्वारा सदन के पटल पर दिए गए भाषण जब एक वैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए किसी विधेयक पर बहस की जा रही है, वैधानिक प्रावधान को समझने के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य हैं, लेकिन विधेयक के प्रस्तावक द्वारा विधेयक को पेश करने का कारण बताते हुए दिए गए उस भाषण को अनियमितताओं का पता लगाकर बनाये जाने वाले कानून और जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाया गया है, उसके द्वारा सुधार किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से संदर्भित किया जा सकता है। यह न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि भारत में भी न्यायवादी विचार में हाल की प्रवृति के अनुरूप है कि एक कानून की व्याख्या अर्थ के निर्धारण में एक अभ्यास है, सब कुछ जो तार्किक रूप से सापेक्ष है वह स्वीकार्य होना चाहिए। वास्तव में इस न्यायालय के कम से कम तीन निर्णय हैं, एक लोक शिक्षा ट्रस्ट बनाम् सीआईटी ख्(1976) 1 एससीसी 254:1976 एससीसी (टैक्स) 14:101 आईटीआर 234:1976 एलआर1,, दूसरे में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाम् इनकम टैक्स आयुक्त ख्(1976) 1 एससीसी 324:1976 एससीसी (टैक्स) 41ः101 आईटीआर 796:1976 टैक्स एलआर 210, और तीसरा इन अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम् सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैनुफैक्चर्स एसोसिएषन ख्(1980) 2 एससीसी 31ः1980 एससीसी (टैक्स) 170:121 आईटीआर 1, जहाँ अधिनियम की धारा 2, रवंड (15) में बहिष्करण खंड पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को न्यायालय द्वारा यह पता लगाने के उद्देश्य से उद्धृत किया गया था कि उस खंड को पेश करने का कारण क्या था। वित्त मंत्री द्वारा उप-धारा (2) को पेश करते हुए संशोधन पेश करते समय दिए गए भाषण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन परिस्थितियों में उप-धारा (2) पारित की गई थी। वह कौन सी अनियमितता थी जिसके लिए उस समय धारा 52 में कोई प्रावधान

नहीं था और जिसे उप-धारा (2) के अधिनियमन द्वारा दूर करने की मांग की गई थी और उप-धारा (2) को अधिनियम के रूप में लाना क्यों आवश्यक था।

75. भारत संघ और अन्य बनाम् मार्टिन लॉटरी एजेंसियां लिमिटेड[12] (2009) 12 एससीसी 209, के मामले में इस न्यायालय के पैराग्राफ 38 में की गई उपरोक्त टिप्पणियों को निर्णय के.पी. वर्गीज के फैसले में उद्धृत किया है (ऊपर)।

76. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संशोधन की व्याख्या करते हुए माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को यह पता लगाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है कि विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण क्या था। भाषण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता हैः

(1) वे कौन सी परिस्थितीयां थीं जिनमें संशोधन किया गया था;

(2) वे कौन सी अनियमितताएं थी जिनका उल्लेरव गैर संशोधित धारा में नहीं था; और

(3) संशोधित अधिनियम द्वारा क्या सुधारने की मांग की गई थी।

77. यह स्पष्ट है कि जो अनियमितताएं आई एंड बी कोड की धारा 31 के संशोधन के पूर्व उभर कर सामने आई थी कि विधायिका का मंतव्य था कि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के पश्चात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा कर प्राधिकरणों सहित अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को देय बकाया राशि समाप्त समझी जाएगी, किन्तु कुछ अस्पष्टता के कारण राज्य/ केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने उन्हें देय ऋणों के संबंध में कार्यवाही जारी रखी । उक्त अनियमितता को दूर करने के लिए, विधायिका ने स्थिति को स्पष्ट करना उचित समझा कि एक बार समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात, ऐसे सभी क्लेम/ बकाया जो राज्य/ केन्द्र सरकार या टैक्स अधिकारियों सहित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को देय हैं, जोकि समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, समाप्त समझा जायेगा।

78. न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह के ग्रंथ ''सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत'' 14वां संस्करण, न्यायमूर्ति ए के पटनायक, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीष, द्वारा संशोधित, में यह पाया गयाः

(i) **घोषणात्मक कानून**

पूर्वव्यापी संचालन के संदर्भ में अनुमान घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होता है। जैसा कि सीआरएआईईएस में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित हैः ''आधुनिक उद्देश्यों के लिए घोषणात्मक अधिनियम को सामान्य कानून, या किसी कानून के अर्थ या प्रभाव के बारे में मौजूद संदेहों को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का

सामान्य कारण यह है कि संसद जिसे न्यायिक त्रुटि मानती है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है, चाहे वह सामान्य कानून के बयान में हो या कानूनों के बयान मे हो या कानूनों की व्याख्या में। आमतौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो इस तरह के अधिनियम में एक प्रस्तावना और ''घोषित'' के साथ-साथ ''अधिनियमित'' शब्द भी होता है।''[13] क्रेइज़ः कानून 7 एडिषन, पी.58, स्वीकृत इन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम. उनके कर्मचारी, एआईआर 1960 एससी 12, पी। 27:(1960) 1 एससीआर 200. ''देरवो जोन्स बनाम. बेनेट, (1890) 63 एलटी 705, पी। 708 (लार्ड कोलरिज, सी.जे.), मद्रास मरीन एंड कंपनी वी मद्रास राज्य, (1986) 3 एससीसी 552, पी। 563:एआईआर 1986 एससी 1760; सतनाम ओवरसीज (एक्सपोर्ट) बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 2003 एससी 66, पी। 84:(2003) 1 एससीसी 561. लेकिन यह ''घोषित किया जाता है'' शब्दों का उपयोग निर्णायक नहीं है कि अधिनियम इन शब्दों के लिए घोषणात्मक है, कभी-कभी, कानून के नए नियमों को लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और बाद के मामले में अधिनियम केवल कानून में संशोधन करेगा और आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं होगा [14] हार्डिंग वी. क्वींसलैंड स्टाम्प कमिष्नर, (1898) एसी 769, पीपी 775, 776 (पीसी).

इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने में, रूप के बजाय सार को ध्यान में ररवा जाना चाहिए [15] आईबीआईडी द्द

यदि कोई नया अधिनियम पहले के अधिनियम की व्यारव्या करने के लिए है, तो यह तब तक बिना किसी उद्देश्य के होगा जब तक कि पूर्वव्यापी नहीं माना जाता [16] त्. वी. डर्सले (निवासी), (1832) 110 ईआर 168, पी। 169

एक व्याख्यात्मक अधिनियम आमतौर पर एक स्पष्ट चूक की आपूर्ति करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेहों को दूर करने के लिए पारित किया जाता है [17] केषवलाल जेथलाल शाह बनाम मोहनलाल, एआईआर 1968 एससी 1336, पी। 1339ः(1968) 3 एससीआर 623. यह सवाल की क्या संषोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण वास्तव में व्यारव्यात्मक है या नहीं, इसके निर्माण पर निर्भर करेगा। इन एस. के. गोविंदन एंड संस बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर, कोचीन, एआईआर 2001 एससी254 पी.260:(2001) 1 एससीसी 460:(2001) 247 आईटीआर 192, व्याख्या अंकोमेटैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 139 (8) मं अंतःस्थापित 2 को स्पष्टीकरणात्मक माना गया था लेकिन में बिरला सीमंट वक्र्स वी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जेटी 2001 (3) एससी 256, पी.262:(2001)9 एससीसी 35:एआईआर 2001 एससी 1080, यह माना गया कि कर अधिनियम में संशोधन अधिनियम द्वारा केवल एक स्पष्टीकरण को जोड़ने के बिना, स्पष्टीकरणात्मक और पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। में इंकोमेटैक्स भेपाल के आयुक्त बनाम शेली प्राडक्ट्स, (2003) 5 एससीसी 461, पीपी 477,478: एआईआर 2003 एससी 2532 प्रोविसो (ए) और (रव) 141989 को लागू हुए अधिनियम मे संशोधन करके इंकोमेटैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 240 में जोड़ा गया था, जिसे स्पष्टीकरणात्मक और माना गया था भविष्यसूचक यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई कानून उपचारात्मक है या केवल पिछले कानून का घोषणात्मक है तो पूर्वव्यापी संचालन आमतौर पर अभिप्रेत है[18] चन्नन सिंह बनाम जय कुमार (श्रीमती), एआईआर 1970 एससी 349, पी.349, पी।351:(1969)2 एससीसी 429 भाषा का अर्थ हमेशा माना जाएगा[19] सीआईटी बनाम. स्ट्रा प्राडक्ट्स, एआई आर 1966 एससी 1113:1966 (2) एससीआर 881 या को कभी भी शामिल नहीं माना जाएगा[20] भारत संघ बनाम् एस.. मुथियम रेड्डी, जेटी 1999(7) एससी 596, पी. 597:1999(7)एससीसी 545:एआईआर 1994 एससी 388] घोषणात्मक है, और स्पष्ट शब्दों में पूर्वव्यापी है। स्पष्ट शब्दों की अनुपस्थिति दर्षाती है कि संशोधन अधिनियम घोषणात्मक है, इसका अर्थ तब नहीं लगाया जाएगा जब पूर्व- संशोधित

प्रावधान स्पष्ट और संदेह से परे था। [21] सकुरू वी. तनोजी, (1985) 3 एससीसी 590, पी. 594: एआईआर 1985 एससी 1279. एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के एक प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विषुद्ध रूप से स्पष्टीकरणात्मक हो सकता है जो पहले से ही निहित था। इस स्वरूप के एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और इसलिए, यदि संविधान के लागू होने पर मूल अधिनियम मौजूदा कानून था, तो संशोधन अधिनियम भी मौजूदा कानून का हिस्सा होगा [22] पंजाब ट्रेडर्स वी. पंजाब राज्य , एआईआर 1990 एससी 2300, पी.2304: 1991 (1) एससीसी 86 एक घोषणात्मक कानून की प्रकृति और प्रभाव से संबंधित कानून के उपरोक्त कथन को कई मामलों में इस पुस्तक के पहले के संस्करणों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है [23] आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरण, 1995 (1) स्केल 692, पी.704: एयर 1996 एससी 238, पी.246: (1995) 2 एससीसी 630; एलाइड मोटर्स(पी.) लिमिटेड वी. सीआईटी , एआईआर 1997 एससी 1361, पीपी। 1366, 1367: 1997 (3) एससीसी 472; सीआईटी वी. पोद्दार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ., एआईआर 1997 एससी 2523, पीपी। 2537, 2538: 1997 (5) एससीसी 482; श्याम सुंदर वी. राम कुमार , एयर 2001 एससी 2472, पी. 2487: (2001) 8 एससीसी 24; ज़िले सिंह वी. हरियाणा राज्य , (2004) 8 एससीसी 1, पी। 9: एआईआर 2004 एससी 5100, पीपी 5103, 5104; इनकम टैक्स कमिश्नर अहमदाबाद वी. गोल्ड काइन हेल्थ फूड प्राईवेट लिमिटेड ., (2008) 9 एससीसी 622 पैरा 19.20: (2009) 9 जेटी 312. ''आगे देखें '' एस. बी भट्टाचार्य वी. एस. (2014). डी. मजूमदार , एआईआर 2007 एससी 2102 (पैरा 26 से 29): (2007) 7 जेटी 381 मिथिलेश कुमारी बनाम् प्रेम बिहारी खरे [24] एआईआर 1989 एससी 1247, पी. 1255: 1989 (2) एससीसी 95 मामले में बेनामी लेनदेन (निषेध) की धारा 4 अधिनियम, 1988 को, प्रस्तुत किया गया है, गलत तरीके से स्वरूप में एक अधिनियम घोषणात्मक माना गया इसे क्योंकि इसे सामान्य कानून या किसी कानून के अर्थ या प्रभाव के बारे में मौजूद किसी भी संदेह का दूर करने के लिए पारित नहीं किया गया था। निष्कर्ष, हालांकि, वह धारा 4 पहले के बेनामी लेनदेन पर भी लागू होती है और अनुभाग में इस्तेमाल की गई भाषा में सहायक हो सकती हैं। मिथिलेश कुमारी मामले की आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरण [25] 1995 (1) स्केल 692: 1995 एआईआर एससीडब्ल्यू 1422: एआईआर 1996 एससी 238 मामले में सहमति मिली जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उद्धृत करने के बाद (पांचवां संस्करण 01 पीपी। 315, 316) में कहा: ''उपरोक्त टिप्पणियों के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।'' [26] आईबीआईडी, पी. 704 (स्केल): पी. 246 (एआईआर) आयकर अधिनियम, 1961 में 1.4.1988 से धारा 43 बी में जोड़ा गया एक प्रावधान 1.4.1984 से विचार के लिए आया एलीड मोटर्स (पी.) लिमिटैड बनाम इनकल टैक्स कमिश्नर [27] एआईआर 1997 एससी 1361, पीपी 1366, 1367: 1997 (3) एससीसी 472; इसी तरह में इनकम टैक्स कमिश्नर बनाम. सुरेश एन. गुप्ता, (2008) 4 एससीसी 362 पैरा 38 और 39: एआईआर 2008 एससी 572, 1.6.2002 से इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 113 में अंतःस्थापित परंतुक को स्पष्टीकरणात्मक और पूर्वव्यापी माना गया था। फिर से में इनकम टैक्स आयुक्त बनाम् एलोम एक्सटेंषन लिमिटेड, (2010) 1 एससीसी 489: (2009) 14 जेटी 441 दूसरे परंतुक को हटाना और इनकम टैक्स की धारा 43बी के दूसरे परंतुक में परिणामी संशोधन वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा अधिनियम, 1961 को उपचारात्मक और पूर्वव्यापी माना गया था। मामले में और यह धारा की शुरूआत से ही इस तर्क पर पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था कि प्रावधान को अनपेक्षित परिणामों को दूर करने और एक स्पष्ट चूक की भरपाई करने के लिए जोड़ा गया था ताकि धारा को एक उचित व्याख्या दी जा सके और वास्तव में प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए संशोधन अपने उद्देष्य की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि इसे पूर्वव्यापी के रूप में नहीं माना जाता है। इनकम टैक्स आयुक्त, बाम्बे बनाम पोद्दार सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड, [28] एआईआर 1997 एससी 223,

पी. 2538: (1997) 5 एससीसी 482.मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा तब तक किए गए संशोधन धारा 27 (iii), (iiia) से संबंधित हैं और (iiib) जिसने ''घर की संपत्ति के मालिक'' अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित किया, जिसके संबंध में उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद था, प्रकृति में स्पष्ट और घोषणात्मक था और परिणामस्वरूप पूर्वव्यापी था। इसी तरह, ब्रिज मोहन दास लक्ष्मण दास बनाम् इनकम टैक्स कमिश्नर [29] एआईआर 1997 एससी 1651, पी. 1654: 1997 (1) एससीसी 352; पुष्टि हुई इन सुवालाल आनंदलाल जैन बनाम् इनकम टैक्स कमिश्नर, एआईआर 1997 एससी 1279: (1997) 4 एससीसी 89 और इनकम टैक्स कमिश्नर बाम्बे बनाम् कांजी षिवाजी एंड कंपनी, एआईआर 2000 एससी 774: (2000) 2 एससीसी 253. आगे देरवें नोट 42 में मामले, ऊपर मामले में स्पष्टीकरण 2 को 1.4.1985 से इनकम-टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 40 में जोड़ा गया था, जिस प्रश्न पर मतभेद था, उसे प्रकृति में घोषणात्मक माना गया था और इसलिए, पूर्वव्यापी था। और ज़िले सिंह बनाम हरियाणा राज्यड० (2004) 8 एससीसी: एआईआर 2004 एससी 5100 मामले में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 में हरियाणा नगर निगम (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा धारा 13ए (1994 में जोड़ा गया) के प्रावधान में ''बाद'' शब्द के लिए ''तक'' शब्द को प्रतिस्थापन को विधायी इरादे के अनुरूप करने के लिए यह स्पष्ट रूप से मसौदा त्रुटि का सुधार माना गया था और इसलिए, पूर्वव्यापी था। यहां तक कि प्रावधान के संशोधन के बिना, अदालत ने पूरी संभावना के साथ संशोधन द्वारा संशोधित धारा को पढ़ा और व्याख्या की होगी 31 आईबीआईडी, पी. 23 (एससीसी)

79. ज़िले सिंह बनाम् हरियाणा राज्य और अन्य 32 (2004) 8 एससीसी 1 के मामले में इस अदालत के पास हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1973 की धारा 13ए के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर था, जो संषोधन से पहले, इस प्रकार थाः

13ए'' सदस्यता के लिए अयोग्यता -

(1) किसी व्यक्ति को म्यूनिसिपल निकाय के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा

,,,

(सी) अगर उसके पास दो से अधिक जीवित बच्चे हैं-

बशर्ते कि यदि एक व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं इस अधिनियम के प्रारंभ के एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद तो वह अयोग्य नहीं माना जाएगा।

,,,

(जोर दिया गया)

80. ''प्रावधान के दोषपूर्ण मसौदा से यह अर्थ निकलता था कि नगरपालिका के सदस्य का पद धारण करने के संदर्भ में किसी व्यक्ति पर तीसरे बच्चे को जन्म देने और जन्म देने से लगाया गया विधायी प्रतिबंध केवल एक वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में रहा और उसके बाद इसे हटा दिया गया। इसकी व्याख्या की जा सकती है कि जिस तारीख को धारा 13ए को कानून की किताब में शामिल गया था, यानी दिनांक 5.4.1994 से, भले ही कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाए, 5.4.1994 से एक वर्ष की समाप्ति पर अयोग्यता रवत्म हो जाती और वह एक बार फिर से चुनाव लड़ने और नगरपालिका के सदस्य का पद संभालने के लिए योग्य हो गया। त्रुटि का एहसास होने के बाद, धारा 13ए में निम्नानुसार संशोधन किया गयाः

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के रवंड (सी) के प्रावधान में **''बाद में''** शब्द ''**अब तक''** से **बदल** दिया जाएगा।

(जोर दिया गया)

81. इस न्यायालय ने यह देरवते हुए कि संशोधन स्वरूप में स्पष्टीकरणात्मक था, इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

''14.'' **पूर्वव्यापी संचालन संबंधी अनुमान घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति को निर्धारित करने में, रूप के बजाय सार को ध्यान में ररवा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम किसी पहले के अधिनियम की व्याख्या करने के लिए है, तो यह तब तक बिना किसी उद्देश्य के होगा जब तक कि इसे पूर्वव्यापी न समझा जाए। एक व्यारव्यात्मक अधिनियम आमतौर पर एक स्पष्ट चूक की आपूर्ति करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेहों को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई कानून पूर्ववर्ती कानून का केवल सुधारात्मक घोषणात्मक स्वरूप का है तो पूर्वव्यापी संचालन का सामान्य रूप से इरादा होता है। एक संशोधन अधिनियम मुख्य अधिनियम के एक प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विषुद्ध रूप से घोषणात्मक हो सकता है जो पहले से ही निहित था।** इस स्वरूप के एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। ('' आईबीआईडी ,, पीपी। 4689)। '' ''

15. हालांकि पूर्वव्यापीता का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और क्रेज़ स्टेटयूट लॉ, 7वें संस्करण के अनुसार, पूर्वव्यापीता के संबंध में पूर्वधारणा है। विधायिका के लिए पूर्वव्यापी संचालन वाले कानूनों को लागू करने के लिए अधिकार है। यह स्पष्ट अधिनियम द्वारा या प्रयुक्त भाषा के अपेक्षित निहितार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह प्रयुक्त भाषा का अपेक्षित निहितार्थ है कि विधायिका का इरादा एक धारा विशेष के पूर्वव्यापी संचालन से या तो न्यायालय ऐसे संचालन की अनुमति देगी। **स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया पूर्वव्यापी संचालन के संदर्भ में अदालतों को प्रावधानों का अर्थ निकालने**

और इस सवाल को जवाब देने के लिए कहा जा सकता है कि क्या विधायिका ने कानून की पूर्वव्यापीता को देरवते हुए उस इरादे को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया था। चार कारकों को प्रासंगिक के रूप में सुझाया गया हैः (i) कानून का सामान्य दायरा और संभावना; (ii) जिस उपाय को लागू करने की मांग की गई थी; (iii) कानून की पूर्व स्थिति; और (iv) यह क्या था जिस पर विधायिका ने विचार किया था।'' (पृष्ठ 388) पूर्वव्यापीता के रिवलाफ नियम निरस्तीकरण के प्रभाव से बचाने के लिए विस्तारित नहीं है जो एक विशेषाधिकार होते हुए भी अर्जित अधिकार के बराबर नहीं था। (पृष्ठ 392)

16. ' **जहां एक पूर्व कानून में एक स्पष्ट चूक की भरपाई करने के उद्देश्य से या एक पूर्व कानून की ''व्याख्या'' करने के लिए, एक कानून पारित किया जाता है नए कानून का संबंध उस समय से है जब पूर्व अधिनियम पारित किया गया था। पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम ऐसे कानूनों पर लागू नहीं होता है जो निश्चित रूप से व्याख्यात्मक और घोषणात्मक होते हैं।**'' इसका ज्वलंत उदाहरण अटार्नी जनरल बनाम् पाजेट मामला [(1816) 2 मूल्य 381:146 ईआर 130], (पी. 392 पर मूल्य) है। 1873 के सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा (53 भू.3, सी। 33) 9एस4डी की खाल पर एक शुल्क लगाया गया था, लेकिन अधिनियम में यह कहने के लिए छोड़ दिया गया है कि यह 9एस4डी प्रति सीडब्ल्यूटी होना था, और इसे ठीक करने के लिए एक और सीमा शुल्क अधिनियम (53 जीईओ) 3, सी 105) उसी वर्ष बाद में पारित किया गया था। इन दो अधिनियमों के पारित होने के बीच कुछ खाल का निर्यात किया गया था, और यह तर्क दिया गया था कि वे 9एस4डी प्रति सीडब्ल्यूटी के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन थामसन, सीबी ने अटार्नी जनरल के लिए निर्णय देते हुए कहाः (ईआर पृष्ठ 134)

'' इस मामले में शुल्क वास्तव में, पहले अधिनियम द्वारा लगाया गया था, लेकिन वजन की चूक की गलती हुई जिसके लिए व्यक्त की गई राशि देय थी, परिणामस्वरूप बाद के अधिनियम द्वारा संशोधन की आवष्यकता हुई लेकिन जैस ही यह पारित हुआ, उसमें पूर्व कानून का संदर्भ था, और उन्हें ऐसे समझा जाना चाहिए जैस कि वे एक ही अधिनियम हों; (प्राइस पृ. 392)

17. मैक्सवेल अपने पुस्तक इंटेरप्रेटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स (12वां संस्करण) में कहते हैं कि पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ नियम केवल एक धारणा है, और इस तरह इसे ''न केवल अधिनियम में व्यक्त शब्दों द्वारा बल्कि परिस्थितियों द्वारा भी दूर किया जा सकता है जो इसे विस्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं'' (पृष्ठ 225). ''यदि विधायिका के प्रमुख इरादे को स्पष्ट रूप से और निस्संदेह स्पष्ट किया जा सकता है, तो शाश्वतता के खिलाफ नियम में निहित निषेध संदिग्ध रूप से लागू हो जाता है क्योंकि नियम का निषेध ''एक डिग्री का मामला है'' जो विषय वस्तु के अनुसार होगा।'' (पृष्ठ 226). कभी-कभी, जहां कानून की भावना इसकी मांग करती है या जहां मसौदा तैयार

करते समय स्पष्ट चूक हुई है एक अदालत उस शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार होगी जो वास्तव में अधिनियम के पाठ (पृ 231) में है।

18. इस न्यायालय के हाल के निर्णय में राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम् '' यूनियन ऑफ इंडिया (2003) 5 एससीसी 23, मामले में यह पाया गया

कि किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। हर कानून चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, विधायी क्षमता के सवाल के अधीन होना चाहिए। पूर्वव्यापीता का निर्णय कुछ मापदंडो पर लिया जा सकता है जैसे किः (i) उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन प्रदान करना या स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए;

(ii) पूर्वव्यापीता तर्कसंगत होनी चाहिए और अत्याधिक या कठोर नहीं अन्यथा, इसे असंवैधानिक के रूप में खारिज किए जाने का जोखिम रहता है; (iii) जहां एक न्यायिक निर्णय के लिए कानून पेश किया जाता है, निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना निर्णय को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। एक मजबूत वैधानिक परिवर्तन के साथ एक सत्यापन खंड केवल उन तरीकों में से एक है, जिसमें असंशोधित कानून के तहत कार्यों की पुष्टि नहीं की जाए। नतीजतन, सत्यापन खंड का अभाव अपने आप में वैधानिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन को प्रभावित करता है, अगर ऐसी पूर्वव्यापीता अन्यथा स्पष्ट है।

19. संविधान पीठ ने श्याम सुंदर बनाम् राम कुमार ख्(2001) 8 एससीसी 24, मामले में पायाः (एससीसी पी। 49, पैरा 39)

''आम तौर पर जब कोई अधिनियम पिछले कानून को स्पष्ट करता है, तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने की आवश्यकता होती है। एक घोषणात्मक कानून का कार्य एक चूक की भरपाई करना या पिछले कानून की व्याख्या करना है और जब ऐसा अधिनियम पारित किया जाता है, तो यह तब लागू होता है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था। कानून बनाने की विधायी शक्ति में यह घोषित करने की शक्ति शामिल है कि कानून से पहले क्या था और जब इस तरह का घोषणात्मक अधिनियम पारित किया जाता है, तो इसे हमेशा पूर्वव्यापी माना जाता है। केवल एक अधिनियम में घोषणा शब्द के उपयोग की अनुपस्थिति यह समझाते हुए कि पहले कानून क्या था, एक घोषणात्मक अधिनियम प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अदालत किसी अधिनियम को घोषणात्मक या व्यारव्यात्मक के रूप में पाती है, तो इसे पूर्वव्यापी के रूप में माना जाना चाहिए (पृष्ठ 2487).''

20. बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम् बिहार राज्य मामले में ख्(1955) 2 एससीआर 603: एआईआर 1955 एससी 6611,, हेडन केस ख्(1584) 3 सीओ प्रतिनिधि. 7ए: 76 ईआर 637, को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। विद्वान न्यायाधीषों ने कहा हैः (एससीआर पीपी। 63233)

यह 1584 से इंगलैंड में दृढ़ता से स्थापित एक कानून के निर्माण का एक ठोस नियम है जब हेडन केस [(1584) 3 सीओ प्रतिनिधि 7ए: 76 ईआर 637], में तय किया गया था कि-

''...सामान्य रूप से सभी कानूनों की निश्चित और सही व्याख्या के लिए (चाहे वे दंडात्मक हों या लाभकारी, प्रतिबंधात्मक या सामान्य कानून का विस्तार) चार चीजों को समझना और विचार करना है -

(i) पहला . अधिनियम बनाने से पहले सामान्य कानून क्या था।

(ii) दूसरा . वह क्या अनियमितता और दोष या जिसके लिए सामान्य कानून ने प्रावधान नहीं किया था।

(iii) तीसरा . राष्ट्रमंडल की बीमारी को ठीक करने के लिए संसद ने कौन सा उपाय सुझाया है और नियुक्त किया है, और

(iv) चौथा . उपाय का सही कारण; और फिर सभी न्यायधीशों का उद्देश्य हमेशा ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है जो अनियमितता को दबाए, और उपाय को आगे बढ़ाए, और अनियमितता को जारी ररवने के लिए नए उपाय और टालमटोल को दबाए, जो निजी सुविधा हेतु है, और अधिनियम के निर्माताओं के सही संकल्प के अनुसार, उपचार और उपाय पर बल देने के लिए, जो जनहित में है।''

21. एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम सीआईटी ख्(1997) 3 एससीसी 472,, मामले में संसद द्वारा अधिनियमित एक प्रावधान से कुछ अनपेक्षित परिणाम प्राप्त हए। इसमें एक स्पष्ट चूक थी। दोष को ठीक करने के लिए, एक संशोधन के माध्यम से एक प्रावधान पेष करने की मांग की गई थी। अदालत ने माना कि यदि यह अधिनियम के प्रकट ध्येय और उद्देश्य को पराजित करता है तो शाब्दिक निर्माण से बचा जा सकता है। तर्कपूर्ण व्याख्या का नियम लागू होना चाहिए।

''एक प्रावधान जो अनपेक्षित परिणामों के लिए और प्रावधान को व्यावहारिक बनाने के लिए जोड़ा गया है, एक प्रावधान जो अनुभाग में एक स्पष्ट चूक प्रदान करता है और अनुभाग को एक उचित व्याख्या देने के लिए अनुभाग में पढ़ा जाना आवष्यक है, संचालन में पूर्वव्यापी के रूप में माना जाना चाहिए ताकि समग्र रूप से अनुभाग को एक उचित व्याख्या दी जा सके।''[एससीसी पीपी। 479-80, पैरा 13]

22. हरियाणा के राज्य विधानमंडल ने 5.4.1985 से अयोग्यता लागू करने की पहल की और ऐसा किया गया। **दो से अधिक रहने वाले बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को उस दिन और उसके बाद से नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नये पेश किए गए अयोग्यता के संचालन की स्थिति से अपवाद के प्रावधान तैयार करते समय ड्राफ्टमैन की भूल ने समस्या खड़ी कर दी। प्रावधान के सरल पाठ से ऐसा परिणाम निकला जिसका विधायिका ने कभी इरादा नहीं किया था और न ही इरादा कर सकती थी। यह सच है कि दूसरा संशोधन स्पष्ट रूप से संशोधन को पूर्वव्यापी संचालन नहीं देता है। कानून को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी कार्रवाई देने वाले प्रावधान का अभाव इसकी संभावना या पूर्वव्यापीता का निर्धारक नहीं है। आंतरिक साक्ष्य यह दिखाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं कि संशोधन का उद्देश्य आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव डालना था और यदि न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्वव्यापीता के पक्ष में निष्कर्ष निकाल सकता है, न्यायालय अधिनियम को वह कार्रवाई देने में तब तक संकोच नहीं करेगा जब तक कि कानून में निहित किसी भी जनादेश या कानूनों की व्याख्या में एक स्थापित सिद्धांत द्वारा ऐसा करने से रोका न जाए।**

(जोर दिया गया)

82. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस संबंध में विधायी मंतव्य को समझना आवश्यक है। यदि एक संषोधन द्वारा विधायिका एक पूर्व कानून में एक स्पष्ट चूक की भरपाई करती है या एक पूर्व कानून की व्याख्या करती है, तो बाद के कानून का उस समय से संबंध है जब पूर्व अधिनियम पारित किया गया था।

83. **ज़िले सिंह** (ऊपर) के मामले में निर्धारित कानून इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में बाद में पालन किया गया है। **आयकर आयुक्त अहमदाबाद बनाम् गोल्ड काइन हेल्थ फूड प्राईवेट लिमिटेड** 33 (2008) 9 एससीसी 622 (तीन न्यायधीशों की पीठ) मामला इसमें शामिल है।

84. इस अदालत को हाल ही में **भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन और दूसरा** 34 (2008) 9 एससीसी 622 , मामले में इस सवाल पर विचार करने का अवसर मिला, कि क्या आई एंड बी कोड की धारा 14 की उप-धारा (3) में 2018 का संशोधन अधिनियम 26 द्वारा किया गया संशोधन स्पष्टीकरण स्वरूप का था या नहीं। उक्त संशोधन द्वारा, आई एंड बी कोड की धारा 14 की उप-धारा (3) को यह प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था कि धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रावधान कॉर्पोरेट डेब्टर के लिए गारंटी के अनुबंध में किसी मुचलके पर लागू नहीं होंगे। उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

30. अब हम इस तर्क पर आते हैं कि 2018 का संशोधन, जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 14 (3), अब इसे पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित की गई है

धारा 14 की उप-धारा (1) कॉर्पोरेट देनदार के लिए गारंटी के अनुबंध में एक मुचलके पर लागू नहीं होगा। संशोधित धारा इस प्रकार हैः

'' 14. **मोराटोरियम** .-(1)(2) '

, ,

(3) उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे

(क) ऐसे लेन-देन जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के रेग्यूलेटर के साथ परामर्श में सूचित किया जा सकता है;

(रव) एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक मुचलका

31. कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा गठित दिवाला कानून समिति ने 26.3.2018 की अपनी रिपोर्ट द्वारा कुछ प्रमुरव सिफारिशें कीं, जिनमें से एक थीः

(पअ) कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के संदर्भ में कॉर्पोरेट देनदार के गारंटीकर्ता की परिसंपत्तियों की स्थिति भ्रम को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट करने की सिफारिश की गई है कि कॉर्पोरेट देनदार के ऐसे गारंटर की सभी परिसंपत्ति कोड के अंतर्गत अधिस्थगन के दायरे से बाहर होंगी।

(जोर दिया गया)

32. जहां तक धारा 14 के तहत अधिस्थगन का संबंध है, समिति ने यह पता लगायाः

5.5 धारा 14 में कॉर्पोरेट देनदार और उसकी परिसंपत्ति के खिलाफ चल रही या नई कार्यवाही मुकदमों आदि पर रोक लगाने का प्रावधान है। कॉर्पोरेट देनदार के ऋण से प्रभावित तीसरे पक्ष, जैसे गारंटर या मुचलके को अपने आवेदन को फिर से देने के लिए स्थगन के दायरे पर विरोधाभासी विचार रहे हैं। जबकि कुछ अदालतों का विचार है कि धारा 14 की व्याख्या इस अर्थ में की जा सकती है कि यह केवल कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई को प्रतिबंधित करती है, कुछ अन्य लोगों ने इस बात की व्याख्या की है कि स्थगन गारंटी पर भी लागू होता है, अगर कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई सीआईआरपी चल रहा है।

,,,

5.7 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अलग विचार रखा संजीव श्रिया बनाम् एसबीआई [संजीव श्रिया बनाम् एसबीआई , 2017 एससीसी आनलाईन आल 2717:(2018) 2 आल एलजे 769:(2017) 9 एडीजे 723], मामले में ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर की गारंटी के प्रवर्तन

के लिए अधिस्थगन लागू करके। तर्क यह है कि यदि कोई सीआईआरपी कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ है, तो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय ऋण समाधान योजना के अनुमोदित होने तक अंतिम नहीं है, और इस प्रकार जमानत की देनदारी भी स्पष्ट नहीं होगी। अदालत ने यह विचार रखा कि जब तक कॉर्पोरेट देनदार का ऋण स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक गारंटर की देनदारी शुरू नहीं हो सकती है। समिति ने विचार-विमर्ष किया और नोट किया कि इसका मतलब यह होगा कि अगर कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सीआईआरपी चल रहा है तो श्यूरिटी की देयताएं को रोक दिया जाएगा, और इस तरह की व्याख्या से गारंटी के अनुबंध रद्द हो सकते हैं, और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें अनुमति दी गई है।

5.8 एसबीआई वी. बनाम् रामकृष्णन [एसबीआई बनाम् वी रामकृष्णन , 2018 एससीसी ऑनलाइन एनक्लैट 384], के मामले में एनसीएलएटी ने धारा 14 की एक व्यापक व्याख्या की और यह माना कि यह प्रतिभूतियों के खिलाफ कार्यवाही या कार्रवाई पर रोक लगाएगा। ऐसा करते समय इसने उपरोक्त किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया, बल्कि इसके बजाय यह माना कि गारंटर के रिवलाफ कार्यवाही सीआईआरपी को प्रभावित करेगी और इस प्रकार इसे अधिस्थगन द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। समिति ने महसूस किया कि अधिस्थगन की इतनी व्यापक व्याख्या लेनदार के महत्वपूर्ण अधिकारों में कटौती कर सकती है जो गारंटी के अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.9 गारंटी का अनुबंध लेनदार, प्रमुरव देनदार और मुचलकेदार के बीच होता है, जिसके तहत लेनदार के पास मुख्य देनदार और मुचलकेदार दोनों के खिलाफ अपने ऋण के संबंध में एक उपाय होता है (नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्प. लिमिटेड बनाम् साधु एंड कंपनी नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्प. लिमिटेड बनाम साधु एंड कंपनी, 1989 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1069: एआईआर 1990 पी एंड एच 300,). यहाँ मुचलका एक कॉर्पोरेट या एक स्वभाविक व्यक्ति हो सकता है और ऐसे व्यक्ति की देनदारी मुख्य देनदार की देनदारी तक जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 128 के अनुसार, मुचलके की देनदारी प्रमुख देनदार के साथ होती है और लेनदार किसी भी क्रम में या तो मुरव्य देनदार, या मुचलकेदार, या दोनों के रिवलाफ जा सकता है (चोकलिंग चेट्टियार बनाम् दंडायुथापानी चोट्टियार [चोकलिंग चेट्टियार बनाम् दान दयुतपानी चेट्टियार, 1928 एससीसी ऑनलाइन मैड 236: एआईआर 1928 मैड 1262]) हालांकि यह गारंटी के अनुबंध की शर्तों द्वारा सीमित हो सकता है, ऐसे अनुबंधों का सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रमुख देनदार और मुचलके की देयता सह विस्तारात्मक है और संयुक्त और अलग- अलग है (बैंक आॅफ बिहार लिमिटेड बनाम् दामोदर प्रसाद [बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड बनाम दामोदर प्रसाद , एआईआर 1969 एससी 297]), समिति ने नोट किया कि इस तरह के अनुबंधों की यह विशेषता यानी मुचलके और कार्पोरेट देनदार दोनों के खिलाफ उपाय करना है, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक पक्ष के खिलाफ उपाय करने के दायित्व के बिना, लेनदार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की पहचान है,

और इस तरह के उपाय की उपलब्धता ज्यादातर मामलों में उस आधार पर होती है जिसके आधार पर ऋण लिया गया हो सकता है।

5.10. समिति ने आगे कहा कि धारा 14 की शाब्दिक व्यारव्या विवेकपूर्ण है, और उपरोक्त संदर्भ में एक व्यापक व्याख्या की आवश्यकता नहीं हो सकती है। मुचलके की संपत्ति कॉर्पोरेट देनदार से अलग होती है, और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही, मुचलकेदार जैसे तीसरे पक्ष की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई से सामान्य रूप से प्रभावित नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त गारंटी के प्रवर्तन का कॉर्पोरेट देनदार के ऋण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि मुख्य देनदार के खिलाफ लेनदार का अधिकार केवल मुचलके में स्थानांतरित किया जाता है, मुचलके द्वारा भुगतान की सीमा तक।

इस प्रकार, गारंटी के संविदात्मक सिद्धांतों का एक अधिस्थगल के दौरान भी सम्मान किया जाना आवश्यक है और एक वैकल्पिक व्याख्या संहिता का इरादा नहीं हो सकता है, जैसा कि धारा 14 के सादे पढ़ने से स्पष्ट है।

5.11. इसके अलावा, चूंकि कॉर्पोरेट के लोन के लिए कई गारंटी इसके प्रमोटर द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के रूप में दी जाती हैं, अगर सीआईआरपी के दौरान उनकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक है, तो ऐसे प्रमोटर (जो कॉर्पोरेट एप्लिकेंट भी हैं) केवल ठहराव का लाभ उठाने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए गलत आवेदन दायर कर सकते हैं। इस संबंध में विचार किए गए निर्णयों में, कई कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा संहिता की धारा 10 के तहत दायर किए गए हैं और यह अधिस्थगन प्रावधान के दुरूपयोग की उपरोक्त आशंका की पुष्टि कर सकता है। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 14कॉर्पोरेट देनदार के ऋणों के लिए गारंटर की संपत्ति के रिवलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का इरादा नहीं रखती है और सिफारिश की है कि इसे स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण संहिता की धारा 14 में जोड़ा जा सकता है। अधिस्थगन का दायरा केवल कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति तक सीमित किया जा सकता है।

33. उक्त सिमिति की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि संशोधन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना और निर्धारित करना था कि समिति ने धारा 14 की व्यापक व्याख्या के बारे में क्या सोचा था कि इस तरह का स्पष्टीकरण संशोधन पूर्वव्यापी स्वरूप का है यह निम्न निर्णयों से स्पष्ट होगा

85. **बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड बनाम् पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स** (ऊपर) के मामले में, इस अदालत ने इस सवाल पर विचार किया, कि क्या 2018 का संशोधन जिसने आई एंड बी कोड में धारा 238ए जोड़ी, स्वरूप में स्पष्ट था या नहीं। इस न्यायालय के पहले के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

26. वर्तमान मामले में भी, यह स्पष्ट है कि धारा 238ए का संशोधन तब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि इसे पूर्वव्यापी के रूप में नहीं बनाया जाता है, अन्यथा कालातीत दावों को फिर से शुरू करने की मांग करने वाल आवेदनों को समय सीमा संबंधी कानून का ध्यान रखे बिना अनुमति देनी होगी।

27. हम इस न्यायालय के हाल के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। एसबीआई बनाम् वी. रामकृष्णन [एसबीआई बनाम वी. रामकुष्णन , (2018) 17 एससीसी 394], जहां इस न्यायालय ने स्व-दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट को संदर्भित करने के बाद, यह माना कि संहिता की धारा 14 में किया गया संशोधन, जिसमें धारा 14 द्वारा निर्धारित अधिस्थगन गारंटर पर लागू नहीं होने के लिए आयोजित किया गया था, स्पष्ट करने के लिए माना गया था, और इसलिए, पूर्वव्यापी स्वरूप का था। उद्देश्य यह है कि धारा 14 की एक व्यापक व्याख्या को करके विराम दिया जाना चाहिए यह स्पष्ट करते हुए कि शुरूआत से ही धारा 14 का यह इरादा कभी नहीं था।

86. जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, आई एंड बी कोड के प्रमुरव उद्देश्यों में से एक है, कॉर्पोरेट डेब्टर को पुनर्जीवित करना और इसे एक चलन्त इकाई बनाना। आई एंड बी कोड अपने आप में एक पूर्ण कोड है। धारा 7 के तहत याचिका स्वीकार करने पर, आरपी और सीओसी को सौंपे जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कर्तव्य और कार्य हैं। आरपी को सभी हितधारकों से दावे आमंत्रित करते हुए एक प्रकाशन जारी करना आवश्यक है। उसे उक्त जानकारी को इकट्ठा करना होगा और सूचना ज्ञापन में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन में दी गई जानकारी के आधार पर अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। समाधान योजनाओं की आरपी के साथ-साथ सीओसी द्वारा गहन जांच की जाती है। सीओसी और समाधान आवेदक के बीच होने वाली बातचीत में, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संशोधन किए जा सकते हैं, कि वित्तीय लेनदारों के साथ-साथ परिचालन लेनदारों और अन्य हितधारकों के बकाया के हिस्से का भुगतान करते समय, कॉर्पोरेट डेब्टर को पुनर्जीवित किया गया है और इसे एक चलन्त इकाई बनाया गया है। सीओसी द्वारा योजना को मंजूरी देने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने की आवश्यकता है कि योजना उन आवश्यकताओं के अनुरूप है जो आई एंड बी कोड की धारा 30 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई हैं। इसके बाद ही, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है। इस स्तर पर, यह योजना कॉर्पोरेट डेब्टर, इसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है। इसके पीछे विधायी इरादा सभी दावों को स्थिर करना है ताकि समाधान आवेदक एक संकल्प के साथ कार्य शुरू करें और किसी भी आश्चर्यजनक दावे के साथ प्रभावित न हो। यदि इसकी अनुमति है, तो उसी गणना के आधार पर जिसपर समाधान आवेदक अपनी गणना प्रस्तुत करता है, पर आधारित योजनाएं गलत साबित होगी और योजना अप्रयोज्य हो जाएगी।

87. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अन्य हितधारक शब्द का तात्पर्य केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से होगा। विधायिका ने, यह देखते हुए कि स्पष्ट चूक के कारण, कुछ कर अधिकारी आई एंड बी कोड के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे थे और कार्यवाही जारी रख रहे थे, 2019 का संशोधन लाया है ताकि उक्त अनियमितता को ठीक किया जा सके। इसलिए हमारा मानना है कि 2019 का संशोधन घोषणात्मक और स्पष्टीकरणात्मक स्वरूप का है और इसलिए परिचालन हेतु पूर्वव्यापी प्रभाव का है।

88. एक और कारण है, जो हमें उक्त विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। आई एंड बी कोड की धारा 3 की उपधारा (10) ''लेनदार'' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

(10) ''लेनदार'' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ऋण बकाया है और इसमें वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार और डिक्रीहोल्डर शामिल हैं;

89. आई एंड बी कोड की धारा 5 की उपधारा (20) और (21) क्रमशः ''परिचालन लेनदार'' और ''परिचालन ऋण'' को इस प्रकार परिभाषित करती हैं:

(20) ''परिचालन लेनदार'' का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके लिए एक परिचालन ऋण देय है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे इस तरह के ऋण को कानूनी रूप से हस्ताक्षरित या हस्तांतरित किया गया है;

(21) ''परिचालन ऋण'' का तात्पर्य ऐसे दावों से है जो वस्तुओं और रोजगार सहित सेवा या उस समय लागू कानून के फलस्वरूप बकायों के भुगतान संबंधी ऋण के प्रावधान के परिणामस्वरूप है और जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय है।

90. इसलिए ''लेनदार'' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके लिए ऋण देय है और इसमें वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार और डिक्रीहोल्डर शामिल हैं।

''परिचालन लेनदार'' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए परिचालन ऋण देय है और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या ट्रांसफर किया गया।

''परिचालन ऋण'' का अर्थ वस्तुओं या रोजगार सहित सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है।

91. यह कानून का एक मुरव्य सिद्धांत है कि एक कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आई एंड बी कोड की धारा 3 की उप धारा (10) को सामंजस्यपूर्ण तरीके से धारा 5 की उप धारा

(20) और (21) के साथ पढ़ा जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाल बकाया के संबंध में दावा ''परिचालन ऋण'' के दायरे में आएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण जिसके लिए परिचालन ऋण बकाया है, वह परिचालन लेनदार के दायरे में आएगा जैसा कि आई एंड बी कोड की धारा 5 की उप-धारा (20) के तहत परिभाषित किया गया है। नतीजतन, जिस व्यक्ति पर ऋण बकाया है, वह लेनदार की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा, जैसा कि आई एंड बी कोड की धारा 3 की उप-धारा (10) के तहत परिभाषित किया गया है। इस तरह, 2019 के संशोधन के बिना भी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण जिस पर ऋण बकाया है, जिसमें वैधानिक बकाया राशि भी शामिल है, लेनदार शब्द द्वारा कवर किया जाएगा और किसी भी मामले में आई एंड बी कोड की धारा 31 की उपधारा (1) में दिए गए ''अन्य हितधारकों'' शब्द द्वारा संबोधित किया जाएगा।

92. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2019 की डी. बी. सिविल रिट याचिका सं. 9480 में **अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड बनाम् यूनियन आॅफ इंडिया एंड एवं अन्य** मामले में दिनांक 7.4.2020 के निर्णय और आदेश द्वारा यह विचार लिया गया है कि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को स्वीकृति दिए जाने की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा जारी मांग सूचना न्यायोचित नहीं है। ऐसा करते समय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

93. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **अक्षय झुनझुनवाला एवं अन्य बनाम् कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ** 35 2018 एससीसी ऑनलाइन कैल. 142 मामले में यह भी विचार किया है कि परिचालन लेनदार के दावे में कानून द्वारा लगाए जाने के अनुसार प्राप्य धन के कारण एक वैधानिक प्राधिकरण का दावा भी शामिल होगा। हम इन न्यायालयों द्वारा लिए गए विचारों से सहमत हैं।

94. इसलिए, हमारे विचार में, उपरोक्त प्रावधानों में यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि 2019 का संशोधन घोषणात्मक और स्पष्टीकरणात्मक स्वरूप का है। हमारा यह भी मानना है कि भले ही 2019 का संशोधन प्रभावी न हो, फिर भी हमारे द्वारा लिए गए विचार के आलोक में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (यानी एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित होने के बाद, समाधान योजना से बाध्य होंगे।

उपसंहार

95. परिणाम में हम तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

(i) वह एक बार जब धारा 31 की उप धारा (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक समाधान योजना को विधिवत अनुमोदित कर दिया जाता है, समाधान योजना में दिए गए दावे

स्थिर हो जाएंगे और कॉर्पोरेट डेब्टर और उसके कर्मचारी, सदस्य, लेनदार, केंद्र सरकार सहित, कोई भी राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक के लिए बाध्यकारी होंगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख पर, ऐसे सभी दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति उन दावों के संबंध में जो समाधान योजना में शामिल नहीं हैं के संबंध में किसी भी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा।

(ii) आई एंड बी कोड की धारा 31 में 2019 का संषोधन स्पष्टीकरणात्मक और घोषणात्मक स्वरूप का है और इसलिए यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन आई एंड बी कोड लागू हुआ है।

(iii) इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण को देय वैधानिक बकाया सहित सभी बकाया राशि, यदि समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, समाप्त समझी जाएगी। जिस तारीख को न्यायानिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत अपनी मंजूरी देता है, उससे पहले की अवधि के लिए ऐसे बकाया के संबध में कोई कार्यवाही नहंीं होगी।

96. उपर्युक्त के आलोक में अब हम व्यक्तिगत मामलों को तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

2019 का सिविल अपील सं.8129

97. उक्त अपील में यह स्वीकार किया गया है कि ओ. एम. एम. एल./कॉर्पोरेट डेब्टर के संबंध में आई एंड बी कोड की धारा 7 के तहत एस. बी. आई. द्वारा दायर कंपनी याचिका दिनांक 03.02.2017 को स्वीकार की गई थी। तदनुसार, उक्त तारीख को अधिस्थगन और आईआरपी की नियुक्ति का आदेश भी पारित किया गया। एक सार्वजनिक सूचना द्वारा आरपी ने लेनदारों से दावे आमंत्रित किए। ऐसे दावे प्रस्तुत करने की आरिवरी तारीख 18.8.2017 थी। आरपी ने ईओआई के साथ-साथ समाधान योजनाओं को भी आमंत्रित किया। उक्त निमंत्रण के जवाब में, जीएमएसपीएल और ईएआरसी दोनों ने अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत की थीं। 14.3.2018 को आयोजित सीओसी की आठवीं बैठक में, ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी पाई गई और इस तरह, इसे एच 1 बिडकर्ता घोषित किया गया। हालांकि, बातचीत के दौरान, सीओसी द्वारा ईएआरसी की समाधान योजना संतोषजनक नहीं पाई गई और इस तरह, 31.3.2018 को आयोजित सीओसी की नौवीं बैठक में ईएआरसी की समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया गया।

98. इसके बाद, चूंकि जीएमएसपीएल एच 2 बिडकर्ता था, इसलिए इसके साथ बातचीत हुई। हालांकि, जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना भी संतोषजनक नहीं पाई गई और इसलिए 3.4.2018 को आयोजित सीओसी की दसवीं बैठक में, मौजूदा कार्यवाही को रद्द करने और समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह केवल ऐसी

संस्थाओं तक ही सीमित था, जिन्होंने समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अपना ईओआई जमा किया। समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए नए निमंत्रण के जवाब में, तीन बिडकर्ताओं अर्थात, जीएमएसपीएल, ड्रएआरसी और एसआईएलएल ने अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत कीं। 13.4.2018को आयोजित सीओसी की ग्यारहवीं बैठक में जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत सामधान योजना सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी पाई गई और इस तरह, सीओसी ने इसे एच 1 बिडकर्ता घोषित किया। वार्ता के कई दौर आयोजित करने के बाद, 21.4.2018 को आयोजित सीओसी की बारहवीं बैठक में सीओसी ने सर्वसम्मति से जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना पर मतदान के लिए 25.4.2018 को सीओसी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। 25.4.2018 को आयोजित सीओसी की बैठक में, सीओसी की संतुष्टि के पश्चात कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना आई एंड बी कोड की धारा 30 की उपधारा (2) के तहत सभी आवश्यकताओं का पूरा करती है, मतदान के लिए इसे रखा गया है। जीएमएसपीएल की उक्त समाधान योजना को कॉर्पोरेट डेब्टर के वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 89.23% से अधिक द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार आरपी द्वारा एक आवेदन सीए (आईबी) सं.402/केबी/2018 जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए दायर किया गया। ईएआरसी ने जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के लिए सीओसी द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए एक आवेदन सीए (आईबी) सं. 398/केबी (2018) दायर किया। इसने अपने दावे को स्वीकार न करने के आरपी के फैसले को चुनौती देते हुए सीए (आईबी) नंबर 470/केबी/2018 भी दायर किया। वन एप्लीकेशन जिला रवनन अधिकारी, खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा रू. 93,51,91,724/- और रू.760.51 करोड़ अपने दावे को स्वीकार न करने को चुनौती देते हुए एक आवेदन सीए (आईबी) सं.509/KB/2018 दायर किया गया।

99. दिनांक 22.6.2018 के सामान्य आदेश द्वारा आरपी द्वारा फाइल आवेदन सीए (आईबी) है सं. 402/KB/2018 की अनुमति दी गई। आई एंड बी कोड की धारा 31 (1) के प्रावधानों के तहत यह मंजूरी दी गई और यह घोषणा की गई कि यह कॉर्पोरेट डेब्टर इसके कर्मचारी, सदस्य, लेनदार, समाधान योजना में शामिल गारंटर और अन्य हितधारक के लिए बाध्यकारी होगा। जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के लिए सीओसी द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए ईएआरसी द्वारा दायर आवेदन सीए (आईबी) संख्या 398/KB/2018 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 22.6.2018 के उसी आदेश के माध्यम से अपने दावे को स्वीकार न करने के आरपी के फैसले को चुनौती देते हुए ईएआरसी द्वारा दायर आवेदन सीए (आईबी) संख्या 470/KB/2018 और जिला खनन अधिकारी, खनन और भूविज्ञान विभाग, झाररवण्ड द्वारा दायर आवेदन सीए (आईबी) है संख्या 509/KB/2018 जिसमें उन्होंने अपने दावे को स्वीकार न करने को चुनौती दी थी, प्रत्येक के लिए रू. 1,00,000/-. की लागत के साथ बर्खास्त किया गया।

100. जीएमएसपीएल की समाधान योजना को मंजूरी संबंधी आरपी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देते समय यानी सीए संख्या 402/KB/2018 और जीएमएसपीएल की समाधान योजना को मंजूरी देने

को चुनौती देने वाल ईएआरसी के आवेदन को अस्वीकार करते समय (यानी सीए संख्या 398/KB/2018) एनसीएलटी ने पाया कि आरपी ने आई एंड बी कोड और विनियमों के तहत आवष्यक पूरी प्रक्रिया का पालन किया था। इसने यह भी पाया कि सीओसी ने अपने विवेक से पाया कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना आई एंड बी कोड की धारा 31 (2) के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप थी।

101. जहां तक ईएआरसी द्वारा आरपी को प्रस्तुत अपने दावे को स्वीकार न करने के संबंध में दायर आवेदन का संबंध है, एनसीएलटी द्वारा पाया गया कि कॉर्पोरेट डेब्टर ने एपीएनआरएल से प्राप्त ऋण हेतु गारंटी निष्पादित की थी, जिसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (''आईआईएफसीएल'' संक्षेप में) द्वारा दिया गया था। कॉर्पोरेट गारंटी कॉर्पोरेट डेब्टर द्वारा निष्पादित कॉर्पोरेट गारंटी आईआईएफसीएल के पक्ष में था। कॉर्पोरेट डेब्टर के पास एपीएनआरएल में भी हिस्सेदारी थी, जिसे आईआईएफसीएल द्वारा एपीएनआरएल को दिए गए लोन को सुरक्षित करने के लिए आईआईएफसीएल के साथ गिरवी ररवा गया था। आईआईएफसीएल ने ईएआरसी को अपने अधिकार सौंपे थे। ईएआरसी ने संपत्तिभागी होने के नाते आरपी को अपने दावे प्रस्तुत किए।

102. एनसीएलटी ने पाया कि ईमेल दिनांक 6.1.2018 द्वारा, ईएआरसी ने रू. 648,89,62,395/-. की राशि के लिए फार्म सी मे अपना दावा प्रस्तुत किया था। उक्त ईमेल के जवाब में, आरपी ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी का आह्वान किया गया था। आरपी को ईएआरसी से 21.2.2018 तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। आरपी द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, ईएआरसी ने आरपी द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एनसीएलटी के सामने रखे गए रिकार्ड से, यह स्पष्ट था कि ईएआरसी ने कॉर्पोरेट गारंटी को लागू नहीं किया था। इसलिए एनसीएलटी ने अपने आप से एक सवाल उठाया, कि क्या बिना किसी आग्रह के कॉर्पोरेट गारंटी को आवेदक के मैच्योर क्लेम के रूप में माना जा सकता है। एनसीएलटी ने पाया कि एक बार आई एंड बी कोड की धारा 14 के तहत स्थगन लागू होने के बाद, ईएआरसी को कॉर्पोरेट गारंटी लागू करने से रोक दिया गया था। एनसीएलटी ने आगे पाया कि ओएमएमएल की गारंटी सीआईआरपी प्रक्रिया पूरी होने की तारीख तक ईएआरपी द्वारा लागू नहीं किया गया था और एक बार स्थगन लागू हो जाने के बाद, यह कॉर्पोरेट गारंटी लागू नहीं कर सकता था। इसलिए एनसीएलटी ने पाया कि ईएआरसी का दावा स्वीकार न करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है।

103. एनसीएलटी ने पाया कि पूरी जानकारी वर्चुअल डेटा रूम में अपलोड की गई थी, जिसमें ईएआरसी की पहुंच थी क्योंकि यह भी समाधान आवेदकों में से एक था। एनसीएलटी ने पाया कि ईएआरसी के क्लेम सहित सभी वित्तीय लेनदारों के दावे के संबंध में जानकारी वर्चुअल डेटा रूम में उपलब्ध थी। रिकार्ड से यह भी पता चला है कि ईएआरसी के दावे को इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया था विचाराधीन कॉर्पोरेट गारंटी को आज की तारीख तक लागू नहीं किया गया था।

104. जहां तक एपीएनआरएल में कॉर्पोरेट डेब्टर के स्वामित्व वाल शेयरों के संबंध में ईएआरसी की दूसरी आपत्ति है, जिन्हें आईआईएफसीएल द्वारा एपीएनआरएल को दिए गए लोन को सुरक्षित करने के लिए आईआईएफसीएल के साथ गिरवी रखा गया था और जिन्हें ईएआरसी को सौंपा गया था, और जिसका 30.4.2018 को आह्वाहन किया गया, एनसीएलटी ने पाया कि वह दावा भी बिना किसी योग्यता के था। एनसीएलटी ने पाया कि 30.4.2018 को स्थगन लागू था और इसलिए दिनांक 30.4.2018 को बंधक का आह्वाहन ईएआरसी द्वारा किया जाना वैध नहीं था। यह आगे पाया गया कि आरपी ने सही किया कि उक्त दावे को स्वीकार नहीं किया।

105. ईएआरसी की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि सीआईआरपी प्रक्रिया 29.4.2018 को पूरी हुई थी और इसलिए 30.4.2018 को ईएआरसी द्वारा बंधक का आह्वाहन कानूनी और वैध था। हालांकि, एनसीएलटी ने पाया कि जब तक आरपी द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए धारा 31 (1) के तहत दायर आवेदन का निर्णय नहीं लिया गया था और समाधान योजना को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का आदेश पारित नहीं किया गया था, धारा 14 के तहत घोषित अधिस्थगन का बल बना रहेगा। इस तरह, 30.4.2018 को बंधक का आह्वान कानून में अनुमत नहीं माना गया था। ईएआरसी के आचरण के संबंध में एनसीएलटी द्वारा की गई टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा

''हमें ऐसा लगता है कि यह समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना के अलावा किसी समाधान योजना के अनुमोदन के खिलाफ आपत्ति को चरणबद्ध करने का जानबूझकर प्रयास है। हमने यह भी पाया कि समाधान योजना की अस्वीकृति के लिए दायर 2018 का सीए 398 खारिज करने योग्य है क्योंकि वही आवेदक अपने तर्क को साबित करने में बिल्कुल भी सफल नहीं होता है और आवेदक खंडपीठ से बिना किसी स्पष्ट इरादे से संपर्क करता है। असफल समाधान आवेदक द्वारा चुनौतीपूर्ण समाधान योजना के उदाहरण बढ़ रहे हैं। संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में सीओसी द्वारा पारित समाधान योजना को मंजूरी देने में देरी का एक कारण इसी तरह की याचिका दायर करना भी है। यह एक अनोखा मामला है जिसमें आवेदक ने यहां बिना किसी वैध आधार के आवेदन दायर किया है। बिना किसी लागत के ऐसी याचिका को खारिज करने से आवेदक की तरह अन्य आवेदक को इस याचिका जैसी याचिका दायर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह आवेदक को न्यायाधिकरण की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की अनुमति देने के साथ-साथ जानबूझकर सीआईआरपी प्रक्रिया को पूरा करने में देरी करने के लिए बाध्य करेगा। तदनुसार, हमारा मानना है कि यह आवेदन रू. 1,00,000/- की लागत के साथ खारिज किया जा सकता है। इस मामले की विशिष्ट प्रकृति और परिस्थितियों में रू. 1,00,000/- की लागत का निर्णय उचित पाया जाता है।

106. जहां तक जिला खनन अधिकारी द्वारा दायर सीए सं. 509/KB/2018 आवेदन का संबंध है, एनसीएलटी द्वारा पाया गया कि आरपी ने फार्म बी में किए गए अपने दावे के संबंध में उक्त

आवेदक से स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि उसमें दी गई जानकारी अपर्याप्त पाई गई थी। यह पाया गया कि उक्त अनुरोध के बावजूद, जिला खनन अधिकारी विनियमों के तहत आवयश्क किसी भी सहायक दस्तावेज या शपथ पत्र को रिकार्ड पर ररवने में विफल रहे। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1972 की धारा 25 के आधार पर दावे के संबंध मे जिला खनन अधिकारी की ओर से उठाए गए तर्कों को एनसीएलटी ने सही नहीं पाया। यह पाया गया कि आई एंड बी कोड की धारा 238 के प्रावधानों को ध्यान में ररवते हुए आई एंड बी कोड के प्रावधानों का किसी अन्य दूसरे कानून पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

107. इसलिए यह पाया गया कि जिला खनन अधिकारी के दावे को स्वीकार न करने में आरपी द्वारा कोई गलती नहीं की गई क्योंकि यह किसी दस्तावेज या हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं था। इसलिए एनसीएलटी ने उक्त आवेदन को रूपये 1,00,000/- की लागत के साथ अस्वीकार कर दिया।

108. एनसीएलटी द्वारा पारित दिनांक 22.6.2018 के आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चार अपीलों के माध्यम से चुनोती दी गई थी; दो अपीलें कंपनी अपील (एटी) हैं (दिवाला) ईएआरसी द्वारा दायर 2018 का सं. 437 और 444; एक अपील कंपनी अपील (एटी) है (दिवाला) सं.2018 का 438 दीपक सिंह द्वारा दायर किया गया था और एक अपील कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) सं. सुंदरगढ़ माइंस एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन द्वारा 2018 का 500 फाइल की गई थी।

109. दिनांक 23.4.2019 के संदर्भित फैसले और आदेश के अनुसार, एनसीएलएटी ने पाया कि चूंकि आई एंड बी कोड की धारा 61 (3) के संदर्भ में कोई आधार नहीं बनाया गया था, इसलिए अपीलों में कोई राहत नहीं दी जा सकी। हालांकि, ऐसा करते समय, एनसीएलएटी ने पायाः

28. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि दावा को इकट्ठा करने और इसे समाधान योजना का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से दावे को अस्वीकार करने से अपीलकर्ता एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्षन लिमिटेड के कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ बैंक गारंटी लागू करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर मुख्य ऋणी ऋण राशि का भुगातन स्थगन अवधि की समाप्ति पर करने में विफल रहता है।

42. उपरोक्त प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि स्थगत की अवधि के बाद व्यक्ति के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष जाने या कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का अधिकार है।

43. वर्तमान मामले में, चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या इस अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए कोई विशिष्ट निष्कर्ष देना संभव नहीं है, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता सिविल कोर्ट या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष जा सकता है और संबंधित श्रमिकों के पक्ष में या कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ उचित राहत के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, यदि इन्होंने

वास्तव में काम किया है और जानकारी की कमी और समय के भीतर दावा दायर न करने के कारण समाधान योजना में इसपर ध्यान नहीं दिया गया है।

51. वर्तमान मामले में, चूंकि आई एंड बी कोड की धारा 61 की उपधारा (3) के संदर्भ में कोई आधार नहीं बनाया गया है और पेशेवर समाधानकर्ता के निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। हालांकि, यह आदेश अपीलार्थी के रास्ते में उचित राहत के लिए उपयुक्त मंच के समक्ष जाने के लिए बाधक के रूप में नहीं आएगा यदि दावा समय सीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

52. जहां तक झारखंड राज्य के बकाया का संबंध है, हमारा मानना है कि वैधानिक बकाया मौजूदा कानून के संदर्भ में झाररवण्ड राज्य को देय होगा, जो परिचालन ऋण के अर्थ के भीतर आता है, जैसा कि धारा 5 (21) के साथ पठित धारा 5 (20) में परिभाषित किया गया है और ''पीआर निदेशक कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) सं. 2018 के 437,438,444 और 500 जनरल आफ इनकम टैक्स (प्रशासन और टीपीएस) बनाम् मेसर्स स्पार्टेक सेरामिक्स इंडिया लिमिटेड और एएनआर कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) नंबर 2017 के 160'' में पाया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों को छोड़कर, झाररवण्ड राज्य द्वारा दायर किसी भी अपील के अभाव में, कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

110. स्पष्ट है कि उपरोक्त टिप्पणी आई एंड बी कोड की धारा 61 की उप धारा (3) के तहत एनसीएलटी को उपलब्ध शक्तियों के दायरे से परे है। हम यह भी पाते हैं कि उक्त टिप्पणीयां इस न्यायालय द्वारा **के. शशिधर** (ऊपर) से **कल्पराज धर्मषी** (ऊपर) तक के मामलों में लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण के पूरी तरह से विपरीत है।

111. एनसीएलएटी ने स्पष्ट रूप से पाया है, कि आई एंड बी कोड की धारा 61 की उपधारा (3) के तहत उपलब्ध कोई आधार नहीं बनाया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से पाया गया है, कि जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना अन्य दो समाधान आवेदकों की तुलना में एक बेहतर प्रस्ताव था, ईएआरसी की योजना सहित और यह कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने जीएमएसपीएल की समाधान योजना को सही ढंग से मंजूरी दी है। इस तरह से निष्कर्ष पर आने के बाद, एनसीएलएटी के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प अपीलों को खारिज करना था। हमारे विचार में, यदि उपरोक्त पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों को बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक कॉर्पोरेट डेब्टर के पुनरूद्धार और इसे एक चलंत इकाई के रूप में पुनर्जीवित करने के आई एंड बी कोड के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगा। जैसा कि इस अदालत ने माना है, सफल समाधान आवेदक को ऐसे आष्चर्यजनक दावे नहीं प्रस्तुत किए जा सकते जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

112. ईएआरसी के आचरण को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा। ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना का खंड 2.1.3 इस प्रकार हैः

2.1.3 पहचाने गए वित्तीय लेनदारों के अलावा अन्य वित्तीय लेनदार

(प) दायित्व

हमें आरपी द्वारा सूचित किया गया है कि पहचाने गए वित्तीय लेनदारों के अलावा, कंपनी का कोई अन्य वित्तीय लेनदार नहीं है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित।

दिए गए ऋण के अलावा, और सभी बकाया देय देनदारियां या दायित्व, क्लेम, काउंटर क्लेम, मांगें, द्वारा किए गए या लगाए गए कार्य या दंड (सभी हितों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं नुकसान, नुकसान, रवर्च और तीसरे पक्ष के दावे), और कोई भी अधिकार, स्वामित्व, कोई वास्तविक या संभावित वित्तीय लेनदार या किसी वित्तीय ऋण के संबंध में, क्या, या दावा नहीं किया गया है, फाइल किया गया है या नहीं, क्रिस्टलाइज्ड है या नहीं, अर्जित किया गया है या नहीं, स्वीकार किया गया है या नहीं, चाहे वह काल्पनिक हो या नहीं, ज्ञात है या नहीं, चाहे वह देय हो या आकस्मिक, विवादित है या नहीं, वर्तमान या भविष्य, चाहे किसी कार्यवाही में निर्णय लिया जा रहा हो या नहीं, तय किया गया है या नहीं, कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होता है या नहीं, या किसी रिकार्ड दस्तावेज, बयान, वैधानिक या अन्यथा में प्रतिबिंबित होता है या नहीं, प्रभावी तिथि से पहले या बाद में उत्पन्न होता है, लेकिन प्रभावी तिथि से पहले की अवधि से संबंधित है, या निवेषकों द्वारा कंपनी के शेयरों के असाइनमेंट या अधिग्रहरण के संबंध में उत्पन्न होना या ऋण को इक्विटी में बदलने या असाइन किए गए ऋण के पुनर्गठन या इस योजना के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में किसी अन्य तरीके से उत्पन्न होना, यह माना जाएगा कि प्रभावी तिथि से अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर दिया गया है और स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है और पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इस तरह की छूट और समाप्ति को प्रभावी बनाने के लिए, कोई भी अनुबंध, समझौता, विलेख या दस्तावेज, चाहे मौखिक हो या लिखित, व्यक्त या निहित, वैधानिक या अन्यथा, जिसके अनुसार ऐसा कोई बकाया, देनदारियां, दायित्व, क्लेम, काउंटर क्लेम, मांगें, क्रियाएं, पेनल्टी, सही स्वामित्व या ब्याज का दावा किया जाता है (जैसा कि यहां विशेष रूप से उल्लेख किया गया है के अलावा) बिना किसी आगे की कार्रवाई के अधिनियम या विलेख के प्रभावी तिथि से संशोधित किया जाएगा, और एनसीएलटी द्वारा इस योजना की मंजूरी पर्याप्त नोटिस माना जाएगा जिसे ऐसे मामले के लिए किसी भी व्यक्ति को देने की आवश्यकता हो सकती है और आगे कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी।

113. जीएमएसपीएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना में दिए गए समान प्रावधानों को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

7. ओएमएमएल के रिवलाफ वित्तीय लेनदारों द्वारा शुरू किए गए मुकदमों को वापस लेना, ओएमएमएल के पक्ष में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करना और ओएमएमएल/ संबंधित एसपीवी द्वारा वित्तीय लेनदारों को देय सभी ऋणों की पूरी और अदायगी की स्थिति में प्रतिभूतियों पर अपने संबंधित प्रभार मुक्त करना जैसा भी मामला हो, सभी गारंटी शामिल हैं जो ओएमएमएल द्वारा ली जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए वित्तीय लेनदारों को प्रदान की गई हैं।

8. ओ.एम.एम.एल. द्वारा नए प्रमोटर ग्रुप के सभी बकाया को खत्म करना और माफ करना।

9. यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देष कि प्रस्तावित विलय आवेदन वापस ले लिया जाएगा ओ.एम.एम.एल. द्वारा अपनी किसी भी सहायक, सहयोगी, समूह कंपनियों या किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में या उसकी ओर से जारी कॉर्पोरेट गारंटी का त्याग। इस आशय का निर्देश कि नए प्रमोटर ग्रुप के सदस्य या उनके संबंधित प्रमोटर या नए प्रमोटर ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त गारंटी वित्तीय गारंटीकर्ता के लिए जारी रहेगी। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप ओ.एम.एम.एल. या समाधान आवेदकों के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।

114. इस प्रकार यह स्पष्ट है, जो स्वयं ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना के अनुसार है, अगर वह एक सफल आवेदक होता, फिर उस स्थिति में, इसके द्वारा किए गए दावों को अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर दिया जाता और स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता और प्रभावी तिथि से पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता। यदि ईएआरसी की समाधान योजना को मंजूरी दी जाती, तब ऐसे सभी ऋण बिना किसी आगे के अधिनियम या विलेख के समाप्त हो जाते और एनसीएलटी द्वारा उक्त योजना की मंजूरी ऐसे मामले के लिए किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली पर्याप्त सूचना होती। निर्विवाद रूप से, ईएआरसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना आरपी द्वारा प्रस्तुत सूचना ज्ञापन के आधार पर थी, जिसमें विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया था कि ईएआरसी के दावों को आरपी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईएआरसी एक ही साथ अपना विरोध और सहमति प्रकट कर रही है। इसके अनुसार, समाधान योजना को सीओसी और एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया जाता तो वैसे दावे, जिन पर अब ईएआरसी द्वारा जोर दिया जाता है, समाप्त हो जाते। हालांकि, एक सफल समाधान आवेदक बनने में विफलता और एक सफल समाधान आवेदक के रूप में अन्य आवेदक की मंजूरी पर, इसका दावा जीवित रहेगा। एक पार्टी के लिए दो विभिन्न मापदंड लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

115. ''श्री भूषण, ईएआरसी की ओर से पेश विद्वान वकील, एनसीएलएटी के दिनांक 14.8.2018 में **एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बनाम् पेशेवर समाधानकर्ता जेईकेपीएल प्राईवेट लिमिटेड** 36 कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) 2017 का संख्या 304 और संबंधित मामले, के मामले में प्रस्तुत करते हैं, कि एनसीएलएटी ने स्वयं उक्त मामले में यह माना था कि कॉर्पोरेट गारंटी के आह्वान का फाइलिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। धारा 13 (1) (बी) के तहत की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार दावा धारा 15 (1) (सी)

के साथ पठित आई एंड बी कोड के तहत और धारा 18 (1) (बी) के तहत क्लेम को इकट्ठा करने के लिए भी या धारा 25 (2) (ई) के तहत क्लेम अपडेट करने के लिए वह प्रस्तुत करता है, कि उक्त निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली दीवानी अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.1.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

116. उन्होंने प्रस्तुत किया, कि एनसीएलएटी ने स्वयं उक्त मामले में एक्ज़िम बैंक और एक्सिस बैंक को वित्तीय लेनदार के रूप में माने जाने का निर्देश दिया था और आगे उन्हें सीओसी पर प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, हालांकि, वर्तमान मामले में, एनसीएलएटी ने एक विपरीत विचार लिया है। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि विकल्प में इस अदालत को आरपी/ सीओसी को कानून के साथ सामंजस्य बिठाते हुए ईएआरसी को वित्तीय लेनदार के रूप में मानने और सीओसी में प्रतिनिधित्व देने और निर्णय लेने का निर्देश देना चाहिए।

117. हम पाते हैं कि तथ्यों के आधार पर, उक्त मामला वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीएलएटी के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर अपील दिनांक 14.8.2018 को इस न्यायालय द्वारा 23.1.2019 पर खारिज कर दिया गया है। हालांकि, यह एक तय किया गया कानून है कि विशेष अनुमति याचिका/ अपील को खारिज करना विशेष अनुमति याचिका/ अपील में विवादित निर्णय में लिए गए विचार की पुष्टि के बराबर नहीं है। अपील को खारिज करते समय इस अदालत द्वारा दिनांक 23.1.2019 को पारित आदेश को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

‘‘ सिविल अपील संख्या 10134/2018 ’’

हमने सभी पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

और रिकार्ड पर प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन

किया है। सिविल अपील खारिज कर दी जाती

है। अपीलकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह

सभी बिंदुओं के साथ जो उचित मंच के समक्ष,

कानून में उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, अगर

ऐसा सुझाव दिया जाता है, प्रस्तुत करें।

118. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते समय अपीलकर्ता को उपयुक्त फोरम के समक्ष सभी बिंदुओं के साथ अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है जो कानून में उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

119. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनसीएलएटी के समक्ष अपील में, एक्ज़िम बैंक के साथ-साथ एक्सिस बैंक ने कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर उक्त बैंकों के दावे के तुरंत बाद आरपी/ सीओसी द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कदम उठाए थे। दावा खारिज होने के बाद उक्त बैंकों ने एनसीएलटी के समक्ष धारा 60 (5) के तहत आवेदन दायर किया था। एनसीएलटी द्वारा उक्त दावे को अस्वीकार करने पर, उन बैंकों ने अपीलों में एनसीएलएटी से संपर्क किया था, जिन्हें अनुमति दी गई थी और आदेश, जैसा कि यहां ऊपर कहा गया है, पारित किया गया था।

120. वर्तमान मामले में, ईएआरसी के दावे को 22.1.2018 पर अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त अस्वीकृति को चुनौती देने के बजाए, ईएआरसी ने कार्यवाही में भाग लिया और समाधान आवेदकों में से एक था। इतना ही नहीं, पहले दौर में, यह एक सफल बिडकर्ता था जिसे एच 1 बिडकर्ता का दर्जा दिया गया था। हालांकि, चूंकि बातचीत में यह सीओसी को संतुष्ट करने में विफल रही, इसलिए समाधान आवेदकों से नई बिड आमंत्रित की गई, जिन्होंने अपना ईओआई जमा किया था। 25.4.2018 को आयोजित सीओसी की बारहवीं बैठक में जीएमएसपीएल की समाधान योजना को 89.23% मतदान शेयरों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद ही, ईएआरसी ने दो आवेदन दायर किए, एक सीओसी द्वारा जीएमएसपीएल की समाधान योजना की मंजूरी को चुनौती देना और दूसरा आरपी/ सीओसी द्वारा इसके दावों का अस्वीकार करने के संबंध में।

121. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देरवा जा सकता है कि ईएआरसी जोरिवम उठा रहा था। अपने दावे को अस्वीकृत किए जाने के बाद, इसने धारा 60 (5) के तहत एक आवेदन द्वारा इसे चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन सीओसी के निर्णय तक इंतजार किया। इस अवधि के दौरान, यह वास्तव में अपनी समाधान योजना का अनुसरण कर रहा था। इसके समाधान योजना को मंजूरी न मिलने और जीएमएसपीएल की समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद ही इसने उपरोक्त दो आवेदन दायर किए। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, स्वयं ईएआरसी की समाधान योजना में, इसने सभी दावों को समाप्त करने का प्रावधान किया है जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

122. अन्यथा भी, यदि तर्क के लिए है यह मान लिया जाए यह कि ईएआरसी एक वित्तीय लेनदार के रूप में स्वीकार किए जाने का हकदार था और सीओसी में भागीदारी का हकदार था, फिर भी इसका हिस्सा लगभग 9प्रतिशत था, जीएमएसपीएल की समाधान योजना को 80 प्रतिशत के बहुमत से पारित किया गया होगा, जो वैधानिक आवश्यकता से बहुत ऊपर है।

123. इसलिए हमारा विचार है कि एनसीएलएटी द्वारा किया गया अवलोकन जो ईएआरसी को अपने दावों के लिए कानून में उपलब्ध ऐसी कार्यवाही का सहारा लेने की स्वतंत्रता देता है उचित नहीं है।

124. जहां तक झाररवंड सरकार के दावे के संबंध में किए गए अवलोकन का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि झाररवंड राज्य ने एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील भी नहीं की है। जहां तक श्रम और श्रमिकों के दावों का संबंध है, आरपी ने एनसीएलएटी के समक्ष विशेष रूप कहा है कि श्रमिकों से जो भी दावे प्राप्त हुए थे, उन समाधान योजना में विधिवत विचार किया गया था। इसके बावजूद, यह देरवते हुए कि श्रमिकों को सिविल कोर्ट या श्रम न्यायालय के समक्ष अपने दावों को उठाने की स्वतंत्रता उपलब्ध है, हमारे विचार में उनके दावों पर विचार करना आई एंड बी कोड के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से विरोधाभासी है। यही बात परिचालन लेनदार होने का दावा करने वाले श्री दीपक सिंह की अपील में किए गए अवलोकन पर भी समान रूप से लागू होगी।

125. इसलिए हमारा विचार है कि एनसीएलएटी के निर्णय दिनांक 23.4.2019 के पैराग्राफ सं. 28, 42, 43, 51 और 52 को समाप्त करके अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। यह तदनुसार आदेश दिया जाता है। एनसीएलटी द्वारा दिनांक 22.6.2018 केा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा गया है। लागत संबंधी कोई आदेश नहीं है।

<u>''विषेष लीव याचिका (सिविल) 2020 का 11232 से उत्पन्न सिविल अपील''</u>

126. वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 6.7.2020 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है, जिससे वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जाता है। याचिका सिविल विविध है, रिट याचिका (टैक्स) 2020 का सं. 354 निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर किया गया थाः

i अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) द्वारा पारित दिनांक 31.01.2020 के आदेश को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना आकलन वर्ष 2015-16 (उत्तरप्रदेश वी ए टी) के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को अस्वीकार करना और याचिकाकर्ता पर लगाए गए रूपये 232.60 लारव की मांग की पुष्टि करना।

ii संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट), गाजियाबाद के संचार/ आदेषों को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, यह मानते हुए कि उत्तरप्रदेश राज्य में कार्यवाही दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित याचिकाकर्ता की समाधान योजना के बावजूद अप्रभावित रहेगा क्योंकि एनसीएलटी का आदेश विशेष रूप से इन कार्यवाही को प्रतिबंधित नहीं करता है;

iii प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेषों के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता जिस राशि का हकदार है, उसे वापस करने का निर्देश देने वाले मैंडमस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

iv एक घोषणा जारी करें कि विभिन्न प्राधिकरणों (आकलन प्राधिकरण, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण या वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, गाजियाबाद पीठ) के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही हस्तांतरण तिथि से पहले याचिकाकर्ता द्वारा किए गए लेन-देन के संबंध में जिसमें रू. 769.73 लारव की समेकित राशि शामिल है एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के संदर्भ में को समाप्त कर दिया गया है दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत;

v एक रिट, आदेश या निर्देष जारी करते हुए प्रतिवादियों को रूपये 248.93 लारव वापस करने का निर्देष देना। इन कार्यवाही में विरोध के तहत याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई 16.31 लारव रूपये की बैंक गारंटी भी वापस करने के लिए भी

vi एक रिट जारी करें, दंड आदेश सहित किसी भी आदेश को पारित करने से उत्तदाताओं को प्रतिबंधित करने वाले आदेश या निर्देष, किसी भी आगे की मांगों को उठाना, स्थानांतरण तिथि से पहले की अवधि के संबंध में लंबित आकलन/ कार्यवाही/ मुकदमेबाजी/ अपील/संशोधनों का जारी रखने सहित कोई भी दायित्व लागू करना या कोई दंडात्मक कदम उटाना।

127. उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के पास दूसरी अपील दायर करने का एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय है और इस तरह, उक्त याचिका पर विचार न करना उचित समझा। रिट याचिका में अपीलार्थी की मूल शिकायत यह थी कि समाधान आवेदन के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने और कॉर्पोरेट डेब्टर के प्रबंधन को समाधान आवेदक को, स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद सभी दावे समाप्त हो गए और इसके संबंध में कार्यवाही जारी नहीं रह सकी।

128. प्रतिवादी की ओर से उठाया गया मुख्य आधार वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के संबंध में है। दूसरा आधार यह है कि चूंकि हस्तांतरण की तारीख आई एंड बी कोड की धारा 31 में 2019 के संशोधन से पहले की है, इसलिए उक्त संशोधन उन ऋणों पर लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सौंपा गया है।

129. **बाबू राम प्रकाष चंद्र माहेष्वरी बनाम् अंतरिम जिला परिषद मुजफ्फर नगर** 37 (1969) 1 एससीआर 518, **व्हर्लपूल कार्पोरेशन बनाम् ट्रेड माक्र्स, मुंबई और अन्य के पंजीयक** 38 (1998) 8 एसीसी 1, **निवेदिता शर्मा बनाम् सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य** 39 (2011) 14 एससीसी 337, **एम्बेसी प्रापर्टी डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड बनाम् कर्नाटक राज्य और अन्य**[40] (2020) 13 एससीसी 308, और हाल ही के मामले में **कल्पराज धर्मषी** सहित इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना आत्मसंयम का नियम है। ऐसा हमेशा से तय है वैकल्पिक उपाय कम से कम तीन आकस्मिकताओं में काम नहीं करेगा, अर्थात, (1) जहां किसी भी

मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर की गई है, (2) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, (3) जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम के अधिकार को चुनौती दी गई है।

130. पूर्वगामी पैराग्राफ में, हमने माना है कि आई एंड बी कोड की धारा 31 में 2019 का संशोधन स्पष्टीकरणात्मक और घोषणात्मक स्वरूप का है और इसलिए इसका पूर्वव्यापी संचालन होगा। इस तरह, जब समाधान योजना एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो वे दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, समाप्त हो जाएंगे और इससे संबंधित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। चूंकि याचिका का विषय कार्यवाही है, जो योजना के अनुमोदन से पहले प्रतिवादियों के दावों से संबंधित है, हमारे द्वारा लिए गए विचार के आलोक में, इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। इसी तरह से वे दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे।

131. मामले के इस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं, कि अपीलार्थी को वैकल्पिक उपचार के लिए रवारिज करने से कोई उद्देश्य नहीं होगा। कार्यवाही और दावों के संबंध में जो कानून में अनुमेय नहीं है, किसी पक्ष को एक मंच से दूसरे मंच पर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

132. इसलिए अपील की अनुमति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.7.2020 के संदर्भित निर्णय और आदेश को निरस्त कर रद्द कर दिया जाता है। हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रतिवादी हस्तांतरण की तारीख से पहले उपार्जित कॉर्पोरेट डेब्टर से किसी भी दावे की वसूली करने या किसी भी ऋण का दावा करने के हकदार नहीं हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसके परिणाम का पालन होगा।

रिट याचिका (सिविल) 2020 का सं. 1177

133. बताए गए कारणों से याचिकाकर्ता नंबर 1 का नाम बदलने के लिए आई.ए. की अनुमति है। शीर्षक में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

134. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। इस मामले में भी, कॉर्पोरेट डेब्टर (याचिकाकर्ता-कंपनी) के संबंध में समाधान योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.07.2018 को अनुमोदित किया गया है। इसके अनुसार, कॉर्पोरेट डेब्टर (याचिकाकर्ता-कंपनी) का प्रबंधन सफल समाधान आवेदक एयान जेएसडब्लू को स्थानांतरित किया गया था।

135. 5.1.2019 को सीआईआरपी पूरा होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को एक रिमाइंडर जारी किया कि वह 1.4.2016 और 30.6.2017 के बीच की अवधि के लिए रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी के लिए उसके द्वारा जमा किए गए सेवा कर के लिए रू. 4,49,34,917.00

की राशि का भुगतान करे। याचिकाकर्ता ने आई एंड बी कोड के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए उक्त नोटिस का जवाब दिया और उसमें कहा कि प्रतिवादी द्वारा की गई मांग आई एंड बी कोड को देरवते हुए स्वीकार्य नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने लौह अयस्क की आपूर्ति हेतु अग्रिम के रूप में जमा की गई 5,25,15,880/- रूपये की राशि वापस करने का भी अनुरोध किया था।

136. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 20.7.2018 और 28.4.2020 की मांग नोटिस को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

137. वर्तमान मामले को हमारे द्वारा ऊपर दिए गए विचार से भी कवर किया जाएगा।

138. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 2018 का सं. 6483 के माध्यम से वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित इनकम टैक्स बकाया के संबंध में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस अदालत ने दिनांक 10.8.2018 को उक्त विषेष अनुमति याचिका में निम्नलिरिवत आदेश पारित कियाः

'' सुना है।

देरी, यदि कोई हो, तो माफ कर दिया जाता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 238 को देरवते हुए, यह स्पष्ट है कि संहिता इनकम टैक्स अधिनियम सहित किसी भी अन्य अधिनियम में निहित किसी भी असंगत चीज़ को ओवरराइड करेगी। हम इस संबंध में देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभुदास पारेरव एंड कंपनी एवं अन्य (2000) 5 एससीसी 694 और इसकी संतति मामले को संदर्भित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि आयकर बकाया राज्य का बकाया होने के बावजूद सुरक्षित लेनदार, जो एक व्यक्ति है, से ऊपर नहीं है।

हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय, इसलिए, कानून में सही है।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

लंबित आवेदन, यदि कोई है, तो उनका निपटारा किया जाता है''।

139. सामान्य तौर पर, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे इस तरह की याचिका पर विचार नहीं करते। हालांकि, कानून का एक सवाल, जो वर्तमान याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होता है, हमारे द्वारा मामलों के इस समूह में विचार किया गया है। इस संदर्भ में हम पाते हैं, कि वर्तमान याचिकाकर्ता के मुकदमा पर विचार न करना न्याय के हित में नहीं होगा, जब हमने विशेष रूप से कानून के प्रश्न का निर्णय लिया है, जो वर्तमान केस को भी नियंत्रित करेगा। इस तरह, वर्तमान याचिका की अनुमति है।

140. हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रतिवादी हस्तांतरण की तारीख से पहले उपार्जित कॉर्पोरेट डेब्टर से किसी भी दावे की वसूली करने या किसी भी ऋण का दावा करने के हकदार नहीं हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसके परिणाम का पालन होगा।

<u>विशेष लीव याचिका (सिविल) 2020 का सं. 7147-7150 से उत्पन्न सिविल याचिकाएं</u>

141. बताए गए कारणों से, आवेदक टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड की ओर से हस्तक्षेप के लिए आईए की अनुमति है।

142. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी झाररवंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 01.05.2020 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देता है। अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाएं, प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती देता है। इसमें 2011-2012 और 2012-2013 के बीच की अवधि के लिए झाररवंड मूल्य वर्धित कर (जेवीएटी) की वापसी की मांग की गई थी। याचिका अस्वीकार्य की जाती है। दोनों विद्वान न्यायधीशों ने अलग-अलग निर्णय लिखे हैं।

143. न्यायमूर्ति एच. सी. मिश्रा द्वारा लिखित फैसले में अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाओं को दो आधारों पर खारिज कर दिया गया था जैसे पहला क्योंकि मेसर्स वेदांता लिमिटेड ने 4.6.2018 को अपीलार्थी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था, अब केवल मेसर्स वेदांता लिमिटैड था जिसके पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार था। दूसरा, यह बहस का विषय था कि क्या जेवीएटी की राशि को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को देय और तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होन वाले बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि इसे ''परिचालानात्मक ऋण'' की परिभाषा के भीतर लाया जा सके।

144. जहां तक न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा लिरिवत निर्णय का संबंध है, विद्वान न्यायाधीश ने कहा है कि चूंकि समाधान योजना को एनसीएलटी द्वारा आई एंड बी कोड की धारा 31 (1) में2019 के संशोधन पर अनुमोदित किया गया था, यह उक्त योजना पर लागू नहीं होगा। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बकाया परिचालन ऋण की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा, हमारे द्वारा लिए गए विचार के आलोक में कानून में गलत है। तो चूंकि एनसीएलटी का आदेश उस तारीरव से पहले है जिस दिन आई एंड बी कोड की धारा 31 (1) में संशोधन किया गया था, इसलिए धारा 31 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यह निष्कर्ष भी हमारे द्वारा ऊपर की गई पूर्वगामी टिप्पणियों को ध्यान में ररवते हुए स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

145. हम यह भी पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अपीलकर्ता-कंपनी के पास रिट याचिकाएं दायर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्रबंधन मेसर्स वेदांता लिमिटेड द्वारा ले लिया गया है। समाधान योजना कॉर्पोरेट डेब्टर के संबंध में है और सफल समाधान आवेदक केवल समाधान योजना के अनुसार कॉर्पोरेट डेब्टर के प्रबंधन को संभालता है।

समाधान आवेदक कॉर्पोरेट डेब्टर की हैसियत से काम करता है। अतः इस संबंध में प्राप्त तथ्य कानूनन वैध नहीं है।

146. श्री गुरूकृष्ण कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आरपी/ सीओसी ने धोखा धड़ी से काम किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि दावा आमंत्रित करने वाला नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना आवष्यक था, जहां कॉर्पोरेट डेब्टर का पंजीकृत कार्यालय स्थित था, नोटिस कोलकाता संस्करण के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। 2016 के विनियमों के विनियमन 6 (2) (बी) के अनुसार, उक्त सूचना को अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, जो कॉर्पोरेट डेब्टर के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय के स्थान पर व्यापक रूप से प्रसारित हो। रिकार्ड के अवलोकन से पता चलेगा कि नोटिस कोलकाता संस्करण के बिजनेस स्टैंडर्ड और आनंद बाजार पत्रिका समाचार पत्रों में प्रकाषित हुआ था, जिनका रांची में व्यापक प्रसार है। कॉर्पोरेट डेब्टर का कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता में है जबकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस रांची में है। किसी भी मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के वन विभाग ने एनसीएलटी के साथ-साथ एनसीएलएटी के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था। जब राज्य सरकार की एक शारवा ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी से संपर्क किया है, तो यह विश्वासकरना मुश्किल है कि राज्य के अन्य अंग को उक्त कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी।

147. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरूकृष्ण कुमार का तर्क, कि धारा 13 का अनुपालन न करने के संबंध में इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, यह भी गलत है। इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड ने अपील ज्ञापन में इस मसले को ग्राउंड ''यू'' से ''एए'' में उठाया है।

148. अंततः अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार संदर्भित आदेश दिया जाता है। झार खंड उच्च न्यायालय के दिनांक 1.5.2020 के संदर्भित फैसले और आदेश को रद्द किया जाता है।

149. हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि उत्तरदाता हस्तांतरण की तारीरव से पहले उपार्जित कॉर्पोरेट डेब्टर से किसी भी दावे की वसूली करने या किसी भी ऋण का दावा करने के हकदार नहीं हैं। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके परिणामों का पालन होगा।

..... न्यायमूर्ति

(बी.आर. गवई)

नई दिल्ली; 13 अप्रैल, 2021

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|